

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, ईवीएम के ऊपर चर्चा में कोई बन्धन नहीं होना चाहिए।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): सर, इसके ऊपर तो चर्चा हो जानी चाहिए। अगर इसमें भी प्रतिबन्ध लगेगा, तो कैसे काम चलेगा? ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, यह विषय बहुत विशाल है। यह कोई आम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं है। यह चर्चा पूरे चुनाव सुधार की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है। उसका सिर्फ एक पहलू नहीं है, बल्कि उसके कई दृष्टिकोण हैं। इसको केवल मौजूदा चुनाव से सम्बन्धित न समझा जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इसमें हमारी जो प्रणाली है, उसकी पारदर्शिता और विश्वसनियता बनी रहे, उसके लिए यह चर्चा है कि उसमें कैसे और सुधार लाये जायें, जिससे लोगों का विश्वास हिन्दुस्तान के चुनाव में बना रहे। यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर कोई समय सीमा निर्धारित न करें। जो भी सदस्य बोलना चाहें, वे अपने विचार व्यक्त करें।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: मान्यवर, इनका एक लेजिस्लेटिव बिजनेस है। उसके बारे में हम लोग सुबह कह चुके हैं कि वह हम टेक-अप करा लेंगे। लेकिन इस पर आप ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, the point is like this. In the morning, in the leaders' meeting, I had made a suggestion that we will take up the Bill first, and dispose it of in one-and-a-half hours, and then, take up the Short Duration Discussion so that we can extend the time. But, then, it was assured that the Short Duration Discussion be taken up first, but, after that, we will pass one Bill, this particular Bill also, that is agreed to, even if we have to sit late.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Yes. Even if they don't offer dinner, we will sit till 12 o'clock.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That means, we take up this Short Duration Discussion now. We may allow a little more time, no problem, and after that, we will pass one Bill. Okay. Now, Shri Mukul Roy to raise the Short Duration Discussion. Shri Mukul Roy.

SHORT DURATION DISCUSSION

Electoral Reforms

SHRI MUKUL ROY (West Bengal): Hon. Deputy Chairman, Sir, it has been very timely thinking on the part of the Parliament that electoral reforms have been taken up as a matter of discussion. I am thankful to the House for asking me to initiate this discussion, and I shall try to do justice to the responsibility given to me. I am standing on behalf of the All India Trinamool Congress, and my leader,

[Shri Mukul Roy]

Ms. Mamata Banerjee, has always been insisting for electoral reforms, State funding etc., etc. We, parliamentarians, represent the largest democracy of the world, and it was a gift of the then leaders of the country following independence on 15th August, 1947, for the people of India to decide their own fate, and gave the ultimate power in the hands of people. As rightly said by Abraham Lincoln, "Democracy is for the people, of the people, and by the people." So, whenever we talk of democracy, we talk of peoples' rights, which are linked to aspirations and a desire to get an improved quality of life. Democracy gives the right to people to choose their own Government, but, we, parliamentarians, will fail if we do not facilitate people to choose a right Government. If democracy is used as a tool to manipulate formation of a Government, which has not been the true desire of the people, democracy fails to function in true spirit.

Election at regular intervals is the most important feature of democracy. Elections reflect the attitudes, values and beliefs of the people towards their political environment, while it also grants people a Government, and vest with the Government the constitutional right to govern those, who elect it. Elections are the Central democratic procedure for selecting and controlling leaders. Elections symbolise the sovereignty of the people. Thus, free and fair elections are indispensable for the success of democracy, and political parties that take part in the election should become instrumental in achieving the constitutional goal set out in the Preamble, and Part III and IV of the Constitution of India. India has opted for Parliamentary democracy in continuance of the British legacy. Since 1952, the country has witnessed elections to the legislative bodies both at the national as well as State levels. The Indian democracy is considered as the world's largest democracy in terms of size but, when it comes to the question of quality, the World Press Organization has ranked it 68th in 2014 up from 70th in 2012. A small country like Norway has been ranked first in the quality of democracy and Switzerland the second. Thus, there is a lot of room left to improve upon the systems of electioneering in India and improve upon systems of democracy that can fully and comprehensively reflect the people's will.

The Election Commission of India, as the guardian of free and fair polls, has always been proactive in removing obstacles in the way of free and fair polls. It has made a number of recommendations and repeatedly reminded the Government the necessity of changing the existing laws to check the electoral malpractices. The Tarkunde Committee Report of 1975, the Goswami Committee Report of 1990, the Election Commission's recommendations in 1998 and the Indrajit Gupta Committee Report of 1998 produced a comprehensive set of proposals regarding electoral reforms.

The Election Commission of India, by itself, has been trying to bring improvements in election procedures and the introduction of electronic voting machines, EVMs, has brought revolutionary changes promising free and fair polls. While EVMs have improved efficiency in voting, it is believed to have reduced malpractices. The EVMs were first tried in the State of Kerala during the 1982 Legislative Assembly Elections. After the successful testing and enquiries into the technological aspects, EVMs were used in 16 Assembly constituencies in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Union Territory of Delhi. Later, in the June 1999 Assembly elections, Goa became the first State to successfully use EVMs in all its assembly constituencies. In the 2004 Lok Sabha elections, the machines were used all over the country. This initiative made the electoral process simple, quick and trouble-free. It has saved money, solved several logistical issues and also contributed to the conservation of environment through saving paper. Another major advantage of these machines is that the counting of votes becomes faster and more accurate. But, unfortunately, some political parties recently have raised doubts about the functioning of the EVMs and this create doubts in the minds of million Indians as to whether these machines are really managed and manipulated and whether these machines alternate the votes cast by the people.

To me, the Election Commission of India should take appropriate care of this concern to assure the people that EVMs are not a hindrance to true reflection of people's will and it cannot be tampered to alter results to one's advantage. This very elementary aspect has started posing questions to the functioning of democracy and this should be satisfactorily replied.

However, talking about the ongoing reforms, the use of Information Technology enabled the Election Commission's Secretariat to get directly connected with nearly 1,500 counting centres across the country in the 1999 Lok Sabha polls. The round-wise counting results were fed into the Commission's website from those counting centres. These results were instantly available throughout the world. The Commission had, in cooperation with the State owned media — Doordarshan and All India Radio — taken several innovative and effective steps to create awareness among voters. All recognised national as well as State parties were allowed free access to the State-owned media on an extensive scale for their election campaign. During the 2004 General Elections, the total free time allocated to political parties was 122 hours. Another major step was in computerization of the electoral rolls in 1998 wherein the printed electoral rolls as well as CDs containing these rolls were made available to the general public and national and State parties. By 2009 general elections the Election Commission also decided to introduce photo electoral rolls for proper verification of voters across the country. So India has continuously

[Shri Mukul Roy]

witnessed electoral reforms and up-gradation of its democratic processes, but there is still a need to make it more relevant and responsive. The Law Commission of India submitted its 255th Report titled Electoral Reforms to the Ministry of Law. The 261-page Report, prepared in response to a request by the then Government in January 2013 to consider the issue of electoral reforms in its entirety and suggest comprehensive measures for changes in the law. This Report needs to be read with the 244th Report of the Law Commission titled Electoral Disqualifications, submitted on 24 February 2014, in response to a Supreme Court order passed on 15 December 2013. The two Reports together provide a comprehensive assessment of the entire electoral system and how to make it more relevant and responsive. The Standing Committee on Law and Justice submitted its Report on Electoral Reforms, Code of Conduct for political parties and Anti-Defection Law on August 26, 2013 and its recommendations need to be duly considered. But with big changes coming in the entire electoral processes and conducting the polls becoming more and more technical in its pursuance to achieve accuracy, one needs to review the structure of the Election Commission, which undertakes the humungous task of conducting the polls. There was a longstanding demand to make the Election Commission a multi-member body. The Supreme Court in the *S. S. Dhanoa Versus Union of India* case had observed, "When an institution like the Election Commission is entrusted with vital functions and is armed with exclusive and uncontrolled powers to execute them, it is both necessary and desirable that the powers are not exercised by one individual, however wise he may be. It also conforms to the tenets of democratic rule." With the 1993 Constitution Amendment Act, the Election Commission was made a multi-member body. The Election Commission was made a multi-member body by the Government in the wake of certain controversial decisions taken by the Chief Election Commissioner, T.N. Seshan. The Act provided that the decision of all the members shall, as far as possible, be unanimous. But in case of difference of opinion among the members, the matter 'shall be decided according to the opinion of the majority'. It was a significant step to remove a one-man show in such an important function as that of conducting elections. A single-member Election Commission would have no longer unbridled powers. In view of the large size of the country and the huge electors, the Election Commission also made a proposal for the appointment of Regional Commissions to different zones to reduce its burden. To my opinion, it is now time that we move a step ahead and make the Election Commission of India a more democratic body. Sir, the temple of democracy should justify itself with more democratic procedures so that stakeholder at any point of time doesn't feel himself a victim of prejudice. The Election Commission of India is absolute and there is no

regulation on its functioning. Especially during the course of the elections, if there arises any grievance against the functioning of the Election Commission, there is no mechanism to address it. Should there be in a democracy like India, grievances during the polls should go unheard and wait to be redressed unless the elections are over? ...*(Time bell rings)*... I will finish in a minute. When the challenge is to make the elections more free and fair, have more and more transparency in the system and get a reflection of people's opinion as accurate as possible, law has to see on the aspects of unbridled power vested on a group of people. Law should bring it under a certain framework of regulations, which makes the Election Commission of India more liable to its people's will. In a democracy what we should aim is to eliminate arbitrary and discretionary use of powers. If we can do so, only then we will be able to achieve our constitutional goals. Another important aspect, which I want to deal with, and I am sure every Member in the house is keen, is that of election funding. The Leader of our party, the All India Trinamool Congress is always insisting upon State funding. Our Finance Minister, Sri Arun Jaitely in his Budget Speech has given an outline on funding political parties, which definitely will have a bearing on election funding. Limiting cash donations to ₹ 2000 and introducing electoral bonds has been an attempt towards cleansing the funding system. But electoral reforms announced in the Budget are actually not what they are claimed to be. A journalist has written and I quote, "The devil is in the fine print," Now what or who is the devil? The Finance Minister has proposed limiting cash donations to ₹ 2000 for anonymous donations. Everyone believed that the slab for anonymous contribution has been reduced from ₹ 20,000 to ₹ 2000. But the reality lies in the fact that the existing limit of ₹ 20,000 in the Representation of the People Act (RPA) has remained untouched and the Finance Minister seems to have added another clause that limits cash donation from one source to ₹ 2000. This needs to be clarified; otherwise, it will breed controversies. The Finance Minister has talked about electoral bonds, but the part that talks about the redemption of bonds is not clear. It says that party's bank would know the amount deposited through the bond, but not about the donor. So neither the EC nor the Income Tax authorities come to know about the donor and therefore, another fishy ground on funding has been created.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude.

SHRI MUKUL ROY: I think, if reforms have to be done in true sense, there should not be any fishy grounds left. Funding has to be crystal clear, which will bring real confidence in the minds of the people. I would propose the House to consider State funding for funding elections and this will bring about restrictions in matters of election expenditure, while maintaining accounts would be an easier and

[Shri Mukul Roy]

transparent affair. ...(*Time-bell rings*)... A corpus under the management of the Election Commission can be formed and the funds from the said corpus can be distributed according to the principles and guidelines of the EC. But the broad principle of distribution should be based on the theory of proportionate distribution and that can be availed of by the candidates of the registered parties in equal proportion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please conclude. You have taken nine minutes extra.

SHRI MUKUL ROY: But any reforms initiated should be on the basis of consensus and a copy of draft reform document can be circulated to all stakeholders as a primary initiative to carry forward the process. I wish all the best and thanks to all Members of the Parliament for taking part in the discussion as well as for taking up the agenda of electoral reforms. Thank You, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You took nine minutes extra.

SHRI NARESH AGRAWAL (Uttar Pradesh): It is his maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was not a maiden speech. I checked it up. Anyhow, we are a little liberal. No problem. Now, Shri Ghulam Nabi Azad.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं चेयर को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बड़े अर्से के बाद electoral reforms पर चर्चा हो रही है और इसीलिए सभी सदस्यों ने चेयर से यह निवेदन किया है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को समय के आँकड़ों में नहीं बांधना चाहिए, ताकि हम सब अपनी-अपनी बातें कह सकें।

सर, भारत को गौरव है कि सन् 1951 से लेकर लोक सभा के, पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शंस हुए, उनमें यहां की सरकार, विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता रहा और इलेक्शन कमीशन ने सबको इंसाफ और न्याय देने का प्रयास किया है। और हर इलेक्शन में आबादी बढ़ती गई, जिसके कारण वोटों की संख्या भी बढ़ी। हम सीखते रहे, भारत सीखता रहा, वोटर सीखते रहे, इलेक्शन कमीशन सीखता रहा, सरकार सीखती रही, कैंडिडेट्स सीखते रहे और खुशी इस बात की है कि लोगों का विश्वास जो हमने पहले इलेक्शन से प्राप्त किया था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जब कभी भी किसी कॉर्नर से कोई सुझाव आया, उस सुझाव को इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर किया और उसको लागू करने का प्रयास किया और सरकार ने तथा विपक्ष ने मिलकर उसका समाधान निकाला। हमें यह भी गौरव है कि विश्व के बहुत सारे देशों ने हमारे संविधान और हमारे इलेक्शन लड़ने के तरीके को समझा और अपने-अपने देशों में अपने तरीके से उसको कॉपी करके उसको लागू किया। यह बड़े गौरव की बात है। यही कारण है कि आज हमारा भारत भी विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमेशा हम कुछ सीखते हैं। इस बीच में मसल पावर का भी बहुत

इस्तेमाल हुआ। एक वक्त था कि बहुत शिकायतें आती थीं। मनी पावर की शिकायतें आती थीं और इस मसल पावर से निबटने के लिए एक हल निकाला गया कि EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। मनी पावर का इस्तेमाल न हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, विधान सभा का इलेक्शन हो, एक मंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना खर्च कर सकता है, उसी के बीच में ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा और दूसरा पांच सौ करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा। तो इसमें यह तय हुआ कि गरीब से गरीब भी उतना ही खर्च कर सकता है और अमीर से अमीर भी उतना ही खर्च करेगा। यह एक बहुत अच्छी बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन 1998-99 में शुरू-शुरू में कुछ जगहों पर शुरू हुई, पांच-पांच असेंबलियों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस तरह के दो राज्यों में और 2002 के विधान सभा और 2004 के पार्लियामेंट चुनावों में पूरे देश में इनका इस्तेमाल किया गया। तो जैसा हम 1951 से लेकर अभी तक इलेक्शन से सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी हम अभी सीख ही रहे हैं, यह भी एक नई चीज है। हमारे बहुत सारे सिस्टम में परिवर्तन लाया गया, अलग-अलग चीफ इलेक्शन कमिशनर्स और इलेक्शन कमीशन अलग-अलग सुझाव लाए, उनको इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें सुझाव लाने के लिए मैं बाद में आ जाता हूं, मैं सीधे EVM पर नहीं आना चाहता हूं।

महोदय, इलेक्शन कमीशन के सुधार के अलावा भी कई सुझाव आए थे, स्पेशल कमेटी appoint हुई थी, जिसमें इलेक्टोरल फंडिंग की बात हुई थी। लेकिन वह अभी ठंडे बस्ते में है, चाहे वह हमारा वक्त हो या आपका वक्त हो, मैं चाहूंगा कि माननीय लॉ मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में भी बताएं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार इससे सहमत है या नहीं सहमत है।

एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से तीन साल पहले उठा कि कैंडिडेट कितना खर्च कर पाएगा — विधान सभा और लोक सभा का, वह निर्धारित हुआ, वह तो तय हुआ। पहले कैंडिडेट जो खर्च करते थे, जब उन पर कोई अंकुश नहीं था, तो कोई सौ करोड़, दो सौ करोड़ और कोई दो लाख। जब उस candidate पर अंकुश लगा तो वह सिस्टम candidate से हटकर पार्टी में चला गया। एक पार्टी के पास एक helicopter भी नहीं है, एक पार्टी के पास एक helicopter है, दूसरी दो helicopters वाली है और एक मेरे सामने वाली पार्टी है...

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): مائے ڈپٹی چیئرمین سر، سب سے پہلے میں چیئر کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد الیکٹورل ریفارمس پر چرچہ ہو رہی ہے اور اسی لئے سبھی سڈسیوں نے چیئر سے یہ نویدن کیا ہے کہ اتنے اہم موضوع کو وقت کے آنکڑے میں نہیں باندھنا چاہئے، تاکہ ہم سب اپنی اپنی باتیں کہہ سکیں۔

سر، بھارت کو گورو ہے کہ سن 1951 سے لیکر لوک سبھا کے، پارلیمنٹ کے جتنے بھی الیکشنس ہوئے، ان میں یہاں کی سرکار، خاص طور سے الیکشن کمیشن ایک آئینی ذمہ داری نبھاتا رہا اور الیکشن کمیشن نے سب کو انصاف اور

† Transliteration in Urdu script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

نمائے دینے کی کوشش کی ہے۔ اور ہر الیکشن میں آبادی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ووٹوں کی تعداد بھی بڑھی۔ ہم سیکھتے رہے، بھارت سیکھتا رہا، ووٹر سیکھتے رہے، الیکشن کمیشن سیکھتا رہا، سرکار سیکھتی رہی، کینڈیڈیٹ سیکھتے رہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں کا وشواس جو ہم نے پہلے الیکشن سے حاصل کیا تھا، اس وشواس کو بنائے رکھنے کے لئے جب کبھی بھی کسی کارنر سے کوئی سچھاؤ آیا، اس سچھاؤ کو الیکشن کمیشن نے کنسڈر کیا اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی اور سرکار نے اور وپکش نے مل کر اس کا سمدھان نکالا۔ ہمیں یہ بھی گورو ہے کہ دنیا کے بہت سارے دیشوں نے ہمارے سنودھان اور ہمارے الیکشن لڑنے کے طریقے کو سمجھا اور اپنے اپنے دیشوں میں اپنے طریقے سے اس کو کاپی کر کے اس کو لاگو کیا۔ یہ بڑے گورو کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت بھی دنیا میں سب سے بڑا لوک تانترک دیش مانا جاتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہمیشہ ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ اس بیچ میں مثل پاور کا بھی بہت استعمال ہوا۔ ایک وقت تھا کہ بہت شکایتیں آتی تھیں۔ منی پاور کی شکایتیں آتی تھیں۔ اور اس مثل پاور سے نمٹنے کے لئے ایک حل نکالا گیا کہ ای۔وی۔ایم۔ مشینوں کا استعمال کیا جائے۔ منی پاور کا استعمال نہ ہو، اس کے لئے الیکشن کمیشن نے قدم اٹھائے کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، ودھان سبھا کا الیکشن ہو، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کتنا خرچ کر سکتا ہے، اسی کے بیچ میں ایسا نہیں کہ ایک غریب آدمی الیکشن ہی نہیں لڑ پائے گا اور دوسرا پانچ سو کروڑ خرچ کر پائے گا۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ غریب سے غریب بھی اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے اور امیر سے امیر بھی اتنا ہی خرچ کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی۔ الیکٹرونک مشین 99- میں شروع شروع میں کچھ جگہوں پر شروع ہوئیں، پانچ پانچ اسمبلیوں میں 1998 راجستھان، مدھیہ پردیش اور اس طرح کے دو راجیوں میں اور 2002 کے ودھان سبھا اور 2004 کے پارلیمنٹ چناؤ میں پورے دیش میں ان کا استعمال کیا گیا۔ تو جیسا ہم 1951 سے لے کر ابھی تک الیکشن سے سیکھ رہے ہیں، الیکٹرونک مشین کو بھی ہم ابھی سیکھ ہی رہے ہیں، یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ ہمارے بہت سارے سسٹم میں تبدیلی لائی گئی، الگ الگ چیف الیکشن کمشنرس اور الیکشن کمیشن الگ

الگ سجھاؤ لائے، ان کو امپلیمینٹ کیا۔ تو اس میں سجھاؤ لانے کے لئے میں بعد میں آ جاتا ہوں، میں سیدھے ای-وی-ایم۔ پر نہیں آنا چاہتا ہوں۔

مہودے، الیکشن کمیشن کے سدھار کے علاوہ بھی کئی سجھاؤ آئے تھے اسپیشل کمیٹی appoint ہوئی تھی، جس میں الیکٹورل فنڈنگ کی بات ہوئی تھی۔ لیکن وہ ابھی ٹھنڈے بستے میں ہے، چاہے وہ ہمارا وقت ہو یا آپ کا وقت ہو، میں چاہوں گا کہ مائٹے لاء منسٹر صاحب اپنے جواب میں الیکٹورل فنڈنگ کے بارے میں بھی بتائیں کہ سرکار کا نظریہ کیا ہے، سرکار اس سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے۔ ایک بہت بڑا کوٹیشن پچھلے کچھ سالوں میں، خاص طور سے تین سال پہلے اٹھا کہ کینڈیڈیٹ کتنا خرچ کر پائے گا — ودھان سبھا اور لوک سبھا کا، وہ نردھارت ہوا، وہ تو طے ہوا۔ پہلے کینڈیڈیٹ جو خرچ کرتے تھے، جب ان پر کوئی انکس نہیں تھا تو کوئی سو کروڑ، دو سو کروڑ اور کوئی دو لاکھ۔۔۔۔۔ جب اس candidate پر انکس لگا تو وہ سسٹم candidate سے ہٹ کر پارٹی میں چلا گیا۔ ایک پارٹی کے پاس بیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، ایک پارٹی کے ایک بیلی کاپٹر ہے دوسری دو بیلی کاپٹر والی ہے اور ایک میرے سامنے والی پارٹی ہے۔

श्री नरेश अग्रवाल: 16 helicopters हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: नहीं, यूपी में 86 helicopters और जहाज हैं - 86 छोटे जहाज। जब मैं Civil Aviation Minister था, तो हमने Hub and Spoke Policy की थी। Hub and Spoke पॉलिसी थी कि छोटे airports से छोटे जहाजों में लोगों को, passengers को उठा लो और बड़ी जगह लाओ। वहां उन्हें बड़े जहाज में भरों और आगे भेज दो या बड़े जहाजों से आप लोगों को लाओ और फिर उन्हें अगर छोटी जगह भेजना है तो दिल्ली या मुंबई में उन्हें छोटे जहाजों में भरों और वे अपने-अपने छोटे एरियाज में, छोटे जहाजों में जाएं। यह Hub and Spoke हमने नहीं देखा, अब helicopters भी लगते हैं और जहाज भी, कई जेट्स भी लगते हैं, Hub and Spoke पॉलिसी दिल्ली से, मुंबई से जहाजों में, जेट्स में उन्हें उठाओ और लखनऊ में ले जाओ या जयपुर में ले जाओ या मध्य प्रदेश में ले जाओ या अहमदाबाद में ले जाओ और वहां फिर helicopters से आगे भेज दो — यह Hub and Spoke पॉलिसी जो 1992-93 में बनी, वह बिहार और यूपी के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर थी, जहां 60-60 जहाज और helicopters, 70-70, 80-80 जहाज और helicopters Hub and Spoke कर रहे हैं, लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसमें तो imbalance हो गया। उसमें कितने पैसे लगते हैं, candidate के लिए आप दस लाख करें या पांच लाख करें, लेकिन यहां तो दस हजार करोड़, पांच हजार करोड़, 20 हजार करोड़ इसमें लग गए। यह हमने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा और वह बराबर चलता आया है। माननीय चेयरमैन साहब, इस सूरत में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

है, एक पार्टिकुलर पार्टी ही लड़ सकती है, जिनके पास पैसा हो। इसका मतलब है कि लोकतंत्र, जिसमें पहले साफ-सुथरे इलेक्शंस करने की बात हुई, पारदर्शिता की बात हुई, वह पारदर्शिता तो खत्म हो गयी। एक तरफ कुछ पार्टियों के पास पैसे नहीं हैं और एक पार्टी के पास दुनिया है, समुद्र जितना पैसा है। इसलिए मेरे ख्याल में इस electoral reform में सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस में लानी चाहिए कि किन पार्टियों के पास — जो National Parties हैं, उन पर सीमा हो कि वे इतने helicopters लगा सकती हैं, उससे ज्यादा जहाज़ नहीं लगा सकतीं, पब्लिक मीटिंग के लिए कितने करोड़ हों, एक पब्लिक मीटिंग के लिए आप पांच करोड़ खर्च करिए, आप पूरे स्टेट से जमा करके लाओ या पूरे हिन्दुस्तान से जमा करके लाओ, वह कहीं दिखा नहीं है। फिर इन सब पार्टियों के खर्च का ऑडिट होना चाहिए और पार्लियामेंट के पटल पर रखना चाहिए कि किस पार्टी ने कितने जहाज़, कितने helicopters, कितना रैलियों पर खर्चा किया, तब मैं समझता हूँ कि पारदर्शिता आएगी, वरना जो यह एक सबसे बड़ा flaw पिछले ढाई-तीन सालों से हमारे electoral system में बढ़ गया है, इसका मुकाबला करना किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा।

सर, इसी तरह से EVM है। जैसा मैंने कहा, EVM सन् 1998 में शुरू हुई थी और आगे बढ़कर सन् 2002 में पूरे स्टेट्स के इलेक्शंस में यह यूज़ हुई और सन् 2004 से आगे पार्लियामेंट में भी चालू हो गयी। इसमें मैं यह नहीं कहूंगा कि सन् 1998 में किसकी सरकार थी, 1999 में किसकी सरकार थी, 2002 में किसकी सरकार थी, मैं किसी सरकार पर दोष नहीं लगाना चाहता, एक अच्छी उम्मीद के साथ कि अगर muscle power को खत्म करना है तो EVM system को लाना चाहिए, लेकिन इस EVM system पर भी अब कहीं न कहीं लोगों का शक बढ़ गया है।

सर, आज दुनिया बहुत छोटी है, आज अगर कहीं किसी को सिर में दर्द भी होता है तो वह गूगल देखता है, पेट में दर्द होता है तो गूगल देखता है, पता नहीं हमारा डॉक्टर ठीक कह रहा है या अमेरिका का डॉक्टर, ब्रतानिया का डॉक्टर दूसरी बात कह रहा है — तो वह गूगल को refer करता है, डॉक्टर को कम refer करता है। इसी तरह से EVM ... (व्यवधान) ... हमारे अमेरिका और लंदन में भी डॉक्टर्स हैं, फिक्र मत करो। ... (व्यवधान) ...

† جناب غلام نبی آزاد: یو۔پی۔ میں 86 بیلی کاپٹرس اور جہاز ہیں، 86 چھوٹے جہاز۔ جب میں سول ایوٹیشن منسٹر تھا، تو ہم نے Hub and Spoke Policy کی تھی۔ Hub and Spoke پالیسی تھی کہ چھوٹے ایئرپورٹس سے چھوٹے جہازوں میں لوگوں کو، پیسینجرس کو اٹھا لو اور بڑی جگہ لاؤ۔ وہاں انہیں بڑے جہاز میں بھرو اور آگے بھیج دو یا بڑے جہازوں سے آپ لوگوں کو لاؤ اور پھر انہیں اگر چھوٹی جگہ بھیجنا ہے تو دہلی یا ممبئی میں انہیں چھوٹے جہازوں میں بھرا اور وہ اپنے اپنے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے جہازوں میں جائیں۔ یہ Hub and Spoke ہم نے نہیں دیکھا، اب بیلی کاپٹرس بھی لگتے ہیں، اور جہاز بھی، کئی جیٹس بھی

† Transliteration in Urdu script.

لگتے ہیں، Hub and Spoke پالیسی دہلی سے، ممبئی سے جہازوں میں، جیسے میں انہیں اٹھاؤ اور لکھنؤ میں لے جاؤ یا جے پور میں لے جاؤ یا مدھیہ پردیش میں لے جاؤ یا الہ آباد میں لے جاؤ اور وہاں پھر بیلی کاپٹر سے آگے بھیج دو — یہ Hub and Spoke پالیسی جو 93-1992 میں بنی، وہ بہتر اور یوپی کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر تھی۔ جہاں 60-60 جہاز اور بیلی کاپٹرس، 70-70، 80-80 جہاز اور helicopters Hub and Spoke کر رہے ہیں، لانے کے لئے، ٹرانسپورٹ

کرنے کے لئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں imbalance ہو گیا۔ اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں، candidate کے لئے آپ دس لاکھ کریں یا پانچ لاکھ کریں۔ لیکن یہاں تو دس ہزار کروڑ، پانچ ہزار کروڑ، بیس ہزار کروڑ اس میں لگ گئے۔ یہ ہم نے 2014 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں دیکھا اور وہ برابر چلتا آیا ہے۔ مائے چیئرمین صاحب، اس صورت میں کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، ایک particular پارٹی ہی لڑ سکتی ہے، جن کے پاس پیسہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوک تتر، جس میں پہلے صاحب ستھرے الیکشنس کرنے کی بات ہوئی، شفافیت کی بات ہوئی، وہ شفافیت تو ختم ہو گئی۔ ایک طرف کچھ پارٹیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک پارٹی کے پاس دنیا ہے، سمندر جتنا پیسہ ہے۔ اس لئے میرے خیال میں اس الیکٹورل ریفارمز میں سب سے بڑی چیز جو ہونی چاہئے، الیکشن کمیشن کو نوٹس میں لانی چاہئے کہ کن پارٹیز کے پاس — جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان پر سیما ہو کہ وہ اتنے بیلی کاپٹر لگا سکتی ہیں، اس سے زیادہ جہاز نہیں لگا سکتیں، پبلک میٹنگ کے لئے کتنے کروڑ ہوں، ایک پبلک میٹنگ کے لئے آپ پانچ کروڑ خرچ کرئے۔ آپ پورے اسٹیٹ سے جمع کر کے لاؤ یا پورے ہندوستان سے جمع کر کے لاؤ، وہ کہیں دکھا نہیں ہے۔ پھر ان سب پارٹیوں کے خرچے کا آڈٹ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے پٹل پر رکھنا چاہئے کہ کس پارٹی نے کتنے جہاز، کتنے بیلی کاپٹر، کتنا ریلیوں پر خرچہ کیا، تب میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت آئے گی، ورنہ جن یہ ایک سب سے بڑا flaw ہے پچھلے ڈھائی تین سالوں سے ہمارے ہمارے الیکٹورل سسٹم میں بڑھ گیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا کسی بھی چھوٹی یا بڑی پارٹی کے لئے بہت مشکل ہوگا۔ سر، اسی طرح سے ای-وی-ایم۔ ہے۔ جیسا میں نے کہا، ای-وی-ایم سن 1998

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

میں شروع ہوئی تھا اور آگے بڑھے کر سن 2002 میں پورے اسٹیس کے الیکشنس، میں یہ یوز ہوئی اور سن 2004 سے آگے پارلیمنٹ میں بھی چالو ہو گئی۔ اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سن 1998 میں کس کی سرکار تھی، 1999 میں کس کی سرکار تھی، 2002 میں کس کی سرکار تھی، میں کسی سرکار پر الزام نہیں لگا نا چاہتا، ایک اچھی امید کے ساتھ کہ اگر muscle power کو ختم کرنا ہے تو ای-وی-ایم۔ سسٹم کو لانا چاہئے، لیکن اس ای-وی-ایم۔ سسٹم پر بھی اب کہیں نہ کہیں لوگوں کا شک بڑھ گیا ہے۔

سر، آج دنیا بہت چھوٹی ہے، آج اگر کہیں کسی کو سر میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ گوگل دیکھتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو گوگل دیکھتا ہے، پتہ نہیں ہمارا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے یا امریکہ کا ڈاکٹر، برطانیہ کا ڈاکٹر، دوسری بات کہہ رہا ہے — تو وہ گوگل کو ریفر کرتا ہے، ڈاکٹر کو کم ریفر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ای-وی-ایم۔ --- (مداخلت)۔۔۔ ہمارے امریکہ اور لندن میں بھی ڈاکٹرس ہیں، فکر مت کرو --- (مداخلت)۔۔۔

श्री दरेक ओब्राइन (पश्चिमी बंगाल): मेरी पत्नी भी अमेरिका में डॉक्टर है। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हमारे 85 हजार डॉक्टर्स अमेरिका में हैं और 70 हजार डॉक्टर्स लंदन में हैं। इसलिए वहां भी जब जाते हो, तब वहां भी हमारे डॉक्टर्स ही इलाज करते हैं ... (व्यवधान)...

†جناب غلام نبی آزا: ہمارے 85 ہزار ڈاکٹرس امریکہ میں ہیں اور 70 ہزار ڈاکٹرس لندن میں ہیں۔ اس لئے وہاں بھی جب جاتے ہو، تب وہاں بھی ہمارے ڈاکٹرس ہی علاج کرتے ہیں --- (مداخلت)۔۔۔

SHRI DEREK O'BRIEN: My wife is a doctor there only.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Okay. This is what I said. There also, we go to our doctors only.

श्री नरेश अग्रवाल: वे पेशेंट्स की डॉक्टर हैं और ये जनता के डॉक्टर हैं। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर، कहीं न कहीं EVM शंका के घरे में आ गई हैं। मायावती जी ने इनके बारे में कहा है। उससे पहले मुंबई के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे सभी पार्टीज के लोगों ने बात कही, मायावती जी ने बड़े पैमाने पर शंका जाहिर की और उससे पहले असम के गोगोई

† Transliteration in Urdu script.

جی نے لاسٹ ईयर इस पर बात की थी और उन्होंने शंका जाहिर की थी कि EVM में गड़बड़ है। मैं समझना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने जिन्होंने EVM को शुरू किया था, EVM मशीन्स को शुरू किया था, उनमें जर्मनी से लेकर इटली तक ने और दुनिया भर के कंट्रीज़ ने इस EVM सिस्टम को बंद किया। ... (व्यवधान)...

†جناب غلام نبی آزاد: سر، کہیں نہ کہیں ای-وی-ایم شک کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ مایاوتی جی نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ اس سے پہلے ممبئی کے الیکشن ہوئے اس میں ہمارے سبھی پارٹیز کے لوگوں نے بات کہی، مایاوتی جی نے بڑے پیمانے پر شک ظاہر کیا اور اس سے پہلے آسام کے گوگوئی جی نے پچھلے سال اس پر بات کی تھی اور انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ ای-وی-ایم۔ میں گڑبڑ ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری کنٹریز نے جنہوں نے ای-وی-ایم۔ کو شروع کیا تھا ای-وی-ایم۔ مشینس کو شروع کیا تھا، ان میں جرمنی سے لے کر اٹلی تک نے اور دنیا بھر کے ممالک نے اس ای-وی-ایم۔ سسٹم کو بند کیا۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): पंजाब के बारे में ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आजाद: पंजाब भी हो सकता है। शिकायत तो आप कहीं भी कर सकते हो। ... (व्यवधान) ... पंजाब की भी शिकायत कर सकते हैं। ... (व्यवधान) ... आप यू.पी. का इलेक्शन दोबारा करिए, हम भी पंजाब का करेंगे। मैं challenge करता हूँ। ... (व्यवधान) ... आप करिए। आप करिए। ... (व्यवधान) ... बगैर वोटिंग मशीन के ... (व्यवधान) ... आप डिब्बे से यू.पी. का इलेक्शन करिए, हम भी पंजाब का करेंगे। ... (व्यवधान) ... आप करिए। हम तैयार हैं। ... (व्यवधान) ... गोवा में नहीं, आप यू.पी. में करिए। ... (व्यवधान)...

†جناب غلام نبی آزاد: پنجاب بھی ہو سکتا ہے۔ شکایت تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ پنجاب کی بھی شکایت کر سکتے ہیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ آپ یو۔پی۔ کا الیکشن دوبارہ کرئے، ہم بھی پنجاب کا کریں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ آپ کرئے۔ آپ کرئے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ بغیر ووٹنگ مشین کے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ آپ ڈبے سے یو۔پی۔ کا الیکشن کرئے، ہم بھی پنجاب کا کریں گے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ آپ کرئے۔ ہم تیار ہیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ گووا میں نہیں، آپ یو۔پی۔ میں کرئے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश): हारा हुआ तो हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। ... (व्यवधान)...

† Transliteration in Urdu script.

श्री गुलाम नबी आजाद: आप यू.पी. में, एक ही स्टेट में करिए। ...**(व्यवधान)**... कोई न कोई तो कारण होगा, जब इंग्लैंड कहता है कि मुझे तो करना ही नहीं है। हम रातों रात इतने अद्भुत कैसे बन गए कि जो चीज अमेरिका और ब्रितानिया नहीं करे, जर्मनी और फ्रांस नहीं करे और हम कहें कि नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उनसे भी बहुत आगे हैं। इसलिए कहीं न कहीं, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, इसमें शक है और इसको दिखाना चाहिए। इसके लिए भी जब हमारे वक्त में, इस पर बहस हुई थी कि एक मशीन है, जो Voter-Verified Paper Audit Trail है, वह लगानी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2013 में, almost fag end था हमारी गवर्नमेंट का, उस वक्त यह ऑर्डर किया। उसके बाद यह कई जगहों पर, थोड़ी-थोड़ी जगहों पर इस्तेमाल हुआ। यह इसलिए कम जगह पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा। हमारे तुरंत जाने के बाद ही 2014 में इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि उनको 16 लाख Voter-Verified Paper Audit Trail लगाने के लिए 3,100 करोड़ रुपया चाहिए। उस दिन से, 2014 से लेकर जनवरी, 2017 तक इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को 10 रिमाइंडर्स भेजे और अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि दो-चार महीने पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी को SOS भेजा और यह शायद भारत के इतिहास में पहली दफा होगा कि जब इतना desperate हो गया इलेक्शन कमीशन कि जब कोई फैसला लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं लिया, तो चीफ इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया कि उसने माननीय प्रधान मंत्री जी को SOS भेजा। क्या वजह है? क्या इसमें आपको गड़बड़ी नहीं दिखती है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये 16 लाख VVPATs लगाने के लिए आपको दो से तीन साल लगते हैं? अगर आपने इसको 2014 में किया होता, तो अभी दो महीने में या यू.पी. के इलेक्शन में भी यह लग गया होता। आप ने इसे रोके रखा। अब अगर आज भी यह लोक सभा के election और आने वाले विधान सभाओं के election में नहीं लग पाया और फिर इस में कोई चोरी होती है, तो वह चोरी बराबर जारी रहेगी। इसलिए शक होता है। अगर गवर्नमेंट साफ-सुथरी है और इस में गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, तो फिर 3 साल से आप यह क्यों नहीं कर रहे हैं? महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि अभी जो विधान सभाओं के election होने वाले हैं, उन में आप लोगों को एक चीज करनी होगी कि जितनी जगहों पर ये मशीनें available हैं, उतनी जगह करिए और बाकी जगह बॉक्स के जरिए करिए वरना ऐसे नहीं चलेगा कि Election Commission के कहने और सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी अगर कोई गवर्नमेंट इसे implement नहीं करती है, तो गवर्नमेंट की नीयत पर शक होता है कि कहीं दाल में काला है ...**(व्यवधान)**.. बल्कि पूरी दाल काली है। यह शुरूआत गुजरात से और हिमाचल दोनों जगह से करनी चाहिए वरना मैंने बताया कि अगर आपके पास पूरी मशीनें नहीं हैं, तो जैसे हम ballot paper को हाथ से बक्से में डालते थे, वैसे दोबारा करवाइए। ...**(व्यवधान)**... यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैंने बताया जो अक्टूबर, 2013 का है, उस के बाद फरवरी से election शुरू हो गए थे। उस वक्त भी उन तीन महीनों में आपको कुछ मशीनें दी गयी थीं और 2014 की मई में यह सरकार बनी और जून में आपकी सरकार को Election Commission ने लेटर लिखा और फरवरी, 2017 तक, जब कि Chief Election Commission ने directly प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, तब तक वे 10 रिमाइंडर्स भेज चुके हैं। सर, 10 रिमाइंडर्स, एक पहला लेटर और एक एसओएस — 12 लेटर्स तीन साल में भेजे गए हैं। आप हमें क्या कहते हैं कि दो महीने में out-going government कर सकती थी? इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और 10 या 12 लेटर्स और एसओएस यह सरकार नहीं मानती है, तब भारत की जनता को शक हो जाता है कि Electoral machines में गड़बड़ की जाती है और

یہی وجہ ہے کہ جہاں یو.پی. میں آپکو 100 سیٹس آسانی سے دیے گئے، وہاں 325 سیٹس ملیں گی۔ یہ سب اس مशीن کا کام ہے، یہ ووٹر کا کام نہیں ہے۔ ..(وحدان).. میں آپکو بتاؤں 2009 میں Election Commission نے لکھ کر نہیں دیا تھا، سؤپریم کورٹ نے لکھ کر نہیں دیا تھا، 2013 اؤکٹوبر میں یہ لکھ کر دیا ہے۔

ماننی ڈیڈی چیئرمین سانب میں اک اور مودا یہاں اٹانا ااہتا ہوں، جسکی بھی ضرورت Electoral reforms میں ہے۔ کئی دیشوں میں یہ سسٹم تھا، آج 20 پرسنٹ کسی کو ووٹ ملتا ہے، پیر candidate ااہے کسی پارٹی کا هو، وہ جیت جاتا ہے، لکین بھو سے دیش اس سسٹم سے اب First-past-the-post voting system میں االے گا۔ اس کا مائلب یہ ہے کہ اگر آج ٹوٹل 60 پرسنٹ ووٹ ملے اور 60 میں سے 20 پرسنٹ اک candidate کو مل گا، وہ جیت گا اور 60 میں سے 40 پرسنٹ اور االگ-االگ candidates کو ملے۔ پیر اگر آپ 100 پرسنٹ کا لے لینگے تو پیر جیتنے والے کو سیرف 10 یا 15 پرسنٹ ااہیگا۔ تو جیسے کہ 2014 کے election میں آپکو سیرف 31 پرسنٹ ملے اور آپ سیکندر بن گا ... (وحدان)... ہاں، ہم بھی بنے، لکین 31 پرسنٹ میں کبھی نہیں بنے تھے۔ ہم 51 پر بھی بنے ہیں۔ ... (وحدان)... تو اس سسٹم کو بھی... ہمنے کئی چیئیں دوسرے دیشوں کو دی ہیں، ہمنے کئی چیئیں ان دیشوں سے بھی سیکھنی ااہیگا۔ میرے خیال میں لاکٹنٹ میں سبکی باٹ سوننی ااہیگا اور اسکو implement کرانا ااہیگا۔

سر، یہ میرے کوء سؤاا تھے اور موءے پورا विश्वास ہے کہ سارکار ان سؤااؤں کو विश्वास کی باٹ ن سمالکر، اسکو مانےگا۔ جیسا میں نے شرو میں ہی کھا ہے کہ لاکٹنٹ کو مابوٹ کرنے کے لیے electoral system کو مابوٹ کرنے کے لیے، ہارت کے لاکٹنٹ میں جس ارھ سے بھی اور جہاں سے بھی سؤاا آاے ہیں، ہمنے ہمیشا وے سؤاا مانے ہیں اور ہارت کا لاکٹنٹ विश्व میں سب سے بڑا رھے، ہمنے اس کے لیے پراس کیا ہے۔ موءے پورا विश्वास ہے کہ یہ سارکار بھی اس دیشا میں کدم اٹاےگی، بھو-بھو دھنواا۔

†جناب غلام نبی آزاد: آپ یو۔پی۔ میں، ایک ہی اسٹیٹ میں کرے۔۔۔ (مداخت)۔۔۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، جب انگلیڈ کہتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم راتوں رات اتنے ادبھت کیسے بن گئے کہ جو چیز امریکہ اور برطانیہ نہیں کرے، جرمنی اور فرانس نہیں کرے اور ہم کہیں نہ کہیں، ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ان سے بھی بہت آگے ہیں، اس لئے کہیں نہ کہیں، مانئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، اس میں شک ہے اور اس کو دکھانا ااہئے۔ اس کے لئے بھی جب ہمارے وقت میں، اس پر بحث ہوئی تھی کہ ایک مشین ہے، جو Voter-Verified Paper Audit Trail ہے، وہ لگانی ااہئے۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے اکتوبر 2013 میں۔ almost fag end تھا ہماری گورنمینٹ کا، اس وقت یہ آرڈر کیا۔ اس کے بعد یہ کئی جگہ پر، تھوڑی تھوڑی جگہوں پر استعمال ہوا۔ یہ اس لئے کم

† Transliteration in Urdu script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

جگہوں پر استعمال ہوا، کیوں کہ اس میں بہت پیسہ لگے گا۔ ہمارے فوراً جانے کے بعد ہی 2014 میں الیکشن کمیشن نے لاء منسٹری کو لکھا کہ ان کو سولہ لاکھ Voter-Verified Paper Audit Trail لگانے کے لئے 3100 کروڑ روپیہ چاہئے۔ اس دن سے، 2014 سے لے کر جنوری، 2017 تک الیکشن کمیشن نے لاء منسٹری کو 10 ریمائنڈرس بھیجے اور ابھی جو انڈین ایکسپریس میں چھپا ہے کہ دو چار مہینے پہلے چیف الیکشن کمیشن نے خود مائٹے پردھان منتری جی کو ایس-او-ایس۔ بھیجا اور یہ شاید بھارت کے اتھاس میں پہلی دفعہ ہوگا کہ جب اتنا desperate ہو گیا الیکشن کمیشن کہ جب کوئی فیصلہ لاء منسٹری نے نہیں لیا، تو چیف الیکشن کمیشن مجبور ہو گیا کہ اس نے مائٹے پردھان منتری جی کو ایس-او-ایس۔ بھیجا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں آپ کو گڑبڑی نہیں دکھتی ہے؟ اگر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، تو یہ سولہ لاکھ WVPATs لگانے کے لئے آپ کو دو سے تین سال لگتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو 2014 میں کیا ہوتا، تو ابھی دو مہینے میں یا یو۔پی۔ کے الیکشن میں بھی یہ لگ گیا ہوتا۔ ا پ نے اسے روکے رکھا۔ اب اگر ا ج بھی یہ لوک سبھا کے الیکشن اور ا نے والے ودھان سبھاؤں کے الیکشن میں نہیں لگ پایا اور پھر اس میں کوئی چوری ہوتی ہے، تو وہ چوری برابر جاری رہے گی۔ اس لیے شک ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ صاف ستھری ہے اور اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، تو پھر تین سال سے ا پ یہ کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مہودے، میں یہ بھی چاہونگا کہ ابھی جو ودھان سبھاؤں کے الیکشن ہونے والے ہیں، ان میں ا پ لوگوں کو ایک چیز کرنی ہوگی کہ جتنی جگہوں پر یہ مشینیں موجود ہیں، اتنی جگہ کرئیے اور باقی جگہ باکس کے ذریعے کرئیے ورنہ ایسے نہیں چلے گا کہ الیکشن کمیشن کے کہنے اور سپریم کورٹ کے کہنے سے بھی اگر کوئی گورنمنٹ اسے امپلی مینٹ نہیں کرتی ہے تو گورنمنٹ کی نیت پر شک ہوتا ہے کہ کہیں دال میں کالا ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ شروعات گجرات سے اور ہماچل دونوں جگہ سے کرنی چاہیئے ورنہ میں نے بتایا کہ اگر ا پ کے پاس پوری مشینیں نہیں ہیں، تو جیسے ہم بیلٹ پیپر کو ہاتھ سے بکسے میں ڈالتے تھے، ویسے دوبارہ کرواتے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے بتایا جو اکتوبر 2013 کا ہے اسے کے بعد فروری

سے الیکشن شروع ہو گئے تھے اس وقت بھی ان تین مہینوں میں ا پ کو کچھ مشینیں دی گئی تھیں اور 2014 کی مئی میں یہ سرکار بنی اور جون میں ا پ کی سرکار کو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا اور فروری 2017 تک، جب کہ چیف الیکشن کمیشن نے، ڈائریکٹری پرائم منسٹر کو خط لکھا، تب تک وہ 10 ریماٹینڈرس بھیج چکے ہیں۔ سر ریماٹینڈرس، ایک پہلا لیٹر اور ایک ایس او ایس، 12 لیٹرس تین سال میں بھیجے گئے ہیں۔ ا پ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ دو مہینے میں out-going Government کر سکتی تھی؟ اس لیے جب سپریم کورٹ کے فیصلہ اور 10 یا 12 لیٹرس اور ایس او ایس یہ سرکار نہیں مانتی ہے، تب بھارت کی جنتا کو شک ہو جاتا ہے کہ الیکٹورل مشین میں گڑ بڑ کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں یوپی میں ا پ کو 100 سیٹیں ا نی چاہیئے تھیں، وہاں 325 سیٹیں ملیں۔ یہ سب اس مشین کا کام ہے، یہ ووٹر کا کام نہیں ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ میں ا پ کو بتاؤں 2009 میں الیکشن کمیشن نے لکھ کر نہیں دیا تھا، سپریم کورٹ نے لکھ کر نہیں دیا تھا، 2013 اکتوبر میں یہ لکھ کر دیا ہے۔

مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب میں ایک اور مدعہ یہاں اٹھانا چاہتا ہوں، جس کی بھی ضرورت الیکٹورل ریفرمس میں ہے۔ کئی دیشوں میں یہ سسٹم تھا، ا ج بیس فیصد کسی کو ووٹ ملتے ہیں، پھر امیدوار چاہے کسی پارٹی کا ہو، وہ جیت جاتا ہے، لیکن بہت سے دیش اس سسٹم سے اب First-past-the-post voting system میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ا ج ٹوٹل ساٹھ فیصد ووٹ ملے اور ساٹھ فیصد میں سے بیس فیصد ایک امیدوار کو مل گئے، وہ جیت گیا اور ساٹھ میں سے چالیس فیصد اور الگ الگ امیدواروں کو ملے۔ پھر اگر ا پ سو فیصد کا لے لیں گے تو پھر جیتنے والے کو صرف دس یا پندرہ فیصد چاہیئے۔ تو جیسے کہ 2014 کے الیکشن میں ا پ کو صرف 31 فیصد ووٹ ملے اور آپ سکندر بن گئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ہاں ہم بھی بنے لیکن 31 فیصد میں کبھی نہیں بنے تھے۔ ہم 51 پر بھی بنے ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ تو اس سسٹم کو بھی۔۔۔ ہم نے کئی چیزیں دوسرے دیشوں کو دی ہیں، ہمیں کئی چیزیں ان دیشوں سے بھی سیکھنی چاہئے۔ میرے خیال میں لوک تنتر میں سب کی بات سننی چاہئے اور اس کی امپلیمنٹ کرانا چاہئے۔

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

سر، یہ میرے کچھ سجھاؤ تھے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ سرکار ان سجھاؤں کو وپکش کی بات نہ سمجھ کر، اس کو مانے گی۔ جیسا میں نے شروع میں ہی کہا ہے کہ لوک تتر کو مضبوط کرنے کے لئے الیکٹورل ریفرمس کو مضبوط کرنے کے لئے، بھارت کے لوک تتر میں جس طرح سے بھی اور جہاں سے بھی سجھاؤ آئے ہیں، ہم نے ہمیشہ وہ سجھاؤ مانے ہیں اور بھارت کا لوک تتر دنیا میں سب سے بڑا رہے، ہم نے اس کے لئے کوشش کی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سرکار بھی اس دشا میں قدم اٹھائے گی، بہت بہت دھنیواد۔

श्री भूपेंद्र यादव (राजस्थान): उपसभापति महोदय, जब यह विषय सदन में चर्चा के लिए रखा गया था, तो मैं यह उम्मीद कर रहा था कि चुनाव पर जो चर्चा होगी, वह व्यापकता के साथ होगी, लेकिन बहुत आदर और सम्मान तथा बड़ी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की बातों से ऐसा लगा कि कोई दर्द अभी भी उनके मन में बचा हुआ है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपका संसदीय अनुभव भी बहुत है, लेकिन आज जो यह देश का लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, इसका कारण संसद की सर्वोच्चता तो है ही, हमारा गतिशील संविधान तो है ही, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हैं, हमारे यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे यहां सेना गैर-राजनीतिक है और हमारे यहां चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। अच्छा होता, यदि आप एक बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता की तारीफ करते और अच्छा होता यह सदन इसके चुनाव reforms को ...(व्यवधान)... चलिए, हम सुधार लेते हैं। जब इसके चुनाव reforms की चर्चा हो रही है, तो मेरा यह कहना है ...(व्यवधान)....

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आपने पहले से तैयार कर लिया है।

†جناب غلام نبی آزاد: ا پ نے پہلے سے تیار کر لیا ہے۔

श्री भूपेंद्र यादव: मुझे लगता है कि यह सदन इस बात की भी बधाई दे कि इस देश में चुनाव की जो आदर्श आचार-संहिता है, वह कोई कानून नहीं है, वह राजनीतिक दलों की परस्पर सहमति है। इस लोकतंत्र को सबने मिलकर बड़ा किया है, इसलिए हमारे यहां जो सबसे बड़ा निष्पक्ष चुनाव आयोग है, इस प्रश्न का जवाब इसी बात से जाना जाता है कि जो EVMs होती हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है, वे वहां के कलैक्टर के पोजेशन में होती हैं। इसमें इसीलिए भी निष्पक्षता है कि पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल की सरकार थी, तो निश्चित रूप से उनके शासन के अंडर थी और उन्होंने विनम्रता के साथ मंडेट को स्वीकार किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी EVMs वहां की तत्कालीन सरकार के प्रशासनिक पोजेशन में थीं और बिहार में भी वहां के प्रशासनिक पोजेशन में थी। जब दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक का है, ऊपर से मॉनिटरिंग चुनाव आयोग की है, तो हम सबको चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्वीकार करना होगा। यह देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जब हम चुनाव reforms की

† Transliteration in Urdu script.

बात कर रहे हैं, तो यहां यह कहना चाहूंगा कि केवल चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है, Governance देना लक्ष्य है। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि हर तीन महीने में चुनाव हैं। हर 4 महीने में, 6 महीने में 3 राज्यों का, 4 राज्यों का और 6 राज्यों का चुनाव होता है। मैं अपने प्रदेश से उदाहरण देना चाहूंगा कि अक्टूबर में, जब हमारे प्रदेश में चुनाव थे, तो जुलाई, अगस्त में आचार-संहिता आई। वहां अक्टूबर में चुनाव हुए और दिसम्बर में सरकार बनी। जब जनवरी में आचार-संहिता का काम शुरू किया तो फरवरी में लोक सभा के चुनाव आ गए, लोक सभा के चुनाव समाप्त हुए, तो पंचायत के चुनाव आ गए। जब एक राज्य में एक साल से ज्यादा आदर्श आचार-संहिता लगती है, तो पांच साल में governance के लिए, पूरे देश में, पांच साल में एक बार चुनाव हों, इसके लिए simultaneous चुनाव के बारे में सोचना होगा। यह जो simultaneous चुनाव है, इस simultaneous चुनाव को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने विषय में रखा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न forums पर, मंचों पर यह कहा है कि देश में simultaneous चुनाव होने चाहिए। इसी संसद की समिति ने, जिसमें, उस तरफ से नाच्वीयप्पन साहब उस समिति के चेयरमैन थे, मैं भी उस समिति में सदस्य था, हमने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस दिया, राज्य सरकारों को दिया, चुनाव आयोग को भी दिया और दिसम्बर, 2016 या 2017 में चुनाव आयोग की अपनी कमेटी की रिपोर्ट, जो इस सदन में 2015 में प्रस्तुत भी हुई थी, उसमें एक व्यावहारिक रास्ता निकाला गया। क्योंकि ब्रिटेन में भी उन्होंने, उनकी जो असेम्बली है, उसका समय तय किया था, लेकिन हमारे देश में क्योंकि 29 राज्य हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि क्या हम 16 राज्यों और 19 राज्यों के, दो भागों में ढाई-ढाई साल के अंतर पर, एक निश्चित टर्म के अंदर चुनाव कर सकते हैं? क्या हम इस देश को हमेशा चुनाव लड़ने का देश बनाना चाहते हैं या चुनाव द्वारा, सरकार चुनकर, पांच साल में स्थायी विकास के आधार पर इस देश को खड़ा करना चाहते हैं?

उपसभापति जी, जब इस देश में पांच साल में simultaneous चुनाव होंगे, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राजनीतिक दलों के खर्चे में भी बचत आएगी। राजनीतिक दलों के खर्चे में सादगी होना आवश्यक है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे दल ने या किसी भी दल ने कितने helicopters रखे हैं, इसकी एक-एक पाई का पूरा हिसाब, ऑडिट के साथ चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। आप पहले वहां जाकर देखिए, उसके बाद कोई आरोप लगाइए। हम आपसे बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहते हैं।

राजनीति में सादगी आना, राजनीति में कम पैसे आना, अगर इसकी शुरुआत किसी ने की तो वह जनसंघ ने की और भारतीय जनता पार्टी ने की। ...(व्यवधान)... हम राजनीति में कम खर्चे के हिमायती हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र): नगर पालिका का देखिए।

श्री भूपेंद्र यादव: हमें हमारे दल में इस बात पर गर्व है। हमारे दल में आज भी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बिना कोई पद लिए हुए केवल राजनीति के द्वारा सुधार करने के लिए जीवन दिया है। यह केवल संस्थानों में सुधार करने से, केवल कुछ कानून बना देने से नहीं होगा। जब तक राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक देश की कोई प्रक्रिया नहीं सुधर सकती है। हमें उस लोकतंत्र को राजनीतिक दलों के अंदर भी खड़ा करना होगा। चुनाव प्रक्रिया ऐसी कोई सीमित प्रक्रिया नहीं है। हम अपने दलों का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? जब हम अपने

[श्री भूपेंद्र यादव]

3.00 P.M.

दलों को लोकतांत्रिक बनाएंगे, तब हम देश को भी बढ़िया लोकतंत्र बनाने में बढ़िया योगदान दे सकेंगे। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सभी दलों के सदस्यों से और सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह विषय, जो simultaneous election का विषय है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि Model Code of Conduct के कारण अगर हमने तीन महीने किसी भी राज्य में लोक सभा चुनाव में लगा दिए, फिर तीन महीने विधान सभा चुनाव में लगा दिए, फिर तीन महीने Municipality के चुनाव में लगा दिए, फिर तीन महीने जिला परिषद के चुनाव में लगा दिए और फिर बाकी के छह महीने अगले चुनाव की तैयारी में लगा दिए, तो सरकार को governance करके अपनी performance दिखाने का अवसर कहां मिलता है? यह संभव है।

उपसभापति महोदय, इस देश में, जब हम लोगों ने संविधान बनाया था, तब anti-defection law नहीं था। क्या सभी राजनीतिक दलों ने anti-defection law को लाकर एक व्यवस्था में सुदृढ़ता दी या नहीं दी? जब देश को आजादी मिली थी, तब राज्य सभा का चुनाव सीक्रेट था, लेकिन जब राज्य सभा के चुनाव में राज्यों में खरीद-फरोख्त होने लगी तो क्या वह बैलेट ओपन हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए परिवर्तन आया था या नहीं आया? जैसे-जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए हमें प्रगतिशील और परिवर्तनकारी होना पड़ेगा।

उस समय की आवश्यकता को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए simultaneous elections, यह एक बड़ा विषय है। दूसरा विषय जो है, वह राजनैतिक दलों की फंडिंग का है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट में फंडिंग के लिए बीस हजार रुपए की सीमा को घटा कर दो हजार रुपए किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पहली बार देश में हमने ऐसा प्रावधान किया है, एक political bond की बात की है, क्योंकि राजनीति में अंडरकट होकर पैसा नहीं आना चाहिए। जिन राजनैतिक दलों को जितना पैसा मिलता है, उसका हिसाब-किताब उनको रखना है, वह जनता का पैसा है। हम इसलिए political bond की बात लेकर आए हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यह ट्रस्ट का पैसा है। यह लोगों का पैसा पब्लिक ट्रस्ट का पैसा है, इसका हिसाब होना चाहिए और इसीलिए यह political bond के माध्यम से हमने देश में एक नए परिवर्तन की शुरुआत की है।

महोदय, यहां पर सभी राजनैतिक दलों को इस बात का सुझाव जरूर देना चाहिए कि ऐसे और आगे कौन से सुझाव हो सकते हैं, जिन्हें हम काले धन पर राजनीति का खात्मा करने और काले धन का प्रभाव समाप्त करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि यह जो simultaneous elections का विषय है, हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने भी यह विषय रखा था कि संवैधानिक व्यवस्था के कारण जब राज्य चुनाव आयोग लिस्ट तैयार करते हैं तो वोटिंग लिस्ट अलग होती है और लोक सभा के लिए जो तैयार करते हैं तो वह वोटिंग लिस्ट अलग होती है। कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि जब लोक सभा के चुनाव में जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालना होता है, पता लगता है कि वह विधान सभा वाले पोलिंग बूथ से तीन किलोमीटर दूर चला गया है और जब यह सूची प्रकाशित

होती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा कि merely the name in the list is not sufficient, क्योंकि एक बार फाइनल साइन होने के बाद अगर आपके पास आईडी प्रूफ भी है, तो आप यह नहीं कह सकते कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम जुड़वा दीजिए। इसके लिए क्यों नहीं संवैधानिक संशोधन करके जो मतदाता सूची है, उसको आप एक ही रखें? एक व्यक्ति के पास एक परमानेंट नंबर होना चाहिए कि यह मेरा मतदाता नंबर है। अगर वह कभी ट्रांसफर होकर कहीं बाहर, या खुद किसी और जिले में जाता है, तो वह अपना मतदाता नंबर ट्रांसफर करवा कर वहां रजिस्टर्ड करवा दे और रजिस्टर्ड करवा कर कह दे कि अब मेरा मतदाता नंबर इस राज्य में रजिस्टर्ड है। आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी है। हमने जब चुनाव आयोग को कहा, तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।

श्री नरेश अग्रवाल: हम लोग तैयार हैं, इसको लाइए।

श्री भूपेंद्र यादव: मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कान्फ्रेंस के विषयों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं आज अपना वोट डालने जाता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अमुक मोहल्ले के इस पब्लिक स्कूल में मेरा वोट पड़ने वाला है। इस बार भी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और कहा था कि आखिरी समय में उत्तर प्रदेश में भी काफी लोगों के नाम कटे हैं। ऐसा अन्य राज्यों में भी होता है। इसलिए अगर हम एक मतदाता सूची की ओर जाएंगे, तो इसे भी हम एक बड़े परिवर्तन के रूप में कर सकते हैं।

महोदय, तीसरा विषय जो है, चुनाव का सबसे बड़ा विषय same level-playing field का है, जो सबको same मिलना चाहिए। यह बात सच है कि सबको अपने विचारों को रखने के लिए, अपने विषयों को रखने के लिए, अपने राजनीतिक दलों की मान्यताओं को रखने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और किसी के पास ज्यादा पैसा हो या किसी के पास कम पैसा हो, तो इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा एक विषय है, जिसको सभी को बड़े मन के साथ स्वीकार करना चाहिए कि यह देश उत्सव-प्रिय देश है, यह देश मेलों का देश है, यह देश त्योहारों का देश है। चुनाव को तो आज ऐसा बना दिया गया है, जैसे चुनाव न हो रहा है, एकदम सूखा आ गया हो। कहीं लगता ही नहीं है कि चुनाव हैं। कई बार तो हम इस प्रकार से नियमों में बंध जाते हैं कि हम अपने मन के भाव को भी व्यक्त नहीं कर सकते। इस देश के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट है। अब जब तक कोई विषय या विचार पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ न हो, देश के खिलाफ न हो, मोरेलिटी के खिलाफ न हो, उसको आप एक्सप्रेस करने से कैसे रोक सकते हो? अगर कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार है और मान लीजिए कि वह बहुत ढोल बजा कर प्रचार करना चाहता है, तो उसके लिए परमिशन लेने में ही उसका समय चला जाता है। कोई ट्रेड यूनियन का आदमी है, कोई किसान है, कोई ट्राइबल है, हर कोई अपने-अपने तरीके से इस देश में चुनाव में जाना चाहता है। सबके स्वभाव का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। पहाड़ी भागों में चुनाव प्रचार का तरीका अलग है, मैदानी भागों में तरीका अलग है, दक्षिण में तरीका अलग है। सबकी अपनी परंपराएँ हैं। जब हम अपनी परंपराओं को चुनाव के साथ जोड़ेंगे, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए अगर अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने विचार के लिए कोई स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में सामने आना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमें कुल मिला कर चुनाव आयोग को यह सुझाव देना चाहिए कि हमारे चुनाव में हमारे देश की जो मूल परंपराएँ हैं, सामाजिक परंपराएँ हैं, जब तक हम उन सामाजिक

[श्री भूपेंद्र यादव]

परंपराओं को अपने लोकतंत्र के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम इस लोकतंत्र को लोगों के दिलों में नहीं बसा सकते। एक ट्राइबल को ऐसा लगना चाहिए। अगर मैं अपनी परंपरा के साथ त्योहार मना कर सभा करता हूँ, तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बहुत ज्यादा permission के चक्कर में हम कई बार चुनाव से उत्सवप्रियता के विषय को हटा देते हैं।

महोदय, आजकल जो सोशल मीडिया है, उसका दुष्परिणाम यह है कि हम संवेदनशील समाज होने की जगह प्रतिक्रियावादी समाज हो रहे हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हम लोगों को चुनाव के समय Model Code of Conduct को रखते समय हमें level playing field खड़ा करना पड़ेगा।

महोदय, हमें चुनाव आयोग के माध्यम से एक और विषय रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इस बार एक बहुत अच्छा काम किया, जो हम लोगों ने चुनाव आयोग को representation दिया, कई पार्टियों ने दिया, कि उन्होंने विभिन्न पार्टियों के नेताओं को बुलाया। पहले जो सैनिक बोट डालते थे, इससे पहले जो postal ballot जाता था, वह उनकी छावनी तक पहुँचता था, उसके बाद वे उसे वापस पोस्ट किया करते थे। इस बार उन्होंने e-ballot के लिए नियम में संशोधन किया। इसमें उन्होंने इसको download करने के लिए संशोधन किया। भविष्य में जितनी technological क्रांति आ रही है, उसके हिसाब से हमें e-ballot की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें, इसके लिए हम लोगों को माहौल खड़ा करना पड़ेगा।

चुनाव के समय जो फिजूलखर्ची है, उस फिजूलखर्ची को हम रोकें, लेकिन लोगों के मन में उमंग और उत्साह के साथ उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का अवसर मिले, हमें ऐसा अवसर प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक विषय पुनः दोहराना चाहूँगा, जैसा महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है और जैसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है, कि हम लोगों को चुनाव की उस पद्धति की ओर आगे जाना पड़ेगा, जिसमें यह देश 24 घंटे केवल चुनाव का देश न रहे, चुनाव एक बार हो और उसके बाद 5 साल तक हम लोग governance के रास्ते पर अच्छी तरह से बढ़ें। केवल चुनाव जीतना ही राजनीतिक दलों का लक्ष्य न बने, बल्कि चुनाव जीतने के बाद mandate को 5 साल में लागू करके वे लोगों की सेवा करें, यह लोकतंत्र का उद्देश्य बने, हम इस पर सहमति की ओर बढ़ें। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझसे पहले भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे। वे एक बड़े वकील हैं और वकीलों की खास बात यह होती है, कोई बुरा न माने, कि वे असत्य को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं। मैं अध्यापक हूँ और अध्यापक सत्य को सत्य ही कहेंगे, असत्य को असत्य ही कहेंगे। यह फर्क है। हैं दोनों यादव, लेकिन फर्क है।

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): राम गोपाल जी, आपके बगल में भी शरद यादव जी हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Teachers should be true.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, electoral reforms पर कई बार चर्चा हुई है, कमिटियां बनाई गईं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दीं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके जो सकारात्मक नतीजे आने चाहिए थे, वैसे नतीजे नहीं आए, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। यह जो पैसे की बात है, इतने बड़े पैमाने पर पैसा बांटा गया और चुनाव से 24 घंटे पहले किस तरह से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों तक को खरीद लिया गया, यह मैं जानता हूं। पैसा कम नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*... मैं तो खरीद नहीं सकता था, मेरे पास तो पैसा नहीं था, जिनके पास था, उन्होंने खरीद लिए। उसके तमाम ...*(व्यवधान)*... आप कहीं भी चले जाएं, मैं दर्जनों जगहें बता सकता हूं, जहां के लोग कहेंगे कि हां, यह सही है, यह बिक गया है, इधर से उधर चला गया है। ...*(व्यवधान)*... अगर बिका न होता, तो प्रमोद तिवारी जी की बेटी 60,000 वोटों से जीतती। बिक गया कि नहीं बिक गया? ...*(व्यवधान)*... तो यह जो काम चल रहा है, जो मनी पावर है, उसका असर कम करने के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है। अभी जो बात चल रही थी ...*(व्यवधान)*...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, there are wasps in the House. They should be removed. Why have they entered? ...*(Interruptions)*... No, no. It's true. They can bite someone. All are moving around. अरे, बैठिए भाई। ...*(व्यवधान)*... मैं नहीं चाहता कि यह आपको काट जाए। ...*(व्यवधान)*... I think the Watch and Ward should be asked as to why wasps have entered. They can bite anyone.

प्रो. राम गोपाल यादव: आप इतना क्यों डरते हैं ततैये से?...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please proceed.

प्रो. राम गोपाल यादव: यह electoral reform पर money power की बात थी, हालांकि muscle power बहुत कम इस्तेमाल हुई है, लेकिन money power कम नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक निर्दलीय विधायक जीता, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे चुनाव जीत गए, वह मुझसे पहले से ही बहुत परिचित था, उसने कहा कि भैया, कोई वोटर ऐसा नहीं है, जिसके हाथ में जाकर मैंने पैसा न दिया हो। मैंने उससे पूछा कि पुलिस तुम्हारे पीछे थी, तौ पैसा कैसे दे पाते थे? ...*(व्यवधान)*... यह मतदाता का अपमान नहीं है, यह बात वह उम्मीदवार कह रहा है, जो जीता हुआ है। कहिए तो आपके सामने कहलवा दें। ...*(व्यवधान)*... गिरिराज सिंह जी, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*... मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*... गरीब लोग या कम पैसे वाली पार्टियां भी ठीक तरीके से चुनाव लड़ सकें, इस पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। देश के काफी नामी लोग उसमें थे। उस कमेटी में सबसे जूनियर मेम्बर मैं ही था। उसमें सोमनाथ दा थे, डॉक्टर साहब थे, विजय कुमार मल्होत्रा थे और इंद्रजीत गुप्ता साहब उसके अध्यक्ष थे। वह कमेटी आडवाणी जी ने स्टेट फंडिंग पर बनाई थी, जिस वक्त वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री थे। उस कमेटी की रिपोर्ट आई। उसकी सिफारिश थी कि उम्मीदवारों को कुछ मदद मिल जाती, लेकिन उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उम्मीदवारों पर खर्च करने की जो सीमा लगाई गई, उस पर मेरी कुछ राय और सुझाव है। इसमें छूट यह दे दी गई कि पार्टियां जो खर्च करेंगी, वह उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा

[प्रो. राम गोपाल यादव]

जाएगा। जब तक आप इस छूट को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हेलिकॉप्टर और जहाज ऐसे ही उड़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खर्च कम हो, तो हेलिकॉप्टर्स, प्लेस और पार्टी का किया हुआ खर्च, उसी उम्मीदवार के खर्च में पड़ना चाहिए, जितना उसके हिस्से में आता है। इससे खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, वरना खर्च तो कभी कम ही नहीं होगा। उम्मीदवार कहेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया है, सब पार्टी ने किया है। महोदय, पार्टी अनलिमिटेड खर्च कर सकती है। उस पर कोई बंधन नहीं है। सभी पार्टियों के इन्कम टैक्स रिटर्न्स हैं। वे सब दिखा देते हैं। जो पैसे वाली बात है, इस पर यदि यह सुझाव मान लिया जाए, तो स्थिति बहुत सुधर सकती है। बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियों से प्रचार करते हैं और यह देखते हैं कि हम हेलीकॉप्टर या जहाज से नहीं जा सकते, उन्हें भी संतोष होगा कि अब और लोग भी इस तरह से चलने लगे हैं। इसलिए लॉ मिनिस्टर साहब इस बात पर जरा गौर कीजिए। यही सबसे बड़ा लूपहोल है, जिसके कारण चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होता है। सिर्फ इसकी वजह से ऐसा होता है और केवल इस पर पाबन्दी लगा दी जाए और कहा जाए कि यह सब उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा, तो सब कम हो जाएगा। इससे पार्टियों का भी सिरदर्द कम हो जाएगा और चुनाव में जो ज्यादा पैसा खर्च होता है, वह भी कम हो जाएगा।

महोदय, एक स्थिति और है कि लैवल प्लेइंग फील्ड के लिए मीडिया का जो प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टियों और कुछ लोगों को बिलकुल भी प्रश्न नहीं मिलता है। कोई समय नहीं मिलता है। किसी बड़ी पार्टी का कोई बड़ा नेता बोल रहा है, तब यदि किसी दूसरी पार्टी का प्रभावशाली नेता आ गया, तो उसका लाइव चलने लगा और पहले वाले का लाइव बन्द हो गया। ...**(व्यवधान)**... लगातार ऐसा होता रहता है और किसी का आधा-आधा और एक-एक घंटा लाइव प्रोग्राम चल रहा है और किसी को दो मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है। इस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ न कुछ निर्धारित करना चाहिए, जिससे ऐसा न हो। वह कह देगा कि नहीं, हम दूरदर्शन पर तो कर सकते हैं, लेकिन जो निजी चैनल्स हैं, उन पर नहीं कर सकते हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि निजी चैनल्स किस आधार पर और किस तरह से काम करते हैं। जहां से ज्यादा मिल गया, उसका ज्यादा चल रहा है। यहां तक हो रहा है कि जो प्रिंट मीडिया है, उसके लोग उम्मीदवारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पैकेज दो, वरना कल जो आपकी मीटिंग होने वाली है, उसकी सही रिपोर्टिंग नहीं आएगी। अब जिनके पास पैसा है, वे दे देते हैं और जिनके पास नहीं है, वे नहीं दे पाते हैं।

महोदय, इसमें इतनी सारी कमियां हैं, इन कमियों के बावजूद, श्री भूपेंद्र यादव जी साइमल्टेनियस चुनाव की बात कर रहे थे। यह बहुत व्यावहारिक नहीं है। यह केवल वहां चल सकता है, जहां दो पार्टी सिस्टम है। यदि दो पार्टी सिस्टम हो, तो पांच-पांच साल दोनों पार्टियां रह सकेंगी। कोई भी सरकार होगी, वह पांच साल रहेगा। जब पांच साल की टर्म है, तो पांच साल के बाद पार्लियामेंट और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ होंगे। जैसे अपने देश में, शुरू में एक बड़ा पार्टी कांग्रेस थी और दूसरी छोटी-छोटी पार्टियां थीं। कहीं राज्य सरकारों के गिरने का डर नहीं था, तो लगातार विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव साथ-साथ होते रहे। लेकिन जब देश के विभिन्न राज्यों में तमाम स्टेट पार्टियां अस्तित्व में आ गईं और मजबूत हो गईं और इतनी मजबूत हो गईं कि वे सरकारें बनाने लगीं, तो उन्हें आसानी से हटाना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यह कहे कि सब चुनाव एक साथ होंगे, वह मुझे संभव नहीं

लगता। क्या आप वर्ष 2019 में सारी विधान सभाओं को भंग कर के लोक सभा के साथ चुनाव करा सकते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश की असेम्बली को भंग करा देंगे? योगी आप सब को दौड़ा लेंगे। ...**(व्यवधान)**... इसलिए यह संभव नहीं है।

महोदय, असली चीज है, जिस बात को लेकर आज यह डिस्कशन हो रहा है, वह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, उनका दुरुपयोग हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आपके यहां के अकाउंट से आपका पैसा निकाल लेता है। कोई यह कह सकता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से नहीं जुड़ी है, इसलिए उसमें यह संभव नहीं है। लेकिन उसमें काउंटिंग का और वोटिंग सिस्टम का जो चिप लगा हुआ है, वह चिप तो कहीं बनता है और उस चिप में प्रोग्रामिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, is it impossible? यह बहुत आसान काम है।

मुझे याद है कि एक बार एक बड़े नेता, जो दक्षिण भारत में एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं, एक व्यक्ति के साथ हमारी पार्टी के दफ्तर में भी आए। उन्होंने दिखाया कि इसे देखिए, आप इसमें अलग-अलग पार्टियों के बटन दबाइए और वोट डालिए तथा हमसे पूछा कि आप बताइए कि आप कितना वोट चाहते हैं, जो आपके पक्ष में निकलें। जब मैंने बताया और उसके बाद जब उन्होंने एक बटन दबाने के बाद दूसरा बटन दबाया, तो अन्त में जो टोटल आया, तो हमने देखा कि डाले कुछ थे और जितने मैंने बताये थे, उतने ही निकले-इतने बीजेपी के, इतने कांग्रेस के, इतने समाजवादी पार्टी के और इतने कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने ही एक किताब लिखी थी, जिसका जिक्र मिश्रा जी अभी बाद में करेंगे, ये ज्यादा डिटेल्स से आपको बताएँगे। उन्होंने ही वह लिखी थी। लगता है कि वे भी अब कहीं आपके प्रवक्ता हो गए। उस किताब का preface आडवाणी जी ने लिखा था। उसकी भूमिका आडवाणी जी ने लिखी और दुनिया के तमाम देशों ने कहा कि यह—सर, उस किताब का नाम "Democracy at Risk" है। यानी यह असंभव नहीं है। मैं इलेक्शन कमिशन की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन जो मशीन बना रहे हैं, उनसे अगर किसी ने मैनेज कर लिया, जहां मशीनें बन रही हैं, जहां चिप लगाया जा रहा है कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो कि हर तीसरा वोट, हर पांचवा वोट, हर छठा वोट या हर सातवां वोट, जब आप बटन दबायें हाथी का, तो वह चला जाए कमल पर। It is possible. ...**(Interruptions)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: कभी-कभी दिल की बात निकल जाती है।

प्रो. राम गोपाल यादव: वही तो हुआ। ...**(व्यवधान)**... अच्छा, अगर यह बात सही नहीं है, अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इलेक्शन कमिशन के अधिकारियों को contempt के मामले में दो-दो बार पेश होना पड़ा कि आपने इस VVPAT के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? अगर यह मशीन लग जाए, तो इसमें दिखता है कि वोट किसको दिया। अभी कुछ मशीनें आई हैं। कुछ जगहों पर ये मशीनें लगाई गई थीं। मेरठ में एक जगह पर 20 मशीनें लगाई गई थीं। 16 में समाजवादी पार्टी जीती, 2 में बीएसपी जीती ...**(व्यवधान)**... और 2 में बीजेपी जीती, आजमगढ़ में। जिन क्षेत्रों ये मशीनें लगीं, उन सब क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार चुनाव जीते। आप रिकॉर्ड मंगा लीजिए। जो postal ballots आए, उनमें कौन जीता? आप पता कर लीजिए कि जो postal ballots आए, उनमें कौन जीता? इतने लोग तो सर्वे में भी नहीं पहुंचते हैं। ये अधिकारी लोग, फौज वाले लोग या अन्य जो लोग हैं, इनके वोट्स postal ballot के रूप में आए। आप इनको देखिए। अभी मेरे WhatsApp पर एक जिले का पूरा रिकॉर्ड आया

[प्रो. राम गोपाल यादव]

है, उसमें चार सीटें हैं और चारों सीटें बीजेपी ने जीतीं, लेकिन उन चारों सीटों पर जो postal ballots हैं, उनमें समाजवादी पार्टी नम्बर एक है, बीएसपी नम्बर दो है और बीजेपी नम्बर तीन है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पर कोई संदेह है, बल्कि हमें संदेह है आप पर। ...**(व्यवधान)**... हमें इलेक्शन कमीशन पर संदेह नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो।

सर, अभी भूपेंद्र जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, उससे मैं सहमत हूँ। चुनाव अब लगता ही नहीं है कि चुनाव है। आप झंडा लगा नहीं सकते हैं और चुनाव के दौरान अगर किसी घर पर झंडा नहीं लगा होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, तो लगता ही नहीं है कि चुनाव हो रहा है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था और दूर-दूर पोलिंग स्टेशन हुआ करता था, उस समय मैं भी अपनी अम्मा के साथ बैलगाड़ी में बैठ कर वोट डालने चला जाता था, तो महिलाएं गीत गाते हुए वोट डालने जाती थीं और उस समय बिल्कुल त्यौहार की तरह माहौल होता था। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि हम पीछे चले गए। ...**(समय की घंटी)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): सर, बोलने दीजिए, इसमें तो तय हो गया था कि घंटी नहीं बजेगी।

श्री आनन्द शर्मा: सर, यह तो तय हो गया है कि इस पर कोई समय सीमा नहीं होगी।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री आनन्द शर्मा: सर, यह तो देश के चुनाव का मामला है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं सत्ताधारी दल के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आप पर कोई असर न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बारे में कमीशन की धारणा यह है कि यहां पर एक particular community के ऑफिसर नहीं रहने चाहिए और अगर वे रहेंगे, तो उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मुख्य मंत्री जिस कम्युनिटी का है, उसी कम्युनिटी का कोई अधिकारी वहां पर है, तो वह जिले में नहीं रह सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 10 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यादव कम्युनिटी के थे, उनमें से 8 का ट्रांसफर पहले ही दिन कर दिया गया। मैं जानता था कि हमारे इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में सबसे पहले ट्रांसफर किए जाएंगे, इसलिए हमने वहां पर कहीं भी कोई यादव अधिकारी पोस्ट ही नहीं करने दिया। गलती से फिरोजाबाद में एक एडिशनल एसपी यादव कम्युनिटी का था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। यह मानसिकता बहुत खराब है।

मान लीजिए कि अगर हम यह कहने लगे कि फलां राज्य में चुनाव हो रहा है और वहां का मुख्य मंत्री जिस बिरादरी का है, उस बिरादरी का कोई अधिकारी, कलेक्टर, एसपी आदि चुनाव के वक्त नहीं रहेगा, तो यह अधिकारियों के ऊपर जाता है। सर, अजीब बात यह है कि फिरोजाबाद में पहले चरण में ही चुनाव हो गया और चौथे चरण के चुनाव के बाद वहां के डीएम और एसपी को इस शिकायत पर हटा दिया गया कि इनके रहते काउंटिंग सही नहीं हो सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन यह महसूस करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रहते हुए डीएम और एसपी काउंटिंग को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर हम इसका क्या निष्कर्ष निकालें? वहां पर चुनाव पहले ही चरण में हो गया और वहां के डीएम और एसपी को चौथे चरण के चुनाव के

बाद हटाया गया। लेकिन एक यादव SP को तो पहले ही हटा दिया गया। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तरफ आप पिछड़ों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें कहीं रहने भी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में बहुत अजीब स्थिति होती जा रही है। क्या आप Union Public Service Commission में appointments and results पर पाबंदी लगा सकते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश के Public Service Commission जैसी संवैधानिक संस्था के result और interview पर आज पाबंदी लगा दी गई। जब इस आधार पर सोचने लगेंगे तो आप Electoral Reforms की चाहे कितनी भी बात कीजिए, जातिवाद खत्म होने के बाद, आरोप दूसरों पर लगता है, लेकिन जाति की राजनीति ऐसे लोग कर रहे हैं, जो सत्ता के शिखर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं। ...**(समय की घंटी)**... ये सारी चीजें Electoral Reforms के जरिए यहां आईं। माननीय मंत्री जी, आप केवल एक काम कर दीजिए कि जो पार्टी का पैसा है, उसे उम्मीदवार के खर्च में जोड़ने की व्यवस्था करा दीजिए। कम से कम एक काम तो हो जाएगा। दूसरे, माननीय आडवाणी जी ने इंद्रजीत गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो High Powered State Funding Committee बनाई थी, उसने उत्तर प्रदेश को Nodel State माना था। उसका कहना था कि यह सबसे बड़ा राज्य है, यहां सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र होता है, जबकि दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा क्षेत्र होते हैं। यहां एक लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभा क्षेत्र होते हैं, इसलिए 5 गाड़ियां, उनके drivers, उनके diesel की व्यवस्था, दूसरी चीजें तो सब हो गई हैं, Election Commission ने कर दी हैं, यदि इतनी व्यवस्था और करा दी जाए तो गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: राम गोपाल जी, अब conclude कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: कोई अच्छा कार्यकर्ता होगा, वह भी चुनाव लड़ सकता है। पैसे को रोकने का जहां तक सवाल है, वह तो ईश्वर ही मालिक है कि कैसे रुकेगा, कैसे नहीं रुकेगा। ये ज्यादा होशियार लोग बैठे हैं। वे सोचें, समझें और किसी फैसले पर जाएं, वरना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ...**(समय की घंटी)**... कितने बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग होने लगा है? कुछ नहीं लगता, लेकिन पैसा पहुंच जाता है। घर-घर पैसा पहुंच जाता है। यह पैसा कहां से आया? मैं यहां कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन लोग यहां तक कहते हैं कि नोटबंदी से पहले लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया था। जब लोगों का पैसा जमा हो गया फिर वे उसे निकाल नहीं सकते थे। जिनके पास था, उन्होंने खर्च किया। जिनके पास था, उन्होंने बांटा। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

प्रो. राम गोपाल यादव: इसे आप otherwise न लें। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ-न-कुछ उसमें सच्चाई है। ...**(समय की घंटी)**... कभी तो हमारी बात आप सुन लिया करें।

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बहुत बोल चुके हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: Media की बात पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इस आधार पर Election Commission नहीं बच सकता है कि हम केवल दूरदर्शन पर ही कुछ कह सकते हैं, निजी channels पर नहीं कह सकते। एक व्यक्ति चुनाव के दौरान यदि कोई बात कहता है, उस पर तो Election Commission कोई action ले सकता है, लेकिन media के जरिए जो बात कही जाती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। ...**(समय की घंटी)**...

[प्रो. राम गोपाल यादव]

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाति और धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। किसी को नोटिस नहीं दिया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। पिछली बार विधान सभा के चुनाव में, मुझे याद है, जो शायद वर्ष 2012 में या उससे पहले हुए थे, मुलायम सिंह जी ललितपुर की एक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। वहां हमारा उम्मीदवार बुन्देला था। बुन्देला और वहां के यादवों में कुछ लड़ाई थी तो किसी ने कह दिया कि यादव उसे वोट नहीं देंगे। नेता जी ने सिर्फ यह पूछ लिया कि यहां कितने यादव आए हैं? वहां 80 फीसदी यादव थे, जिन्होंने अपने हाथ उठा लिए। उस समय मुझे सिर्फ इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी पड़ी थी। हमने कोई वोट नहीं मांगा था, बल्कि सिर्फ यह जानने के लिए ऐसा पूछा था कि क्या वे वास्तव में बुन्देला के खिलाफ हैं? वहां वे सब लोग उपस्थित थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जाति का नाम क्यों ले लिया? उस वक्त होली इलेक्शन के बीच में पड़ गई थी। हम लोगों के यहां यह परम्परा है कि हम लोग होली पर लोगों को मिठाई देते हैं और जो लोग गाना गाते हैं, उनको पैसे देते हैं। उसके लिए भी नोटिस आ गया। इन सारी चीजों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। ...**(समय की घंटी)**... ब्याह-शादी के संबंध में एक बात यह आ गई थी कि अगर कोई उम्मीदवार किसी की बारात में चला गया, तो बारात का खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं। मैंने जो ठीक समझा, वह कहा। अगर आपको लगता हो कि ये बेकार की बातें हैं, तो उनको निकाल दीजिए, लेकिन एकाध जो ठीक बात हो, तो उसे स्वीकार कर लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ram Gopalji, please conclude.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, senior leaders are speaking. I would appeal for self-restraint. I am not being very strict.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Yes. And, Sir, don't press the bell.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, it is a very important discussion. The entire nation is watching it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am very liberal, but this way we would have to sit very late in the evening. Therefore, I want self-restraint.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, with your restraint, he spoke for 27 minutes. Our self-restraint would be half-an-hour and not more than that! ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Sharad Yadavji.

श्री शरद यादव (बिहार): श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने और बाकी सभी मित्रों ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज जिस सवाल पर बहस हो रही है, वह बहुत

कुर्बानी के बाद हिन्दुस्तान को मिले हुए बैलेट पेपर की रक्षा के लिए हो रही है, जो मताधिकार है, उसकी सुरक्षा के लिए हो रही है। ...**(व्यवधान)**... यह चुनाव असाधारण हो गया है। अभी अन्य सदस्य भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, राम गोपाल जी भी कह रहे थे और गुलाम नबी जी भी कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो ईवीएम मशीन है, उसके सुधार की बाबत जो कदम उठाने चाहिए थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने लगभग 13 बार आग्रह किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, राम गोपाल जी नाम नहीं ले रहे थे। आडवाणी जी से लेकर चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि अभी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत दिनों तक संघर्ष किया और चुनाव आयोग से लड़ते-लड़ते हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज देखने के बाद EVM मशीन के बारे में इतना कहा कि इसको मुकम्मल करने के लिए जरूरी है इसमें रिसीट आए, पेपर वेरिफिकेशन हो। वह नहीं हुआ। आज पूरी तरह से जो लोकतंत्र और लोकशाही है, उसके ऊपर जो बयान और वक्तव्य आ रहे हैं, जब बहन मायावती जी बोल रही थीं तो उनके मन में पक्का है, यकीन है कि मशीन ने हमको हरा दिया। मैं यह मानता हूँ कि आपसे कहने से पहले, इस सारे प्रकरण पर बात करने के पहले कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े हिस्से में यहां मायावती जी बैठती हैं, यहां राम गोपाल जी बैठते हैं। इससे पहले यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अपोजिशन में कोई अगर सबसे ताकतवर पार्टी थी तो मायावती जी की थी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। सब की तरफ से एक बात उठी है। मैं तो मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको यदि पूरा किया जाए, तो हो सकता है कि यकीन और विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत होगा।

श्री प्रकाश जावडेकर: रिजल्ट वही आएगा।

श्री शरद यादव: देखो, कितने अहंकार में हैं ये। जावडेकर जी, हमने 17 चुनाव लड़े हैं। एक बात जान लीजिए कि कई दौर यहां देखे हैं हमने। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि फलदार वृक्ष जितना बड़ा होता है, थोड़ा झुकने का काम करता है। तो यह जो शंका है, जावडेकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल तो टेक्नालोजी बहुत एडवांस है। इसके लिए कोई जांच कमीशन बैठ जाए, पूरी दुनिया में EVM नहीं चल रहा है। बड़ी-बड़ी जगह नहीं चल रहा है। जर्मनी है, थाईलैंड है, पूरा यूरोप है, अमेरिका में थोड़ी जगह चल रहा है। मैं समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, लेकिन अकेले हमारे देश में यह है। लेकिन इस पर कोई न कोई ऐसी निष्पक्ष चीज हो, चाहे हाउस कमेटी बन जाए। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जीते हैं, तो और अच्छा होगा पता चल जाए कि आप तो वाजिब तरीके से जीते हैं। इसलिए इस विवाद पर जरूर मैं कहना चाहता हूँ। जब मायावती जी बोल रही थीं और बैठ रही थीं तो उन्होंने चार बार मुझे कहा कि आप बोलिए। उनके चेहरे पर यकीनन यह भाव था कि उनको मशीन ने हरा दिया। अब एक सूबे की चार बार की वे मुख्य मंत्री रही हैं। उन्होंने जब यह बात बताई है, तो मैं मानता हूँ कि वह सही है या नहीं, मैं उसमें नहीं आना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि लोकशाही में इतने बड़े पैमाने पर कोई सवाल उठे और उस सवाल का हम समाधान न करें, यह लोकशाही की सेहत के लिए ठीक नहीं है।

जो कई सुधारों की बात कही जा रही है, एक सुधार का सुझाव हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है। मेरी राय है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह देश जो है, एक बार महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप यह जो स्वराज, स्वराज कहते हो, क्या मतलब है स्वराज

[श्री शरद यादव]

का? बहुत सदियों से वे पेपर चलाते थे। मैं जेल में बंद था, तब मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने कहा कि सदियों से जो कहावत है "जैसा राजा वैसी प्रजा" बहुत विस्तार से लिखकर उन्होंने कहा कि "जैसा राजा वैसी प्रजा", उलटा करा दो तो "जस प्रजा तस पार्लियामेंट" होगी। "जस प्रजा तस चुनाव आयोग" होगा, "तस अफसर होंगे", "तस सुप्रीम कोर्ट" होगा। यानी, जो भारतीय समाज है उसकी जो पूरी तासीर है, उसके अनुसार ही चुनाव होंगे, उसी के अनुसार संसद बनेगी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में मुझे याद नहीं इतिहास का, लेकिन कभी भी जो एडल्ट फ्रेंचाइज़ है, वह लोगों के हाथ में कभी नहीं आया, यानी, हिन्दुस्तान के लिए गजब और सबसे बड़ी अद्भुत कोई बड़ा कदम है, तो हिन्दुस्तान का स्वराज है। हिन्दुस्तान का नागरिक जब वास्तव में, सही में उस आज़ादी का अर्थ लगाता है, यकीनन लगाता है तो बैलेट पेपर से लगाता है, आजकल जो वह बटन दबाता है, उससे लगाता है। हिन्दुस्तान का आईन जो है, उसका कोई इंजन है तो वह यह बैलेट पेपर है — यह राय देता है, यही है। हिन्दुस्तान का आदमी शिक्षित नहीं है — हमारा तो पूरा काम अंग्रेज़ी में चलता है, यह अजीब विडम्बना है, मैं उस सवाल को छेड़ना नहीं चाहता। इस हिन्दुस्तान के सभी लोग, सारा देश, गरीब से गरीब व्यक्ति यह मानता है और वह लोकशाही की पहचान, यह जो वोट है, उसी से करता है। जो कभी उसके पास नहीं जाते थे, वे वोट के कारण उसके घर पर पहुंचते हैं। यह बैलेट पेपर हिन्दुस्तान के आईन का इंजन है। इसका चुनाव आयोग इसका कस्टोडियन है। इसे सुरक्षित करना जरूरी है।

उपसभापति महोदय, पैसे का जिक्र हो रहा है। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे 74 हजार, 24 रुपए, 25 पैसे... उस समय आने में चलते थे, हिन्दुस्तान में मैंने जो चुनाव लड़े, मैं 17 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जितना चुनाव लड़ते जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, उतना ही पैसे की और साधन की होती जाती है। हालात तो यह हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ है, 2014 के चुनाव से ऐसा विकट मामला हुआ है कि आने वाले भविष्य में तो हमारे जैसे लोग तो यहां आ ही नहीं सकेंगे, अब मधु लिमये यहां नहीं आएगा, यहां डॉक्टर लोहिया नहीं घुस सकता है, यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आ सकते, आडवाणी जी नहीं आ सकते। यह दौर ऐसा आया है और यह दौर लोकतंत्र के लिए बहुत — मैं क्या कहूँ, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं हैं, घातक है, भयानक है। हम लोग भी किसी तरह से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते हैं। आज जैसे इसमें हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के, शासक दल के जो लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आपने देश को कहां पहुंचा दिया है, ज़रा सोचिएगा। हो सकता है, जिस दिन लोगों का विश्वास इस लोकशाही, लोकतंत्र और इस बैलेट पेपर पर से उठेगा, उस दिन बगावत होगी। यह देश पहले उदासीन था, लेकिन हिन्दुस्तान के लोकतंत्र ने इसे ऐसा जगाया है कि एक दिन यहां बगावत होगी, क्योंकि आज साधन के सामने गरीब तो एकदम से बिल्कुल गायब हो गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो आपकी पार्टी है, उसके लगभग 70 से 80 जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे।

श्री भूपेंद्र यादव: गलत है। ...(व्यवधान)... यह गलत बात है। आप ऐसा मत बोलिए।
...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: हो सकता है, मगर ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: आप पूछिए न, कितने थे? ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: आप figure बता दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सर, मैं वापिस लिए लेता हूँ, मैं वापिस लिए लेता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आप अपनी figure बताइए न। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: हां, इन्होंने भी कोई कम नहीं किया। ...(व्यवधान).... यह इनके हाथ बहुत वर्षों तक रहा है। आप यह भी जान लीजिए कि हम साढ़े चार साल जेल में रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि मुझे जो लोगों ने कहा, वह अतिरेक से कहा हो, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा साधन थे, हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा थे, आपके पास जहाज़ सबसे ज्यादा थे। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: पैसा ज्यादा था।...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: यह तो है, पैसे का, साधन का ...(व्यवधान).... जब राम गोपाल जी बोल रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल नारायण सिंह (बिहार): शरद जी, आप भी यह बात जान लीजिए, हरेक विधान सभा क्षेत्र में देश भर में हमारे कार्यकर्ता ज्यादा थे, आप उसकी तुलना क्यों नहीं करते हैं?

श्री शरद यादव: यकीनन। मैं कहां कह रहा हूँ? आप और हम बराबर ही थे।

श्री आनन्द शर्मा: कार्यकर्ता पैदल पहुंचे थे या गाड़ी में पहुंचे थे? ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। हो सकता है, आपके पास इस समय काफी आदमी हैं, मैं वह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब यह बैलेट पेपर साधनों के बोझ से बांझ हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वह आपके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, हिन्दुस्तान की जनता के लिए मैं कह रहा हूँ कि यह बैलेट पेपर जो है, जिसे पुरुषार्थ के साथ नतीजा देना चाहिए, उसमें वह ताकत और दम नहीं बचा है, वह धीरे-धीरे घट रहा है। मैंने अपना उदाहरण क्यों दिया? मैंने क्यों कहा कि अब यहां डॉक्टर लोहिया नहीं आ सकते। अब यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आ सकते। कठिन है, हां, पार्टी दया कर दे तो हो सकता है। साधनों का जो विस्तार है, मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि इसको आपकी पार्टी ने बहुत बढ़ाया है और यह आपके लिए, देश के लिए ठीक नहीं है।

मैं दूसरी चीज़ यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का जो लोकतंत्र है, जो पार्लियामेंट है, उसमें दोनों सदन चुने हुए सदन हैं। इन दोनों सदनों के ऊपर हिन्दुस्तान के पूरे लोगों की हिफाजत का जिम्मा है। हम सब लोगों की बात का हिन्दुस्तान के लोगों के पास पहुंचने का रास्ता एक ही है और वह मीडिया है। आज हालत ऐसी है, एक नया मीडिया, विजुअल मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है। मैंने एक-दो बातें सच्ची कहीं, उपसभापति जी, मैं आपसे कह नहीं सकता कि सोशल मीडिया किस तरह से बढ़ा है, उसमें कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन किस तरह से गली-गलौज चल रही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मजीठिया कमीशन कब से मीडिया के लिए बना हुआ है। आज ये सारा मीडिया — हम लोकतंत्र

[श्री शरद यादव]

में चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं कि चुनाव सुधार कैसे हो? इस चुनाव सुधार की सबसे बड़ी बात है — हमारी लोकशाही और लोकतंत्र कहां जा रहा है, इसको वहां पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? वह तो मीडिया ही है, जिसको चौथा खम्भा कहते हैं, वही है ना? उसकी क्या हालत है? पत्रकारों के लिए मजीठिया कमीशन बना हुआ है। याद रखना मीडिया का मतलब है, पत्रकारिता का मतलब है पत्रकार और वह उसकी आत्मा है। यह लोकशाही या लोकतंत्र जो खतरे में है, उसका एक कारण यह है कि हमने पत्रकार को..

श्री नरेश अग्रवाल: ठेके में डाल दिया।

श्री शरद यादव: ठेके में नहीं डाल दिया, बल्कि सबसे ज्यादा... हायर एंड फायर एक नई चीज यूरोप से आई है यानी सबसे ज्यादा हायर एंड फायर का यदि कोई है, तो वह ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: पत्रकार है। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: मैं बड़े-बड़े पत्रकारों के साथ रहा हूं, मैं बड़े-बड़े लोगों के साथ रहा हूं। हमने पहले भी मीडिया देखा है, आज का मीडिया भी देखा है। उसकी सबसे बड़ी आत्मा कौन है? सच्ची खबर आये कहां से? राम गोपाल जी, जब पिछला चुनाव विधान सभा का हो रहा था, तो मैंने खुद जाकर चुनाव आयोग को कहा था कि यह पेड न्यूज है। आज जो पत्रकार हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान हैं, पत्रकार के पास ईमान भी है, लेकिन वह लिख नहीं सकता। मालिक के सामने उसे कह दिया जाता है कि इस लाइन पर लिखो, इस तरह से लिखो। उसका अपना परिवार है, वह कहां पर जाए? वह सच्चाई के लिए कुछ लिखना चाहता है। हमारे लोकतंत्र में बाजार आया, खूब आये, लेकिन यह जो मीडिया है, इसको हमने किनके हाथों में सौंप दिया है? यह किन-किन लोगों के पास चला गया है? एक पूंजीपति है इस देश का, उसने 40 से 60 फीसदी मीडिया खरीद लिया है। इस देश का क्या होगा?

प्रो. राम गोपाल यादव: कल हिन्दुस्तान टाइम्स भी खरीद लिया है।

श्री शरद यादव: अब हिन्दुस्तान टाइम्स भी बिकने वाला है।

प्रो. राम गोपाल यादव: कल बिक गया।

श्री शरद यादव: कल बिक गया? ...(व्यवधान)... कैसे चलेगा यह देश? यह चुनाव सुधार, यह बहस, ये सारी चीजें कहां आएंगी? कोई यहां पर बोलने के लिए तैयार नहीं है? ...(व्यवधान)... माथुर जी, बोलिए। क्या है? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: जेल में क्या हुआ था? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: इसमें कोई अच्छी बात कह देता है। किसी की बात सुनने दीजिए। ...(व्यवधान)... कोई बोल रहा था। ...(व्यवधान)... मैं उसको बहुत बड़ी चीज मानता हूं। ...(व्यवधान)... कोई बोलेगा, तो हो सकता है कि वह मुझे ठीक कर दे। ...(व्यवधान)... निश्चित

तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है, लोकशाही में, लोकतंत्र में यह आपके हाथ में है, इस पार्लियामेंट के हाथ में है। कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये जो पत्रकार हैं, ये चौथा खम्भा हैं, उसके मालिक नहीं हैं और हिन्दुस्तान में जब से बाजार आया है, तब से तो लोगों की पूंजी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है। मैं आज बोल रहा हूँ, तो यह मीडिया मेरे खिलाफ तंज कसेगा, वह बुरा लिखेगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी, जब चार-साढ़े चार साल जेल में बंद रहकर आजाद भारत में आया, तो अगर अब मैं रुक जाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि मैं हिन्दुस्तान की जनता के साथ विश्वासघात कर के जाऊंगा। सर, आज सब से ज्यादा ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं और पूरे हिन्दुस्तान में लोगों के लिए कोई नौकरी या रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। सब जगह पूंजीपति और सारे private sector के लोग हैं। अखबारों में सब से ज्यादा लोगों को ठेके पर रखा जाता है। इस तरह मजीठिया कमीशन कौन लागू करेगा? इनके कर्मचारियों को कोई यूनिशन नहीं बनाने देता है। आप किसी पत्रकार से सच्ची बात कहो, तो वह दहशत में आ जाएगा क्योंकि उस का मालिक दूसरे दिन उसे निकालकर बाहर करेगा। तो यह मीडिया कैसे सुधरेगा? अगर वह नहीं सुधरेगा तो चुनाव सुधार की यह सारी बहस यहीं मर जाएगी। ये भी उसे छोट-छोटकर देंगे। उसका मालिक बोलेगा कि किस का देना है, किस का नहीं देना है। हम रोज यहां बोलते हैं और ये रोज बोलता है कि हमारे जैसे आदमी को मत छापो क्योंकि यह सच बोल रहा है और सच ही इस ballot paper का ईमान है। इस ईमान को चारों तरफ से पूंजी ने घेर लिया है, बड़े पैसे वालों ने घेर लिया है और अब सब से बड़ी मुश्किल यह है कि बहस करें तो कैसे करें? सर, यह देश बहुत बड़ा है, एक continent है, लेकिन हमारी बहस और हमारी बात कहीं जाने को तैयार नहीं है, कहीं पहुंचने को तैयार नहीं है। ये अखबार के पूंजीपति मालिक कई धंधे कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें ले ली हैं और कई तरह के धंधे कर रहे हैं। वे यहां भी घुस आते हैं। इनको सब लोग टिकिट दे देते हैं। मैं आप से कह रहा हूँ इस तरह यह लोकतंत्र कभी नहीं बचेगा। सर, इस के लिए एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई मीडिया हाउस चलाता है या अखबार चलाता है, तो वह कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकता है। सर, इस देश में cross holding बंद होनी चाहिए। यह कानून पास करो, फिर देखेंगे कि कैसे हिन्दुस्तान नहीं सुधरता? हमारे जैसे कई लोग हिन्दुस्तान में हैं, जिन्होंने सच को बहुत बगावत के साथ बोला है। पहले भी हिन्दुस्तान को बनाने में ऐसे लोगों ने काम किया है। मैं नहीं मानता कि आज ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जो सच को जमीन पर उतारना चाहते हैं, लेकिन कैसे उतारें?

श्री आनन्द शर्मा: सर, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इन्हें बोलने दीजिए। ..(व्यवधान) ..

श्री शरद यादव: यानी इस चौथे खम्भे पर आपातकाल लग गया है। हिन्दुस्तान में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। यह जो पत्रकार ऊपर बैठा हुआ है, वह कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि उस के हाथ में कुछ नहीं है। यही जब सूबे में जाता है तो मीडिया वहां की सरकार की मुट्ठी में चला जाता है।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): कुछ पत्रकार सच लिखते हैं, तो लोग उसे गाली देते हैं।

श्री शरद यादव: गाली ही नहीं, उसे निकालकर बाहर कर दिया जाता है। फिर यह देश कैसे बनेगा? आप कैसे सुधार कर लोगे? मैं आप से ही नहीं, सब से पूछना चाहता हूँ कि सुधार कै से होगा? सर, इस देश में मीडिया के बारे में बहस क्यों नहीं होती? इस देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि कोई भी व्यापार या किसी तरह की cross holding नहीं कर सकता? तब

[श्री शरद यादव]

4.00 P.M.

हिन्दुस्तान बनेगा। सर, हिन्दुस्तान जिस दिन आजाद हुआ था, तो इसी तरह था। ...**(समय की घंटी)**... गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान ...**(व्यवधान)**... के लिए जान दे दी थी। मैं इस पार्लियामेंट में रवि शंकर प्रसाद जी, आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप वहां हैं, हम यहां हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आने वाले हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान से लोकतंत्र दूर हट गया है। आप कितने ही तरीके से stand up करिए, आप कितनी भी तरह की योजनाएं बनाइए, लेकिन वह दूर हटता जाएगा। हम सभी ने बहुत ताकत लगायी है, लेकिन वह गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। सर, जब इन के यहां चुनाव हो रहा था, तो मैं तीन अखबारों के पास गया था। उन अखबारों में मेरा कहा नहीं छप रहा था। मैं महीने भर से complaint कर रहा था, लेकिन उन में मेरे बारे में एक लाइन नहीं आयी। वे आज भी नहीं छापेंगे क्योंकि वह मालिक बैठा हुआ है। वे सारे पत्रकार मेरी बात को हृदय से जब्त करेंगे, लेकिन उसका मालिक उसकी तबाही करेगा। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि इसका कानून बनना चाहिए और लोकतंत्र तब सुधरेगा जब अखबार का मालिक एक धन्धा करेगा। ...**(व्यवधान)**... या तो वह पत्रकारिता का काम करेगा या फिर कोई दूसरा धन्धा नहीं करेगा। वह दूसरा धन्धा बेईमानी करने के लिए अखबार चला रहा है। वह अखबार बेईमानी करने के लिए चला रहा है, लोकतंत्र के लिए नहीं चला रहा है। वह हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर के लिए नहीं चला रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अखबार के मालिक MP बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह भी बता दीजिए।

श्री शरद यादव: उन सब चीजों की भी बहस हो जाए। यदि अखबार का मालिक उद्योगपति नहीं होगा, तो जरूर पत्रकार को लाइए।

श्री उपसभापति: शरद जी, आपने बहुत टाइम लिया है।

श्री शरद यादव: मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं 10 सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं यहां बहुत से सवाल उठाना चाहता था, लेकिन आप कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**... वोट तो ईमान है। हिन्दुस्तान के लोकतंत्र का यदि कोई एक मतलब है, तो यह वोट ईमान है। यह ईमान खतरे में है। इसे बचाने के लिए मैंने आपके सामने पहली शर्त रखी है कि मीडिया पूरी तरह से जनता से काट दिया गया है। उसके मालिकों ने हिन्दुस्तान की जनता से उस मीडिया को पूरी तरह से अलग कर दिया है। नम्बर-2, यह तो आपकी EVM है, मैं पक्के तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ बहुत लड़ा हूँ।

श्री उपसभापति: ओ. के.।

श्री शरद यादव: आडवाणी जी भी मेरे साथ थे और चंद्रबाबू नायडू भी साथ थे।

श्री उपसभापति: ओ. के.।

श्री शरद यादव: लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक बड़ी बात कही है। वह पैसा उसमें लगेगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए वह पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। मैं सरकार से कहूंगा कि उसको पूरी तरह से लागू करे और वह लागू न हो, तो अपने नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी ने कहा है कि दो सूबों में बैलेट पेपर ...**(व्यवधान)**... हो जाए।

श्री उपसभापति: ओ. के।

श्री शरद यादव: यानी गुजरात में और हिमाचल दोनों में बराबरी का खेल हो जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको लागू करने के लिए चुनाव आयोग 13 पत्र लिख चुका है। चुनाव आयोग के बारे में मेरा यह कहना है कि हमने जब इसकी मुहिम चलाई थी, उस समय हमारे साथ बीजेपी के लोग थे। उस समय के प्रधान मंत्री नरसिंह राव थे, वे आज नहीं हैं, वे बड़े सज्जन और बड़े डेमोक्रेटिक आदमी थे। उनको जमीन का ज्ञान था। हमने 3 आदमियों का कमीशन बनाया था। विद्याचरण शुक्ल जी Parliamentary Affairs Minister थे। मैंने उनसे कहा कि यह चुनाव आयोग, जो देश की सामाजिक पृष्ठभूमि है, इसका जरूर ध्यान रखें। इसमें एक माइनॉरिटी का, एक अकल्लियत का आदमी होना चाहिए। एक बैकवर्ड क्लास से, एक शैड्यूल्ड कास्ट्स से और एक ट्राइबल्स से आदमी होना चाहिए और बाकी किसी काबिल आदमी को इसमें रखें। आज यह कमीशन बिगड़ गया है। हमारे और उनके बीच में जो करार था, वह टूट गया है। मैं यह बात यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, जिस पर हिन्दुस्तान के लोगों को बड़ा यकीन है और मुझे भी बड़ा यकीन है। कई बार जब मैं हारता हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बूथ कैप्चर हो गया, इसलिए हार गया। मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। मैं यूपी से लेकर दिल्ली तक सब चुनाव लड़ता रहा हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है, हमको तैयार होना है। हम तैयार हो जाएं। मैं फिर से अंत में कहूंगा ...(समय की घंटी)... हिन्दुस्तान में हमारी जुबान बंद कर दी गई है। बोली रोक दी गई है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं यह बात जरूर कहूंगा कि आपकी जुबान को कोई नहीं रोक सकता है और कभी रुकेगी भी नहीं।

श्री शरद यादव: मैंने कहा कहा है? आपके रहते तो मेरी जुबान कहीं नहीं रुकेगी।

श्री उपसभापति: ओ. के.

श्री शरद यादव: लेकिन जो जुबान को दूर तक ले जाता है, वह तो मालिक के पास चला गया। वह रोक रहा है। मैं उसके बारे में कह रहा हूं, इसलिए...

श्री उपसभापति: शरद जी, आप बोर्ड पर देखिए।

श्री शरद यादव: मेरा यह कहना है कि मेरी बात को गंभीरता से लें।

श्री उपसभापति: शरद जी, आप बोर्ड पर देखिए।

श्री शरद यादव: एक पूरा दिन मीडिया के बारे में बहस करें और इसका इलाज करें। और जो इलाज करता है, उसका एक ही मतलब है कि जो मीडिया का मालिक है, वह सिर्फ पत्रकारिता ...(व्यवधान)... की कहेगा, बाकी और ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Sharadji.

श्री शरद यादव: बाकी मीडिया कमीशन ...(व्यवधान)... मेरा आपसे यही कहना है कि मीडिया कमेटी की recommendation लागू होनी चाहिए और सरकार को लागू करनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He made it as if it was an election speech — emotional.

श्री तपन कुमार सेन: इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, that employment relation is the central point. Who employs whom, that decides everything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Now, Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you, Sir. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yechuryji, one second.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, can I have some direction from you as to what time I am supposed to reply? I just want to know this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can see how I am failing to control. ...(Interruptions)... Didn't you see that? You should sympathise with me also. Shall I fix it as 5.30 p.m.?

SOME HON. MEMBERS: Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I presume it to be 5.30 p.m.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Okay.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Mr. Yechury, now you can start.

SHRI SITARAM YECHURY: Me, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is your time.

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you, Sir, but it is very ominous that just before you call me to speak, the hon. Minister gets up to put a restriction ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; it is not a restriction. ...(Interruptions)... You got an advantage. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: How? This is...(Interruptions)... as if some conspiracy is going on. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You got an advantage.

SHRI SITARAM YECHURY: This is something I can't accept.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You got an advantage. ...(Interruptions)... See, I can give you four times more than that of your Party time — four multiplied by your Party time.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we all agree; it could be for all — 27 minutes, or, 30 minutes as he has said. So, you please stick to our agreement.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It is only self-restraint; no will.

श्री सीताराम येचुरी: सर, आज बड़े जज्बात के साथ बहस हो रही है, यह बड़ी अच्छी बात है। आज तक, अभी तक जो कहा गया है, मैं उस सबका स्वागत करता हूँ, but I will move in to English. ...(Interruptions)... Sir, many things have been said, and I agree with most of the points that have been made. I do not want to take time on that. Sir, I would like to begin with one point, where Mr. Sharad Yadav has just left.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is another important subject.

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, Sir. That is something important and I hope you will accept his advice and have a separate discussion on media. That all of us would want. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He made very relevant points about media. I subscribe to that.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Ministers are present here. This House should accept to discuss the role of media in our democracy, the issue of cross-holdings, ...(Interruptions)... how it is, actually, subverting the very spirit of the Article 19 of the Constitution, how money is playing the role and paid news. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We should have another discussion on the role of media.

SHRI ANAND SHARMA: Let the sense of the House be taken and let there be a discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. I think we should have another discussion on the role of media. Now, you proceed, Mr. Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, all of us have a great pride in our democracy. The Constitution that we have all adopted guarantees 'one man, one vote'; or, 'one person, one vote' and 'one vote, one value'. This political equality is established in practice through the electoral process. If the electoral process is deficient, there is always a need to fine tune it. What the LoP said is correct. Over the years, we have been fine tuning it. But, now, I think, the time has come when major changes are required in order to ensure that the democratic choices of the people are not distorted. You cannot have democratic choices being distorted by either money power, or, muscle power, or, appeals to communalism, or, appeals to caste, in which case democracy is at peril and at stake. These infirmities have to be corrected. Now, the

[Shri Sitaram Yechury]

reason why I am raising this is that we have had long discussions on electoral reforms. Our late Dinesh Goswami was there. Unfortunately, he died in a car accident. But he gave a very voluminous report. Indrajit Gupta Commission was referred to here. That was a very, very good Report which was presented there, but nothing of that has, actually, been implemented. We need to correct that, and how do we correct that? That is a question right now. The whole purpose is to stop the distortion of democracy that is taking place in our electoral process and system today. Now if you want to proceed from the point of how to correct it, the Government, in its Union Budget, made two proposals. Dealing with the question of money power and influence of money during the electoral processes, it said that the cash donations to political parties would now be restricted to two thousand rupees from the existing twenty thousand rupees. The second one they said is that there is going to be electoral bonds. That would be floated. People can buy the bonds. They can give it to the political parties which can redeem the bonds. Now, these two are a mere eyewash. Not only an eyewash, they are opening up newer areas for money laundering. Now for twenty thousand rupees if I had to give a name of a person who has given me that money, for two thousand rupees, I can give you ten names which is equivalent to that twenty thousand. Now what is the great difference that is being made? It is a mockery. Take electoral bonds. Who buys them, who gives them, who gives them to you, who then redeems them, all this is in a veil of secrecy. Except for the Government of the day, nobody else will know, and that can also be used for other purposes of blackmailing saying 'why you have paid to so and so party'. So this is no reform. This is only opening up ways for further distortion. ...*(Interruptions)*... Sir, if you really want to reduce the role of money power — I have been arguing, at least, for a decade from this place and I reiterate my points which have been raised here earlier also — you put a ceiling on the expenditure of political parties, doing it along with the candidates. If you want to increase that ceiling, increase that ceiling, but if you do not have a ceiling on the expenditure of political parties, you cannot control the influence of money power. I have seen it, Sir, in the airports. All of us have seen it. When we go for an election campaign, our colleagues from this House, we suddenly find, while we are waiting for a commercial aircraft to take-off, the aircraft getting late, but they fly-off in their private jets. They come and land and then take their helicopter and go-off for their election meetings and cover seven meetings. But we can do only one or two at the most on road. We have all seen it.

श्री शरद यादव: फिर तो आप दिल्ली वापस नहीं आ सकते।

श्री सीताराम येचुरी: जी, नहीं आ सकते। We have all seen it, Sir. आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह की कैम्पेन करना चाहते हैं तो रात को हम दिल्ली वापस नहीं लौट

सकते हैं। पांच-पांच प्राइवेट जेट हैं, देखिए। चलिए, इस बात को छोड़िए, लेकिन इस सवाल में, अगर आप इसके ऊपर पाबंदी रखना चाहेंगे, तो पार्टी के खर्चे के ऊपर कोई सीलिंग का आधार नहीं होता तो इसके ऊपर अंकुश नहीं लग सकता। उससे बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ अंकुश तो लगेगा। दूसरी बात, शायद हम अकेले रहेंगे, लेकिन सीधा-सीधा हम यह कह रहे हैं कि चैक से हो या ड्राफ्ट से हो, जो भी हो, कॉर्पोरेट फंडिंग बैन किए आप पोलिटिकल पार्टीज को। Let the corporates cooperate. They must cooperate with Indian democracy. They must contribute to the functioning of Indian democracy. Let them contribute to a State fund. Let it be managed and operated by the Election Commission or by any other agency, and let there be the system of State funding that the Indrajit Gupta Commission had recommended. It is high time that you start implementing that. The State funding is not giving money to political parties as cash. The State funding was to be done in kind where the recognized political parties, National and States, would be given in kind — the vehicles, the drivers, the petrol or the fuel, the number of posters to be printed in accordance with their electoral performance or the past electoral performance ...(Interruptions)... and now you add helicopters. It is correct. Now you add helicopters also, the number of helicopters, all the private jets. But you start this practice of State funding which exists in many other Western democracies. It is not a very new thing that is going to happen in the world, and there, Sir, I have pride in our democracy from one fact. You remember when President Obama came here for the first time. He came here and he wrote in our Golden Book. There is nothing golden about it. But you have a book in the Central Hall where foreign Heads of State come and write. He said, 'Greetings from the world's oldest democracy to the world's largest democracy.' We had to point out that evening at the hon. President of India's banquet, "Sir, this is also not correct to say that you are the world's oldest democracy."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can it be?

SHRI SITARAM YECHURY: Okay, they talk of the Charter of 1776 and so on.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is parliamentary democracy.

SHRI SITARAM YECHURY: But President Obama was born one year before all the African Americans got their universal suffrage in the USA. They got it in 1962; he was born in 1961; otherwise there would have been no universal suffrage. We gave it from day one, Sir! That is the pride of our democracy. But how do you exercise that? You exercise that through an efficient electoral system and electoral process. But the electoral process is being distorted like this, like what we have seen with money power. And, it is absolutely correct. Wherever I have been in the campaign — what

[Shri Sitaram Yechury]

my colleague, Mr. Ram Gopal Yadav was also saying just now – all along, there has been a widespread suspicion that this entire *notebandi* or demonetisation was done to help the ruling party so that they can spend the money while the others cannot because there are restrictions put on them. This is the widespread feeling amongst the people. Whether it is right or wrong is a separate matter. These two steps need to be taken – bringing party expenditure under a ceiling and banning corporate funding of parties. Let it go to a State corpus; let a process of State funding come in. If you cannot do that, at least, put some restrictions on the misuse of money in influencing the electoral process. There is money power at play, which has reached a crescendo today. This is what we have seen in the recent elections. So, this is a very important issue that has to be immediately addressed. I would give you my suggestions as to how we think it should be addressed.

The second point that I want to make is very important, which the Leader of the Opposition also dealt with, and that is concerning our democracy. Democracy, as we understand it, is the rule of the majority and, till now, since Independence, I think except for once, no Central Government in India has commanded more than fifty per cent of the support of the people who voted; forget the whole electorate, of the people who voted, not once did it happen that they commanded more than 50 per cent of the support. I am told that there has been one such occasion. The closest I remember, in my lifetime, was when Mr. Rajiv Gandhi got 405 seats. He came up to about 48 per cent; even then, it was not more than 50 per cent. It never crossed the 50 per cent mark. If democracy is the rule of the majority, this has to be corrected, Sir, and if this has to be corrected, we will have to move towards a partial-proportional system. And they are right when they said that 31 per cent is what the BJP got in the last elections, and, 39 per cent with all their NDA supporters. So, 61 per cent of the people who voted...

SHRI SHARAD YADAV: No. 69 per cent.

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, 69 per cent voted against the BJP, but let us give them the benefit of doubt, including their allies; 61 per cent of those who voted, voted against the BJP. But in our system of the 'first past the post', they had the majority and they are entitled to form the Government under our Constitution. But this is a weakness that we have to reconsider. I think the time has come for a serious consideration of the partial-proportional representative system. Yes, India is a country with immense diversity. Our diversity is such, and it is very natural that every specific entity in our country would like their person to be represented in the Parliament. That is absolutely legitimate. That legitimate aspiration of the Indian

people must be kept in mind. At the same time, this distortion of democracy, where it is not the rule of the majority, has to be corrected. That can only be done through a partial-proportional representative system whereby you could consider — we have made these suggestions in the past — that out of the 542 seats that you have in the Lok Sabha, club two seats together and reduce the number to one half of this 542, making it 271. And, in every constituency, every voter has two votes, one for the individual and one for the political party. That political party would submit to the Election Commission a list before the election. Depending on the percentage of the votes that that political party gets, the Election Commission would decide the number of MPs they would have and accordingly, those seats would be filled up, while the individual also gets the right to be elected in the same constituency. So, the diversity of India can also be maintained and the democratic principle can also be maintained. Then you will be, at least, ensuring that the Government that comes into office is the Government that enjoys the support of more than 50 per cent of the people who have voted in that election. Otherwise, we are not really following a democratic system under the definition that democracy is the rule of the majority. So, time has come, Sir, that we have to consider this. There are two advantages of this Proportional Representative System. In this House, I remember, standing here, that we had to use the Marshalls to pass the Women Reservation Bill, and it has not happened in the other House. It has now gone to the other House and it has lapsed. For more than a decade, nearly two decades, I think, we have been talking about women reservation. In the Proportional Representation System, it can be made mandatory that every party will give one-third of seats to women. That will ensure women representation in the Parliament. Secondly, with the Proportional Representation System, the use of your money power, muscle power, caste appeals, communal appeals, etc., etc., can also be curtailed because people are going to vote for the political programme of the political parties, not for individual appeals that can be there in the other part for individual candidates. But, Sir, this sort of a system has to be brought to India today if we really want to fine tune and perfect our democratic set-up, which I started by saying that this is a very important aspect of our country of which, at least, my generation, born after the Constitution was adopted, is very proud of. The other distortion that we have talked of very eloquently is media. My senior colleague, Sharadji, has also spoken about the media and control over it. Sir, we have discussed in this House the print and electronic media. I have participated in that discussion earlier also on the question of paid news. But nothing has happened on that issue. The time has come when paid news is identified as paid news. That must be treated as an advertisement and the money should be charged to the account of the political party or to the candidate. First of all, try to stop it and take some action on this question of paid news. The second thing is the control

[Shri Sitaram Yechury]

over the media that you have. What has been raised is absolutely correct. No major democracy in the world allows cross holding of the media. No major democracy! And, there the same corporate cannot hold a newspaper and a TV channel and electronic sites. And what has been said about social media is absolutely correct. I show you, Sir, the number of things that have come up. Now, today, WhatsApp is estimated to be 98 per cent of cross current of opinions on the social media. Ninety-eight per cent! Your Facebook and Twitter, inventions of 2014, have come down. Three years is a long time in information technology. Now, they all have gone into the background. There is no control over this WhatsApp — what is the content, what goes on there, what is the entire distortion that happens there? The whole survey has been done how the BJP won the UP elections with the use of WhatsApp. It may be right or wrong. But what is the control over this fourth estate that Sharadji was talking about? We have to ban cross holding. Some new laws have to be made in order to penalize paid news. My appeal to all our journalist friends, very good minds, very good patriots, who want India to be vibrant and become good, is this. We told them right then, "Please, don't make the mistake of moving from a fixed salary into a contract." But they did and we see now what is happening, what Sharadji was talking about, that the control of the owners of the media is a vice-like grip. Take the case of your electronic media. You say that Doordarshan will give equal amount of time depending on the percentage of vote polled by each national party, but in the private media, it is zero. State funding should also include that in the private media also, according to the same proportion, the time will be allotted to all the parties and nobody can get a disproportionate time. That has to be done. You open any channel today. Hon. Prime Minister's speech is live-telecast in every single private channel. There is only one camera that goes with the Prime Minister, and that is the public broadcaster, but everybody takes it from that public broadcaster to give a live coverage. And, Sir, if you are travelling, which I do quite a number of times, when you are driving, you listen to the radio. When the hon. Prime Minister speaks '*Mann Ki Baat*', all your old songs, Hindi songs, everything vanishes. On every single FM radio channel, you listen only that. Why is that so? The Prime Minister has got a right to talk to the people, but how do you take away the choices before the people? Is this democracy? You have radio stations that are dedicated to playing certain types of music or certain types of issues, but all that is taken off. Is that democracy?

So, what is happening to the media is something that needs to be seriously discussed.

श्री शरद यादव: मजीठिया कमेटी है।

SHRI SITARAM YECHURY: Majithia Committee is there. उससे पहले शरद जी, इतनी सारी कमेटियां आईं और इतनी सारी सिफारिशें आईं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। यह अफसोस की बात है और अगर इसी सेशन में करें, तो हम कल ही नोटिस दे देंगे। त्रिपाठी जी, बिलकुल सही कह रहे हैं। आप इसे मान लीजिए as the Chair, you have the right. कल या परसों डेट फिक्स कर दीजिए। हम सब लोग तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस बारे में सीरियसली चर्चा करें। यह बात सही है। सर, हमने इमर्जेंसी भी देखी, हमने इमर्जेंसी की सेंसरशिप भी देखी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति हमने उस समय भी नहीं देखी। उस समय सिनेमा हॉल में जब न्यूजरील आती थी, तो हम लोग उठकर बाहर आ जाते थे कि 10 मिनट के बाद आ जाएंगे, जब न्यूजरील खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह प्रोपेगंडा है, लेकिन सर, आजकल वह मौका भी नहीं है। आपको तो बाहर जाने के लिए चांस ही नहीं मिलता और बम्बार्डमेंट हो जाता है। इसके बारे में आपको कुछ करने की जरूरत है। The next point I want to make is about EVMs. I was showing, when Sharadji was talking here...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the last point.

SHRI SITARAM YECHURY: No, Sir, I have got seven more points. I will show you this picture. It shows Mr. Advani, Mr. Narasimha Rao, the spokesperson of the BJP today, and the book titled, 'Democracy at Risk Due to EVMs'. Now, I have been a party to all these discussions with the Election Committee, from the time Mr. Chandrababu Naidu raised it down to all of this. And because the maximum number of IT professionals working in the US are from Andhra, we called them. They came and demonstrated. There were some problems. The Election Commission said that they would sort them out. But finally, in the all-party meeting, everybody then finally agreed. I remember, Mr. Quraishi was the CEC. Everybody agreed that there would be a paper trail. We proposed it. Paper trail was accepted. Then, it went up to the Supreme Court, and the Leader of the Opposition said very correctly that the Supreme Court had also agreed. It was 2013-end. In 2014, the Government changed. Day before yesterday, Mr. Quraishi was on record in the media saying, "I don't know why the Government has stopped the funding for this to continue." Yesterday, we saw that the Chief Election Commissioner writes to the Prime Minister of India, the head of the Executive. Executive, Legislature and Judiciary are the three wings of our democracy. The Election Commission is a Constitutional authority. It doesn't deal with the Executive. If it has to, it deals with the President or the offices appointed by the President. It is unprecedented for the Election Commission to deal with the Executive. But look at the desperation. There is no other option because the Government is not releasing funds. This has to be done and this has to be done before the next election, and, that is why, अगर वे गुजरात का इलेक्शन प्रीपोन करते हैं, तो आप भी हिमाचल के बारे में सोच लीजिए। वरना यह होगा कि गुजरात का इलेक्शन प्रीपोन होने से पहले पेपर ट्रेल नहीं होगा ...(व्यवधान)... या आपके हिमाचल आते-आते पेपर ट्रेल हो जाएगा। आप यह भी सोच लीजिए। ...(व्यवधान)... पेपर बैलेट हो। But, in any case, this has

[Shri Sitaram Yechury]

to happen immediately. Sir, let us look at the paper trail. Mr. Ram Gopal Yadav gave you the figures of Uttar Pradesh. I know that in the last general elections in West Bengal, paper trail was done in 22 constituencies; and, out of 22 constituencies, they won 12, and, we won 10. I am not going into the results. But for the confidence that the EVMs cannot be manipulated, you have that fall back option; you have that assurance that if there is a dispute, you can count the ballot papers and not the EVM machine count. With this, the confidence comes into the whole system and in the machines. The Election Commission is prepared; the Supreme Court has ordered, why are we not doing it? Tell me, why are we not doing it? And, I think, by not doing it, you are creating great problems for our democracy at work.

Sir, the next point that I want to talk about is 'simultaneous elections'. Sir, you are older than me. You have fought many more elections. 17 बार तो ये चुनाव लड़े हैं। Sir, in 1952, the elections were held simultaneously. In 1957, there were simultaneous elections.

SHRI ANAND SHARMA: In 1962 also.

SHRI SITARAM YECHURY: By that time, the distortion had come. Why did this separation happen? Under Article 356, there was dismissal of the Kerala Government, and, after that, there was dismissal of some other Government. So, the time could not be matched. So, are you prepared to remove Article 356 from the Constitution? Tell me, if you want simultaneous elections, are you prepared to remove Article 356 from the Indian Constitution? If you cannot remove it, you cannot have simultaneous elections. You please understand it. What are you talking about? It is not a gimmickry or an advertisement. This is serious as you are talking about 'democracy at work'. And, here, in this democracy, when I say that there is a pride in it, the pride exists because of our diversity. You can have and you will have, very often, coalition Governments, and, in coalition Governments, there will be problems with one partner or the other partner and they may withdraw support in between. We have done it in the past. Somebody else may do it in future. But that is our democratic right and you cannot deny that right under the Indian Constitution. But by saying that you will have only simultaneous elections, what are you saying? Are you saying, "No, for five years, your democracy and your democratic rights are not applicable?" What is this, Sir? Are we rendering it into some sort of a non-serious issue? They now say that in 2019, they will dissolve their State Governments and then they will have simultaneous elections. This is a surreptitious manner in which our Parliamentary democracy is sought to be substituted by a Presidential form of Government, and, this is something, which we cannot allow. Sir, our country, through exhaustive debates in the Constituent Assembly, adopted the parliamentary

form of democracy because of the diversity that we have in our country, which is unparalleled anywhere in the world.

Somebody correctly said that probably, we can have it in a two-party system but with this sort of diversity, with this sort of country that we have, the parliamentary democracy is the only form through which democracy can survive in our country, and, that is what Dr. Ambedkar said. The entire Constituent Assembly said it, and, we came to the conclusion. This is a backdoor method to try and bring back the Presidential form and that is something which cannot be allowed. ...(*Time-bell rings*)...

And, that is why, Sir, simultaneous election is not merely a question of saving money. It is not a question of simply saving money. It is not a question of simply saying that the Code of Conduct does not allow me to work. Yes, these are problems which we can try and resolve. But do not try to tinker with our system and distort our parliamentary democracy by trying to bring in the Presidential form through the backdoor. That is something that cannot be allowed. ...(*Time-bell rings*)...

Finally, Sir, there are many other issues on electoral reforms. You have the question of disqualification, the question of disqualification on conviction or before when the chargesheet is filed, etc. These are the issues that are required to be discussed seriously. Since you have already pressed the bell, I am not going into the details. But, Sir, I have a serious problem with respect to communal appeal. In these elections in U.P., you can have leaders go and openly talk about *Kasab*, *kabristan*, *shamshaan ghat*, *Eid*, *Diwali*, the straightforward communal appeal trying to polarize the people, and nothing happens. And who are these people — the hon. Prime Minister of the country, the president of the ruling party of the country. If they can go and make such appeal and there is no control, no restriction, then what is democracy all about? Why do we have this Indian Penal Code? Why do we have these sections in it saying, 'appeal to a particular section' is actually a criminal act? Now, this is something that has to be seriously considered. There are other issues like whether you should allow anybody to contest more than one seat. Why should you in a democracy? Why should any person contest on two seats or more than two seats? That is a gross wastage of public money. You will have to resign from one, unless you lose both the seats. That is a different matter.

श्री शरद यादव: लोग तीन-तीन सीट्स पर चुनाव लड़े हैं।

श्री सीताराम येचुरी: हां, लोग तीन-तीन सीट्स पर चुनाव लड़े हैं। यह क्या है? So, there are many such issues. ...(*Time-bell rings*)... Finally, Sir, after this Government assumed office, you have a very proactive, hyperactive Law Commission. The Law Commission is asking all of us political parties for various opinions on various things, including common civil code, etc., etc. The Law Commission has ordained for itself

[श्री सीताराम येचुरी]

the right to re-draft our Constitution, I think, which is something that it must be disabused from. In October, 2014, soon after this Government assumed office, they had asked for opinions from various political parties on a consultation paper on electoral reforms. We have given our opinion. I am sure every party has given its opinion. All of us have given. Today is 2017. Nothing has happened. So, my final point is urging the Government to establish a mechanism through which this entire issue of electoral reforms can be properly discussed and, like Sharadji said, it could be a House Committee, a Joint House Committee or along with other legal experts, Constitutional experts form a proper committee with leading political figures and let us get down to the business of seriously reforming our electoral process. This is absolutely essential for our democracy. Thank you, Sir.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important issue. मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि electoral reforms पर बहुत-सी बातें रखी गई हैं, proportional representation की बात रखी गई है। मैं उनसे एग्री करता हूँ और proportional representation के संबंध में मैं एक उदाहरण अपनी पार्टी का देना चाहता हूँ। वह यह है कि सन् 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में तीसरे नंबर पर वोट पाए, highest percentage of vote मिले। More than two crore and sixty-two lakh persons voted for BSP. But still, seat was zero and no representation was there in Lok Sabha.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

मुझे अभी भी याद है कि 2014 के बाद जब बजट के पहले Presidential Address पर यहां पर डिस्कशन हो रहा था, तो हमने कुछ बातें रखी थीं, उस समय कांग्रेस पार्टी इस साइड थी और बीजेपी उधर चली गई थी, तब बीजेपी की तरफ से एक वरिष्ठ नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आपको बोलने का क्या राइट है, आपकी तो एक भी सीट लोक सभा में नहीं है। मुझे आज भी वह बात याद है।

सर, 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन सीट नहीं मिली, इसलिए उनको इस तरह से कहने का मौका मिला, क्योंकि इस कंट्री में proportional representation की बात नहीं है, जबकि बीएसपी अपने वोट शेयर के मामले में पूरी कंट्री में third largest party थी।

सर, electoral reforms के तहत हमारा मुख्य मुद्दा इवीएम मशीन का है, जिस पर मैं आज बोलना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं समय को ध्यान में रखते हुए electoral reforms के बारे में कुछ बातें शॉर्ट में रख दूंगा। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, मैं उन्हें repeat नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें रह गई हैं, उन्हें जरूर कहना चाहूंगा। अभी श्री सीताराम येचुरी ने कहा कि इसके अंतर्गत disqualification जैसे विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए और reforms आने चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमें Tenth Schedule को देखना पड़ेगा। Tenth Schedule इसलिए आया था कि यदि कोई defection करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सके, लेकिन यह

Tenth Schedule आज बिल्कुल defunct हो चुका है। हम लोग और हमारी पार्टी इसके भुक्तभोगी है। एक बार नहीं, तीन बार defection को हमने face किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम गए। हाई कोर्ट से भी जीते और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण संवैधानिक पीठ ने, 5 Judges की पीठ ने भी इस मामले को देखा, जिसमें मुझे अपनी पार्टी की तरफ से argument करने का मौका मिला था। वह बात अलग है कि दूसरी तरफ से 25 वकील appear हुए थे, क्यों हर व्यक्ति, जिसने defection किया, अपना एक वकील खड़ा कर सकता है। उनका निर्णय चुनाव से ठीक दो महीने पहले आता है, हमारे पक्ष में आता है और वे सभी disqualified माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव आ जाते हैं। इस तरह के disqualification का कोई मतलब नहीं रह जाता है। Tenth Schedule का निर्णय अगर Speaker ने करना है और Speaker जो Party-in-power है, उसके द्वारा चुना जाता है, इस तरीके का provision जहां हैं, वहां कभी भी Tenth Schedule में निर्णय नहीं हो सकता।

दूसरे, जिस तरीके से आज Political parties हैं, जैसे कोई एक पार्टी से जीतकर आता है और आने के बाद defection कर जाता है, तो Tenth Schedule में इसका provision रखना चाहिए। हमारी राय से, हमारा मत यह है कि अगर आपने defection किया है तो आप disqualified माने जाएंगे। फिर आपने यह नहीं देखना कि अब तीन-चौथाई हो गया, पहले एक-तिहाई था या पार्टी merge कर गई। अगर आपने defection किया है, तो जिस पार्टी से आप लड़कर आए हैं, जिस पार्टी के चिह्न पर चुनाव जीतकर आए हैं, जब आप उस पार्टी को छोड़ रहे हैं तो आपको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। आपकी सीट उसी दिन vacant declare हो जानी चाहिए जिस दिन आप defection करते हैं। दोबारा से वह व्यक्ति चुनाव लड़े और पार्टी से चुनकर आए। ऐसा हमने कई States में face किया है, जहां हम national party के रूप में हैं। हम हर स्टेट में लड़ते हैं। अभी South India में एक नया स्टेट तेलंगाना बना था। वहां हमारे दो MLAs चुनकर आए, लेकिन जब Ministry बनने लगी तो उन्हें defection कराकर मंत्री बना दिया गया। इस तरह की चीजें, एक बार नहीं कई बार होती रही हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई दूसरी स्टेट हो और वहां चाहे कोई भी पार्टी power में हो। जो पार्टी power में होती है, वह इसका use and misuse अपने हिसाब से करती है। इसलिए election लड़कर अगर कोई आता है, तो Tenth Schedule को भी हमें देखना चाहिए और विचार करके उसमें आवश्यक amendments लाने चाहिए ताकि ऐसे defectors को उसी समय पार्टी छोड़नी पड़े।

जहां तक media का सवाल है, media को लेकर यहां बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। शरद यादव जी ने बहुत detail में जाकर अच्छे तरीके से सारी बातों को already रख दिया है। उसे repeat करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा या हमारी पार्टी से ज्यादा इसका भुक्तभोगी कौन होगा? उत्तर प्रदेश में हमने पिछला चुनाव कई लोगों से लड़ा है। हमने इनकी muscle power से लड़ा। जैसा यहां कहा जा रहा है कि 80 helicopters, आप गलत बोल रहे हैं, 75 helicopters मान लीजिए, 80 figures गलत हो गई, 75 helicopters और 10 हवाई जहाज लेकर, हर शहर में 400 motorcycles, जिन पर नम्बर नहीं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, उन motorcycles में छपा हुआ, 403 Constituencies में आपके 403 रथ चल रहे थे, आप इस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे और पूरा media आपके साथ रहा। सुबह से लेकर शाम तक media आपके साथ रहता था, इसलिए हम media से भी चुनाव लड़ रहे थे। हम जहां आपसे चुनाव लड़ रहे थे, media से और अन्य पार्टियों से भी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि

[Shri Satish Chandra Misra]

media आपके साथ खड़ा था। शाम के चार बजने के बाद panels बैठ जाते हैं। उन panels में आपके लोग बैठकर media में आपका प्रचार और प्रसार करते थे। Election Commission कहता है कि हमने Exit Poll बंद कर दिया, अब Exit Poll नहीं हो सकता, लेकिन यह भी कहा कि हम Opinion Poll ban नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसका proposal दिया था, मगर Law Ministry ने नहीं माना। Law Ministry ने कानून नहीं बनाया। जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता, हम Opinion Poll को बंद नहीं कर सकते। कानून लाना चाहिए, लेकिन कानून कौन लाएगा? जो पार्टी पावर में है, वह तो दिन भर यही काम कर रही है। एक दिन पहले ओपिनियन पोल बनाकर, अभी वोट नहीं पड़े हैं, वोट किसको पड़ने वाले हैं, यह किसी को मालूम नहीं है, आपके 8,000 लोगों के बारे में जो ओपिनियन पोल्स हैं, उनमें डेटा भी दिया गया है। आप कहते हैं कि 8,770 लोगों से हमने पूछताछ की और उनसे हमने बड़ा सॉलिड ओपिनियन पोल निकाल लिया। उसमें यह निकाला गया कि 20 परसेंट मुस्लिम्स बीजेपी के साथ हैं, 30 प्रतिशत दलित आपके साथ हैं और इसी तरीके से अपर कास्ट आपके साथ है, ब्राह्मण समाज को हम गाली दे रहे हैं, फिर भी वह हमारे साथ है। ये सारी बातें आपके ओपिनियन पोल में आईं और आपने कहा कि हम तो 300 सीट्स से ऊपर जीत रहे हैं। आप 300 की फ़िगर लेकर क्यों आए? उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तो आप 40-45 सीटों पर थे। आप 300 की फ़िगर इसलिए लेकर आए, क्योंकि आपको मालूम था कि आपने मशीन में कितनी फिक्स की हैं। ...**(व्यवधान)**... आपको पहले से फ़िगर मालूम है। आपको यह पता है कि ईवीएम में कितनी लिमिट हमने फिक्स कर दी है, कितना रिजल्ट निकलने वाला है। आप शोर मचा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जब वोट पड़ गए थे, तो रिजल्ट के एक दिन पहले एग्जिट पोल वालों में से इनके लिए कोई 180 बता रहा था, तो कोई 200 बता रहा था, लेकिन आखिर में एक कम्पनी की तरफ से इनके खुद का एग्जिट पोल आया, जिसको इन्होंने रात के 8 बजे तक यह कहते हुए रोककर रखा था कि हम तुमको बता रहे हैं कि कितनी सीटें आने वाली हैं।

श्री शरद यादव: उसका नाम क्या है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: उसका नाम चाणक्य है। ...**(व्यवधान)**... I am not yielding. मान्यवर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और वह इज्जत आज और भी बढ़ गई। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेंद्र यादव: हम लोग लोक सभा चुनाव में भी ...**(व्यवधान)**... आगे थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: भूपेंद्र जी, मैं मानता हूँ कि आप कभी गलत नहीं बोलते हैं। आज भी इस बात पर आप गलत नहीं बोले, इसलिए आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, क्योंकि आपने ईवीएम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आपने यह नहीं कहा कि इसमें गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आप यह मानते हैं कि गलती हो सकती है, इसलिए मेरी आपके लिए इज्जत और बढ़ गई। ...**(व्यवधान)**... देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनको दर्द होता है, क्योंकि जब कोई सही बात रख दी जाए तो दर्द होना चाहिए और आपको खड़ा भी होना चाहिए। आप बीच-बीच में खड़े होते रहिए, आप बार-बार खड़े होइए, उससे हमारी बात को आप प्रूव करते हैं। आप प्रूव करते हैं कि जो हम कह रहे हैं, वह सही है। आप जितनी बार खड़े होंगे, उतनी बार लोगों को भी यह एहसास हो जाएगा।

शरद यादव जी ने कहा कि आप मीडिया को आप कंट्रोल कर लेंगे। कल के अखबारों में शरद यादव जी नहीं छपेंगे, आप ही छपेंगे। आप और मीडिया चैनल्स को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप इस समय राज्य सभा चैनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस समय वह दिखा रहा है और वह सब चीज बता भी रहा है। आगे आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, वह बाद की बात है, इस समय आप नहीं कर सकते। इसलिए जो सत्यता है, उसको आप कबूल कीजिए और उससे परेशान मत होइए। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम के बारे में यह किताब इन्होंने मोबाइल में दिखाई थी, मैं यह किताब ही आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब को आप देख लीजिए-Democracy at Risk. यह किताब जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने लिखी है। वे पूरे इलेक्शन 24 घंटे मीडिया में बैठे रहे। वे थक गए, लेकिन पानी पी-पीकर बोलते रहे, क्योंकि इन्होंने उनसे कहा था कि मीडिया में बैठिए। उन्होंने किताब में क्या लिखा है, वह भी मैं दिखा देता हूँ। यह किताब किसी और ने नहीं लिखी है, यह किताब आपके स्पोक्सपर्सन ने लिखी है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस किताब में तो उन्होंने इतना मैटीरियल दे दिया है कि 272 पन्नों की इस किताब को पढ़ने के बाद ईवीएम पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता।

आडवाणी जी, जो इस कंट्री के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी इज्जत पूरा देश करता है, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में विश्वास नहीं हो सकता। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी इस समय यहां थोड़ी देर पहले बैठे थे, लेकिन अभी यहां नहीं बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि वे यहां रहेंगे। वे तो हमारे हाउस के मेम्बर हैं। उन्होंने खुद इस किताब के साथ पूरे बीजेपी वालों के साथ मिलकर एजिटेशन किया और पूछा कि यह चिप कहां बनती है? उनको जवाब मिला, जापान में बनती है। उन्होंने कहा, मैंने जापान वाले, जो इसको बनाते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप अपने यहां मशीन अब क्यों नहीं चला रहे हैं? उन्होंने कहा, हम पागल थोड़े ही न हैं कि हम इस मशीन को चलाएंगे। उनका यह ऑडियो-वीडियो सब जगह चल रहा है, उसको सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पागल थोड़े ही न हैं कि हम ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। जर्मनी में उसको कूड़े में फेंक दिया गया। जिस तरीके से आज सेटेलाइट से भी हैक कर सकते हैं आपका टेलीफोन, हम लोग यहां क्या बोल रहे हैं उसकी हैकिंग हो सकती है। हम लोग जब यहां पर वोट डालते हैं तो यहां पर गड़बड़ी हो जाती है, फिर पेपर से हम लोग वोट देते हैं। जहां पर इतना हो, जहां पार्लियामेंट के अंदर यह हो रहा हो, तो वहां पर यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या है। इलैक्ट्रॉनिक मशीन में कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। यह किताब अपने आप में सिफिशिएंट है। इसमें इंडिया के नहीं इसमें foreign scientists, foreign engineers, foreign technicians सबने, इंडिया के बड़े-बड़े लोगों ने मिल करके यह प्रूव किया है कि यह मशीन हैकेबल है, हैक हो सकती है और अगर हैक हो सकती है और अगर वन परसेंट भी हैक हो सकती है तो हमारा राइट मरता है। कौन सा राइट मरता है जो बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कांस्टीट्यूशन के Preamble में दिया है। Article 19(1) में दिया जरूर है, लेकिन कांस्टीट्यूशन का Preamble कैसे स्टार्ट होता है? It starts with, 'We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign' पहले जब कांस्टीट्यूशन बना था, तो it was Sovereign Democratic Republic. डेमोक्रेटिक वर्ड तब भी था, आज भी है। बाद में 1977 में ऐड हुआ socialist and secular, वह बात दूसरी है कि अब सेक्युलर लिखा रह गया, अब सेक्युलर नहीं रह गया कन्ट्री,

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

अब सेक्युलरिज्म खत्म हो गया है। सेक्युलरिज्म में तो यह जवाब होता है, भाषण सुन लीजिए, आप एक करोगे तो हम पचास मारेंगे। इस तरीके की बातें होती हैं तो सेक्युलरिज्म कन्ट्री नहीं रह गई। लेकिन कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके आया और सेक्युलर लिखा हुआ है। लेकिन इसी Preamble में जो बेसिक स्ट्रक्चर है कांस्टीट्यूशन का, केशव नाथ भारती से लेकर हर जजमेंट में, that this cannot be tinkered with or altered with. इसमें है to secure to all citizens justice, social, economic and political. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, liberty of thought, expression, belief and worship. Now, word 'expression' has been used in the very Preamble. It is not only in where it gives a Fundamental Right. अब ऐसा नहीं है, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, Article 19(1)(a) का इंटरप्रेटेशन भी हुआ। देखा गया कि वोटिंग में क्या होता है। जो वोटर है, कहा गया कि statutory right है। आपको राइट है खाली वोट डालने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2002 में Union of India Versus Association of Democratic Reforms में एग्जामिन किया और क्या होल्ड किया? उन्होंने कहा कि under our Constitution, Article 19(1)(a) provides for freedom of speech and expression. Voter's speech or expression in case of election would include casting of votes – further, the Supreme Court says – that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. Now, this is the interpretation of the word 'expression' in freedom of speech and expression in Article 19(1)(a), which is also in the basic structure. In fact, not only this, much before that, डेमोक्रेसी को कंसिडर करते हुए, there was a famous case of Mohinder Singh Gill versus Chief Election Commissioner in 1978. सुप्रीम कोर्ट का हम क्वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा democracy is Government by the people. It is a continual participative operation, not a cataclysmic period exercise. The little man in his multitude marking his vote at the poll does a social audit of his Parliament plus political choice of the proxy. The right of election is the very essence of the Constitution. It further says in the same judgment that poll is a vital part of the election but with the end of the poll, the whole election is not over. Ballots have to be assembled. Why am I saying about EVM? I am on the point that this very amendment in the Act, bringing EVM as a part of the polling procedure, is *ultra vires*. We have committed this mistake. Parliament has committed this mistake. We have all tinkered with the basic structure of the Constitution and Article 19(1)(a) by introducing this EVM. What in Gill's case was said was that it is a vital part of the election but with the end of the poll the whole election is not over. Ballots have to be assembled, scrutinised, counted, recount claims considered and result declared. The declaration determines the election. The conduct of the election thus ripens into the elector's choice only when processed, screened and sanctified, every escalatory step upto the formalised finish being unified in purpose, forward in movement, fair and free in its temper. Article 329(b) halts judicial intervention during this period, provided the act possesses the pre-requisites of 'election' in its semantic sweep. That is to say, immunity is conferred only if the act impeached is done for the apparent object of furthering a free and fair election. Now, is it a free and fair election?

I have all respect for the Election Commission. Election Commission is helpless. I wrote to the Election Commission. I wrote the very same day when the counting was going on. We received information that there were 900 votes while there were only 266 votes polled in one of the constituency in Allahabad. The voting machine was showing 900 votes being polled. There was a situation in various constituencies where it was only Muslim dominated constituency and 700 persons were there in that booth and 600 votes went to BJP. Now, the answer came that women have given the votes to us and 100 men did not give. Now, what is this? People are screaming on the streets today. They are saying that they have been cheated. A fraud has been committed on them, on their fundamental right through this manipulation in the EVM. Today, when everything can be hacked wherever electronics is used or electronic machines are used and, as been demonstrated none else by the BJP persons that it is possible in every manner, even if 1 per cent tinkering is possible, election is not free and fair. The duty of the Election Commission under Article 324 is to hold free and fair election. Now, for holding free and fair elections, it is the confidence of the voter. If the voter's confidence is shattered, democracy is finished. What will be the purpose? Why will people go for votes at all? Why would parties go and ask for votes? We should only try to hack people who can hack the machines and pray to the machine, 'Give us the vote', like they have done. This is what has been done.

एक माननीय सदस्य: क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: बिल्कुल बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं, वह सही बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपको अपने क्षेत्र में मालूम है। माननीय मंत्री जी, आपको वहां भी मालूम है कि किस तरीके से लोगों ने कहां वोट डाला और कहां वोट निकला? आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा आ रहा था, actual नतीजा क्या था, दो दिन पहले तक मालूम था, जब तक आपके पास एक दिन पहले रात को पूरी figure नहीं आ गयी कि हमने 300 के ऊपर हैकिंग कर ली है, अब आप अपने चाणक्य से कह दीजिए कि वह तीन सौ बता दे और टीवी में दे दे। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल नारायण सिंह: वह तो मायावती जी भी कह रही थीं। ...(व्यवधान).... तीन सौ से ज्यादा तो मायावती जी भी कह रही थीं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: हमने हैकिंग नहीं की थी, हम तो वोटर की तरफ से कह रहे थे, आप तो हैकर को लेकर घूम रहे थे। आपको अगर इतनी ही परेशानी है, अगर आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो आ जाइए चुनाव के मैदान में। हम तो कह रहे हैं, करा लीजिए कल चुनाव। ...(व्यवधान).... आपके लोग कह रहे हैं। अभी आपके जो वक्ता पहले बोले, उन्होंने कहा कि सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, आप सारे चुनाव अभी एक साथ करा लीजिए। ...(व्यवधान).... आप वोटिंग करा लीजिए।

5.00 P.M.

श्री गोपाल नारायण सिंह: "खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे," इस तरह से बोलने से नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: जो बिलौटा है, वह बिलौटा अगर जाकर झपट्टा मार लेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने बिलौटे की बात करिए। किस तरीके से आपने मशीन के अंदर घुसकर निकाला है। अपने words के ऊपर कंट्रोल रखिए। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Misraji, please.
...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: आप यह मत सोचिए कि अगर आप इस तरह के अल्फाज यहां पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो हम लोगों के पास अल्फाज नहीं हैं, हमारे पास भी जवाब है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यह कहना है ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Misraji.
...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: इन्हें इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जानते हैं कि अभी और इलेक्शंस भी होने हैं और जो इलेक्शन होने हैं, ...*(व्यवधान)*... आप इनसे यह पूछिए - मैंने इलेक्शन कमीशन से लिखकर पूछा है, वह बात दूसरी है कि अभी उनका जवाब नहीं मिला है — कितनी पेपर ट्रेल की मशीनें लगीं, ये कहाँ की मशीनें हैं, ये कौन सी मशीनें हैं, ये कहाँ पर बनी थीं, आप यह बताने का काम करें कि ये गुजरात से बनकर आयी थीं या हैदराबाद से बनकर आयी थीं या विदेश से इनकी चिप लगकर आयी थी — आप यह बताइए तो सही। लेकिन जब आप खुद ही कहते हैं कि 2014 में जो मशीनें आपने इस्तेमाल की थीं, जिनमें आपने ये नतीजे निकाले थे, अब की बार यदि आप इन्हीं मशीनों को इस्तेमाल करेंगे, हैकिंग करेंगे, तो 80 में से 80 आप निकाल ही लेंगे। आपको कहीं पर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। इनके ऐसे-ऐसे कैंडिडेट्स के उदाहरण हैं कि जो पांच दिन पहले मैदान में आये, जिनका चेहरा तक लोग नहीं जानते हैं, वे खुद कह रहे हैं कि हमको तो लड़ाने के लिए धकेल दिया और वे एक लाख वोट से जीत रहे हैं। इसी तरीके से लोक सभा में भी साढ़े तीन लाख वोट्स पा रहे हैं, जो हफ्ते भर पहले आ रहे हैं। हम उनकी यह बात नहीं कह रहे हैं, मुकदमे तो सबके ऊपर होते हैं, आपके पास भी ऐसे-ऐसे लोग हैं। आपने जिस तरीके से EVM मशीन का इस्तेमाल किया है, EVM मशीन का दुरुपयोग किया है, उसको आपको मान लेना चाहिए। आपको इसको मान लेना चाहिए कि आपने इसकी हैकिंग की है और expertise तो आपके पास थी ही पहले से। आप तो खुद ही उस्ताद थे, होशियार थे। ...*(व्यवधान)*... आपने पूरी किताब में लिखा हुआ था कि कैसे हैकिंग हो सकती है। ...*(व्यवधान)*... अगर ये हैकिंग नहीं होती, तो आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों violate किया? आपकी जो किताब में लिखा हुआ है, उसमें खुद आपके लोगों ने लिखा है, 'There is every possibility of hacking this machine', जिसको आपने preface में लिखा हुआ है। And by methods, you have proved, how it is hacked. जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, इसको हम लोग नहीं लेकर गए, आप ही लेकर गए। आपके एम.पी. हैं, वह इस समय मौजूद नहीं हैं, वह बात दूसरी है डा. सुब्रमण्यम स्वामी जी।

पूरा agitation चला, agitation में आपके सारी एम.पीज़ इकट्ठा थे, उसके बाद वे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, इसमें इलेक्शन कमीशन जाने। हाई कोर्ट के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में बराबर matter चलता रहा, क्योंकि आप उसमें insist कर रहे थे कि इसमें घपला हो सकता है और घपला हो रहा है। उसके बाद आपने ultimately क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे केस में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के केस में petitioner, appellant डा. सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज यह dispute नहीं रह गया है। Election Commission ने फिर से चिट्ठी का जवाब एक formal रूप में दे दिया है, वह बात दूसरी है कि नहीं-नहीं, हमारी मशीन बड़ी secure हैं। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, please. No cross-question.

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: हमारी चिट्ठी का इलेक्शन कमीशन ने फिर से जवाब दे दिया और कहा कि नहीं-नहीं, मशीन्स बड़ी secured हैं, हम ऐसे-ऐसे ताले में बंद करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें यह सील लगाते हैं, वह लगाते हैं, सारी चीजों को, जिनको कि आपने इस किताब में deal किया है। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में भी कहा था, जब आप मैटर सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो आपने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की इन बातों से एग्री नहीं हैं और यह इनका कहना गलत है कि ये हैक नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप insist किए कि या तो paper trail हो या फिर voting ballots से हो। आपने वहां पर ऑर्डर कराया और सुप्रीम कोर्ट ने ultimately इस बात को मान लिया। यह हम नहीं कह रहे हैं। यह आपका Judgment मेरे हाथ में है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान लिया कि ये मशीनें सही नहीं हैं। हम मशीनों को सही नहीं मान सकते हैं। उन्होंने ultimately इनकी हर बात को रिजेक्ट किया। इन्होंने उसमें यह भी कहा कि Law Ministry rules जारी नहीं कर रही है। जब तक rules नहीं आयेंगे, तब तक हम कैसे paper trail लायेंगे? वह भी direction दिया, फिर rules भी notify हो गये। उसके बाद ultimate paragraph में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने conclusion में कहा, "From the materials placed by both the sides, we are satisfied that the 'paper trail' is an indispensable requirement." हमको indispensable का मीनिंग बता दें, क्या होता है? हो सकता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं पढ़ें हैं। आपको मालूम है कि indispensable का मतलब क्या होता है और word use है, 'It is an indispensable requirement — किस चीज़ के लिए — of free and fair elections.' 324 में free and fair elections के लिए रिक्वायरमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, 'It is an indispensable thing.' और किसलिए, 'for free and fair elections'. The confidence of the voters in the EVMs — आगे भी सुन लीजिए। मैं आगे भी पढ़ना चाहूंगा, खाली पांच-छह लाइन्स हैं, यह concluding paragraph है but every word is very important. The Supreme Court further says, "The confidence of the voters in the EVMs can be achieved only with the introduction of the 'paper trail'." This is the word used. It further says, "EVMs and VVPAT system ensure the accuracy of the voting system..." क्योंकि इन्होंने कहा कि उस से यह ensure हो जाएगा। It says, "With intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters..." अगर वोटर का confidence ही नहीं रह गया, तो क्या बचा? सर, confidence खत्म

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

हो गया था। इन्होंने इसे अच्छी तरह demonstrate किया था और डा. सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही eloquently demonstrate कर के सुप्रीम कोर्ट को convince कर दिया कि वोटिंग मशीन्स में confidence नहीं आ सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह finding दी। उसने आगे कहा, “With intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters, it is necessary to set up EVMs with VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in democratic system.” This judgement came in October, 2013. In October, 2013, the Law Ministry was representing at that time before the Supreme Court and the argument was that कि हम इतनी जल्दी नहीं ला सकते। Election Commission ने कहा कि हमें पैसा चाहिए। ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तब ये लोग थे उधर और इन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। तब Election Commission ने कहा कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो मशीनें कैसे खरीदें? सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस में यह भी directions दे दी और उन्होंने पैरा 31 में कहा, “For implementation of such a system (VVPAT) in a phased manner, the Government of India is directed to provide required financial assistance for procurement of units of VVPAT.” सर, आज 2013 के बाद साढ़े तीन वर्ष हो गए हैं और हम लोग 2017 के चुनाव में हैं। सर, इन्हें 500-550 मशीनों की constituencies में जरूरत पड़ेगी, multiplied by 5 for the Assembly seats in the Lok Sabha, और 403 सीटों में ये VVPAT मशीनें नहीं ला पाए। सर, ये साढ़े तीन साल में वीवीपीएटी मशीनें नहीं ला पाए, तो ये लोक सभा चुनावों में क्या लाएंगे? ये इसीलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि इन्हें पूरा अंदर का हाल मालूम है। इनके पास सारे experts बैठे हुए हैं और जैसा कि हर जगह कहा जा रहा है कि आपने बहुत से लोग चुनाव से पहले यहां बुलाकर बिठाए इस काम के लिए। तो आपको तो यह तरीका भी मालूम था, आप तो इस चीज के experts हैं और आपने यह दिखा दिया कि आप के पास कितनी expertise है। उसके बाद साढ़े 3 वर्ष हो गए हैं, 403 विधान सभा सीट्स के लिए इन के पास मशीनें नहीं आयीं क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। ये बातें पहले ही कही जा चुकी हैं और मैं नहीं दोहराऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरीके से front page पर छपा है कि इन से कह-कहकर वे लोग थक गए और 10-10 बार रिमाइंडर्स दिए गए और माननीय प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गयी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और 3100 करोड़ नहीं दिए गए। सर, अगर इन का हिसाब ले लिया जाए, तो इन्होंने खुद अपने चुनाव में 3100 करोड़ से ज्यादा पांच स्टेट्स में खर्च कर दिए हैं। ये अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, अपना लगा सकते हैं, लेकिन मशीन के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर मशीन paper trail की होगी, तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। सर, वह बात दूसरी है कि हमने शुरू में भी कहा है कि जहां तक हमारा मत है, मशीनें होनी ही नहीं चाहिए। It should be paper only. आज के रोज हमारे यहां अनपढ़ लोग कितने हैं? इन की जो मशीनें बनी हैं, उस का design भी इन्होंने दिखाया है। उसमें paper trail मशीन में लिखकर आएगा और फिर वह पेपर अंदर चला जाएगा। उसने वोट किस के नाम पर दिया, वह उसे देखेगा और पढ़ेगा और वह पेपर अंदर चला जाएगा। जो पढ़ा-लिखा है, वह पढ़ लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा-लिखा है, वह नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए यह paper trail की मशीन उस के हाथ में नहीं आएगी। सर, डा. सुब्रमण्यम स्वामी का यह argument था कि पेपर हमें हाथ में मिलना चाहिए और उस के बाद आप उसे एक डिब्बे में डलवा लीजिए, जिस

से कि अगर कोई discrepancy हो तो हम खुलवा सकें, लेकिन यहां जो मशीनें बनी हैं, उनमें वह पेपर automatically उस में चला जाता है। आज भी 80 परसेंट लोग देश में ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से अनपढ़ हैं और वे नहीं पढ़ पाएंगे कि उस में अंग्रेजी में क्या लिखकर आ गया और किस के नाम पर वोट चला गया? इस तरीके से जो मशीन 15 दिन पहले खोली जाती है, जब आखिरी डेट परचा भरने की आ जाती है और लोगों को पता चलता है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं और वे भी लड़ रहे हैं, उस समय आपकी मशीन खोलकर उस में फीड किया जाता है। आप कहते हैं कि इस में बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मशीन बनने से लेकर मशीन की सेटिंग करने तक हर चीज में आप खोलकर देख रहे हैं, जिस का आइडिया किसी वोटर को नहीं है कि इस के अंदर क्या खेल हो रहा है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट यह words use कर रहा है कि “it is indispensable,” अगर आपको free and fair election कराना है, तो without वीवीपीएटी जो यह election हुआ है, यह पूरा का पूरा election nullity declare होना चाहिए। सर, इस तरह का election जो इन्होंने कराया है, यह * का election है। यह इलैक्शन ऐसा है, जिसमें Democracy की हत्या हुई है और खुलेआम हत्या हुई है। इसको manage करके इलैक्शन लड़ा गया है। ये लोग जानते थे कि नहीं जीत रहे हैं और इसके बाद जीतकर आज बड़े खुश हो रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनको असली थपथपाना चाहिए, इनको मशीन की पूजा करनी चाहिए। अब आपको किसी मठ में नहीं जाना चाहिए। अब आपको मठाधीश की जरूरत नहीं है। अब आपको मशीनों का मठ बनाना चाहिए और उस मठ में जाकर प्रणाम करिए कि आपने हमको जीत दिलाई है और आगे भी इसी तरह जीत दिलाते रहिए, इस बात को आप कहते रहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: I will be concluding. I am grateful that you have pointed out. हमारा यह कहना है कि जब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर यह हमारा Right to expression violate करता है, अगर voter का यह right to expression सामने नहीं आ रहा है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कांस्टिट्यूशन बनाया और जिसमें उन्होंने यह लिखा कि Very basic structure पर और throughout यह कहा जाता है कि अगर Basic structure infringement हो रहा है, तो वह एक nullity है। यह पूरा का पूरा चुनाव * चुनाव है और इस तरीके के चुनाव की मान्यता रद्द होनी चाहिए। हम लोगों ने इलैक्शन कमीशन से यही prayer भी की और रिक्वेस्ट भी की। हमने फिर से उनको लिखा कि आप हमें इसकी information दीजिए कि कहां-कहां Paper trail लगी। मैं आपको एक example देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा की सीटें हैं। इलैक्शन कमीशन ने 4 जनवरी को जो नोटिफाई किया, उसमें कहा कि हम कहां-कहां पेपर ट्रेल लगा रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। 403 विधान सभा सीटों में से सिर्फ 20 सीटों में पेपर ट्रेल नोटिफाई की, क्योंकि आपने उनको अपंग बना दिया। आपने उनको पैसा नहीं दिया। Less than 5 per cent seats have been used for paper trail. Is this a fair election in the backdrop of the Supreme Court judgement, in the Supreme Court findings? It is not. Therefore, this entire election is vitiated, and it is only because आपने manage किया, deliberately manage किया, साढ़े तीन साल

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Satish Chandra Misra]

मैनेज किया। आप गुजरात का अगला चुनाव manage करेंगे और आगे जितने भी चुनाव होंगे, चाहे राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो और उसके बाद लोक सभा के चुनाव को भी मैनेज करेंगे। आप फिर से कहेंगे कि देखिए, हम ले आए। हमने तो कह दिया था, क्योंकि अभी से आपके नेता कहने लगे हैं कि 2019 की बात मत करो, 2024 की बात करो। आपने 2019 का तो इंतजाम कर लिया है ...**(व्यवधान)**.. आपने मान लिया है, तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि हम आपकी तारीफ करते हैं कि कम से कम आप एक्सेप्ट तो करते हैं कि * हो रही है और * की गई है। हम इसको 2019 में भी करेंगे। आपकी यह अच्छी बात है। आप यह मान रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**... जहां तक पेपर की बात है, इस कंट्री में पेपर बैलेट से चुनाव होता रहा है। अगर VVPAT वाली EVM नहीं ला सकते हैं, तो आपको बैलेट पेपर लाना चाहिए। आपके पास एक ही आर्गुमेंट है कि पैसा ज्यादा खर्च होता है। आप पैसा तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं और यह भी सामने आया है कि पूरे कंट्री में पांच सालों में बैलेट पेपर का जितना पेपर इलैक्शन में लगता था, उतना तो एक दिन में अखबार का पेपर छप जाता है। पूरे कंट्री में जो डेली अखबार छपता है, उतना पेपर इस्तेमाल हो जाता है। आज आपको बैलेट पेपर में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं ला रहे हैं? ये कहते हैं कि हमारी तो लहर चल रही थी, इसलिए हम साढ़े तीन सौ सीटें ले आए। आप साढ़े तीन सौ लाने से चूक गए और 325 पर ही अटक गए। आप गोवा का example देख लीजिए, गोवा में क्या हुआ? वहां पर लहर नहीं थी? क्या वह भारत का हिस्सा नहीं है। वहां पर VVPAT इलैक्शन कमीशन ने लगाया या नहीं लगाया? उन्होंने कहा कि हमने 40 की 40 में लगाया। आप पहले 21 थे, बाद में घट कर 13 पर आ गए। वह बात दूसरी है कि चाहे आप जितने भी जीतें, सरकार आपकी ही बननी है। वह तरीका तो आपको मालूम है और इसलिए आप वहां सरकार बना ही लेंगे, लेकिन वहां पर तो खुलासा हो गया कि VVPAT की मशीन एक जगह जहां पूरे प्रदेश में लगी, आप वहां का example देख लीजिए कि ये 21 से घटकर 13 पर आ गए, जबकि इनकी खुद की गवर्नमेंट थी और साथ में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी। इसलिए VVPAT का सामने example है, उसमें यह है। इसके साथ-साथ मीडिया वाली बात पर मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मीडिया वाली बात पर कह दिया गया है और उसको जरूर गंभीरता से लेना चाहिए, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, intervention by Minister. ...**(Interruptions)**... You may speak after five minutes.

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं आपके सामने केवल पांच मिनट के लिए एक मुद्दा रखना चाहता हूं।

श्री भूपेंद्र यादव: प्रकाश जी, एक मिनट। उपसभाध्यक्ष जी, सतीश मिश्रा जी ने जो वर्ड यूज किया है कि 'Election process is * यह **unparliamentary** है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I would check the records. ...**(Interruptions)**...

श्री भूपेंद्र यादव: आप मेरा ऑब्जेक्शन नोट कीजिए। He used the word * which is **unparliamentary**. आप इस पर रूलिंग दे दीजिएगा और इसको डिलीट कराइएगा।

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I would check the records. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: उपसभाध्यक्ष जी, इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है, अगर ये कहते हैं कि * वर्ड, जो हमने यूज किया है, वह इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इस पर कोई अन्य वर्ड बता दें। इसको "rigging" कर दें या * कर दें। अगर * भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई और वर्ड आप कॉइन कर दें और वह आप इसमें ...(व्यवधान)... कर दीजिए। ...(व्यवधान)... "rigging" कर दीजिए। ...(व्यवधान)... जो वर्ड्स इन्होंने अपनी इस किताब में यूज किए हैं, उनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN : I would check the records. ...(Interruptions)...

श्री प्रकाश जावडेकर: उपसभाध्यक्ष जी, मैं पांच मिनट में ही दो मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के आंकड़े हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। 2014 के लोक सभा चुनाव में और 2017 के असेम्बली इलेक्शन में क्या कहानी बयां होती है? इन इलेक्शन्स में यह कहानी बयां होती है कि उत्तर प्रदेश में — 2014 में, यहां कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, यहां अखिलेश जी की सरकार थी।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी।

श्री प्रकाश जावडेकर: हां, समाजवादी पार्टी। ...(व्यवधान)... यहां यूपीए और यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब यहां एनडीए की सरकार थी और यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यूपी के आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोक सभा चुनाव में बीएसपी को 19.77 परसेंट वोट मिले, यानी लगभग 20 फीसदी वोट मिले, इस बार उसे 22.02 परसेंट वोट मिले अर्थात् 22 परसेंट वोट मिले। यानी जो वोट पहले 20 परसेंट थे, वे 22 परसेंट हो गए।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: जो 40 होने चाहिए थे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर: एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: जो 40 होने चाहिए थे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर: एक मिनट, एक मिनट। ...(व्यवधान)... एस.पी. को लोक सभा में 22.35 परसेंट वोट मिले थे, इस बार 21.08 परसेंट वोट मिले। ...(व्यवधान)... कांग्रेस को 7.5 परसेंट वोट मिले थे, इस बार 6 परसेंट मिले। कांग्रेस और एस.पी. का एलायंस था, तो दोनों के मिलाकर 28 परसेंट वोट हो गए, बीजेपी को 40 परसेंट वोट मिले। यह 12 परसेंट का डिफरेंस है और जब 12 परसेंट का डिफरेंस होता है, तो 325 ...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादव: यह बताएं कि पहले कितने मिले थे? ...(व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं वही बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... एक मिनट, एक मिनट। 2014 के लोक सभा ...(व्यवधान)... एक मिनट ...(व्यवधान)... मैं अभी तो तीन साल का ही बता रहा हूं। दूसरा, पंजाब ...(व्यवधान)... पंजाब में ...(व्यवधान)... एक मिनट ...(व्यवधान)... जहां कांग्रेस

[श्री प्रकाश जावडेकर]

जीती है ...**(व्यवधान)**... आप उसके आंकड़े समझ लीजिए। कांग्रेस में ...**(व्यवधान)**... कांग्रेस को लोक सभा में 33 परसेंट वोट मिले थे, लेकिन सीटें चार ही मिली थीं। अभी 38 परसेंट वोट मिले हैं, इसलिए पंजाब में उनके 5 परसेंट वोट बढ़े। आप अर्थात् आम आदमी पार्टी को ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए तो सही, 24 परसेंट वोट मिले थे लोक सभा ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please do not do commentary. Let him speak. He has got the right to speak.

श्री प्रकाश जावडेकर: आम आदमी पार्टी को ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**... आम आदमी पार्टी को ...**(व्यवधान)**... आप सबके पास बोलने का अवसर है, मैं केवल पांच मिनट में यहां पर एक मुद्दा रख रहा हूँ, आप कम से कम इतना तो लोकतंत्र का आदर करें। ...**(व्यवधान)**... लोक सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को, पंजाब में 24 परसेंट वोट मिले और उनके चार सदस्य आए। अभी उसे 23 परसेंट वोट मिले, लेकिन, क्योंकि कांग्रेस को 25 परसेंट से 38 परसेंट, यानी जैसे अकाली दल को 25 परसेंट वोट मिले, वैसे ही रहे, कांग्रेस के 5 परसेंट बढ़े, तो + 12 परसेंट यहां भी आए, इसलिए जो रिजल्ट पंजाब में आया, वह आया। तीसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड में कांग्रेस को लोक सभा के चुनाव में 34 परसेंट वोट मिले थे, अब साढ़े 33 परसेंट मिले हैं, केवल आधा परसेंट कम हुआ। कांग्रेस को अभी वोट उतने ही मिले हैं, जितने लोक सभा चुनाव में मिले थे, लेकिन बीजेपी को 46 परसेंट वोट मिले, यह 13 परसेंट की बढ़त है और यह रिजल्ट आ गया। मेरा सिम्पल सा इतना कहना है। ...**(व्यवधान)**... हम सभी राजनीति के खिलाड़ी हैं। कोई यह कहे ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, कोई किसी भी पार्टी का हो, मेहनत करके, काम करके हम यहां तक आए हैं। अगर ऐसा है, तो हमें वास्तविकता से छुपना नहीं चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: गोवा का बताइए, जहां मशीन लगी है।

श्री प्रकाश जावडेकर: गोवा का बताता हूँ और उसका कारण भी बताता हूँ। गोवा में कांग्रेस के 37 परसेंट वोट थे, जो 28 परसेंट हो गए हैं और बीजेपी के 54 परसेंट थे, 32 परसेंट हो गए। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। उस समय हमारे साथ एमजीपी थी, ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, सुनना है, तो सुनिए। एमजीपी, महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी हमारे साथ थी, ...**(व्यवधान)**... जी, महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी, जिसको 11 परसेंट वोट मिले, वह 11 परसेंट इस बार अलग थे, फिर से उनको 11 परसेंट वोट मिले। तो यह कहानी बयां करती है कि अगर हम वास्तविकता से छुप जाएंगे, तो हम जनता से और दूर जाएंगे।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: यह अपनी किताब के बारे में बताइए।

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं अभी किताब का बताता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरी पार्टी से ईवीएम पर कुछ लोगों ने यह डाउट किया, संशय प्रकट किया हो, लेकिन मैंने आज तक किसी भी टीवी डिबेट में या कहीं भी ईवीएम पर कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के लोकतंत्र में इतने लोगों के जनादेश को इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें यह समझना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं था। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सुब्रमण्यम स्वामी ने ...(व्यवधान)... आडवाणी जी ने डाउट किया। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर: इस विषय से मैं कभी सहमत नहीं था, न हूँ। मेरी आज भी राय है, जब हम हार रहे थे तब भी राय थी, क्योंकि मैं गणित पर विश्वास करता हूँ, मैं साइंस पर विश्वास करता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनादेश का अपमान लोकतंत्र का घनघोर अपराध है, इससे बचिए। बस मुझे यही कहना है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद। श्रीमती वंदना चव्हाण ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: सुब्रमण्यम स्वामी जी इस सदन में नहीं हैं, उनको स्पष्ट सुनने के बाद माननीय मंत्री जी जवाब देते, मगर शायद आज उनको लोगों ने कह दिया कि मत आइए। ...(व्यवधान)... आप उनको कल बुलवा लीजिए और उनकी बात सुनने के बाद तब ये बात करें।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I want to speak on a very, very important topic for electoral reforms, and I must, at the outset, say that it is a challenge for me to speak after such a fiery speech of our very senior Member, Shri Satish Chandra Misra. Sir, we all know that India has one of the largest democratic process in the world, and elections are the most important and crucial part of this democratic system. Sir, considering the diversity of our electorate and an enormity of the exercise, the Election Commission has been doing a commendable job in taking our election system forward. Sir, we have to see that a lot of Members have already mentioned that there have been a lot of Committees which have been formed; there have been reports which have been made; there have been legislations which have been enacted, and also judicial pronouncements where the Executive failed in making certain laws. And all these together, has brought up a healthy democratic system in our country, and constantly, this has been a dynamic process, where we have been constantly making changes to make sure that we address the current situation at that time.

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Sir, there should be order in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be silent. She is making her speech.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, but, I still feel that this being a dynamic process. A lot still needs to be done, and out of these many things that have to be done, several mentions have been made, I will be talking on the EVM and the misuse of the Government machinery. But, I would be failing in my duty if I don't touch upon these points just in a bullet form. Sir, one of the major things that needs to be done is to cleanse the political funding system. We need to ensure decriminalisation of politics. We need to make sure that there is criminalising of

[Shrimati Vandana Chavan]

paid news. This is absolutely important. Probably, each one of these topics would be a matter for three-and-a-half hour discussion. We also need to check whether this point is debatable—can we have compulsory voting, like many other countries in the world as also bringing political parties under the RTI. This is also a debatable point which needs to be discussed in this House. Also the points which need to be discussed are voting rights for prisoners, use of Aadhaar cards to be connected to voting and the debate on simultaneous elections, as Yechuryji has rightly said. Therefore, all these points need very, very serious consideration. But, Sir, it is the topic of EVMs which Satish Misraji and several senior Members have touched upon, which I also would like to talk about.

Sir, there has been a lot of hue and cry in all the States which went for elections. In my State of Maharashtra, we had local self-Government elections. Even in these elections we saw that the EVMs have been tampered with. Elections have been rigged. Therefore, there is a hue and cry everywhere, just as Misraji said, that it is not the defeated people who are on the roads. It is the people when they come to know about it. There is a *jhopad patti* which decided not to vote for a particular candidate. But, when it saw the count of votes which a particular candidate got, he realises that he got a bunch of votes, almost 80 per cent of the votes polled there. It is these people who are taking to the roads saying that this can't just happen. So, this is something which we are seeing where elections are taking place. It is unfortunate to see, Sir, that the Election Commission has always maintained that EVMs can't be tampered with. I am really surprised to see that when Members of the ruling party talk about EVMs, they should give in to this demand which has been made by their own Members like Dr. Subramanian Swamy. The Supreme Court ruling says that EVMs need to have a VVPAT but, unfortunately, nobody talks about it. They only say that EVMs can't be tampered with. Honestly, Sir, all of us would like to believe that it can't be tampered with, but the fact is not so. Today, the technology is on the run. Whatever we do today is old tomorrow. Therefore, we have to realize that every electronic equipment produced can be hacked, can be tampered with. Maybe, when the EVMs came into existence, at that time this kind of technology did not exist. But, today, everything can be done. The other day, a friend of mine showed me a technology. Suppose I give a call to my colleague. Naturally, the number which should come on his mobile should be mine. But that did not happen and it showed somebody else's number! So, this is the time when technology is just taking a different turn. Therefore, everything is possible. In fact, the Supreme Court also has said this in its judgment. Misraji has read it out and I will also like to read out para 29: "From the materials placed by both the sides, we

are satisfied that the “paper trail” is an indispensable requirement of free and fair elections. The confidence of the voters in the EVMs can be achieved only with the introduction of the “paper trail”. EVMs with VVPAT system ensure the accuracy of the voting system. With an intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters, which is of utmost importance, it is necessary to set up EVMs with VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in democratic system.”

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Is she yielding?

SHRI PRAFUL PATEL: She is my colleague and I am not going to interrupt her. I am just adding. अभी हमारे देश में 55 हजार VVPAT के EVMs available हैं, यह हमने Election Commission के माध्यम से अखबार में पढ़ा है। अभी से अगले चुनाव आने तक 6-8 महीने का समय है। मैं समझता हूँ कि VVPAT के 20-25-30 हजार साधारण EVMs बन सकते हैं। अगर हम अगले दो चुनावों का हिसाब लगाएँ, तो अभी VVPAT के जितने EVMs उपलब्ध हैं, वे पर्याप्त हैं। उस मात्रा में वहाँ के चुनाव पूरी तरह से VVPAT के माध्यम से हो सकते हैं। क्यों न हम लोग यहाँ पर यह तय करें कि कम से कम वे जो मशीनें उपलब्ध हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो अगले दो चुनाव आ रहे हैं, वहाँ उनका उपयोग किया जाए।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN : Sir, in fact, the Supreme Court also further says in Para 13 for implementation of such a system, that is, VVPAT in a phased manner. “The Central Government is directed to provide required financial assistance for procurement of the units of VVPAT.” Sir, it is surprising why the Government has not taken appropriate steps in that direction. In fact, according to the Supreme Court judgment itself, the necessary legislation, the rules and the notification in the Gazette has already been issued. Then what are we waiting for? Instead of saying that they are not possible for tampering, let us buy VVPAT and go ahead with the VVPAT system. Sir, I want to bring to your notice a report which has been prepared by a technologist, Mr. Hari K. Prasad, who has organized a study on India’s EVMs which are vulnerable to fraud. Sir, this is with Dr. Halderman, who is a Professor from the University of Michigan and Mr. Rop Gonggrijp – I don’t know how to pronounce his name – who was instrumental in banning EVM machines from Netherlands. All these together have brought out several ways in which EVMs can be tampered with. I will not go into the details because of paucity of time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, because you have another speaker also. ...*(Interruptions)*... He will not have time in that case.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: No, Sir. I am the only speaker. ...*(Interruptions)*... Sir, I have to bring to your notice two very important points. One is that during

[Shrimati Vandana Chavan]

the Municipal Corporation elections — and I would like this House to know — we have been casting aspersions on people who are doing the setting of EVMs. I have a colleague who came and told me specifically that ‘there was a person who approached me.’ He told me... *...(Interruptions)...* Sir, please bring order in the House. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be silent. *...(Interruptions)...* Please listen. *...(Interruptions)...* Mr. Patel, your colleague is speaking. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: I know that you all are senior Members but I think you must give a chance to a junior Member and a woman Member to be heard. Sir, this colleague of mine told me that he was approached by a person who told him that it will be 25 lakh per candidate. He said, “I probed more as to what was the *modus operandi* that he had suggested.” The *modus operandi* was that the particular candidate had to point out which are his very strong booths and which are his very weak booths. In the strong booths, he was told तुम एकतरफा चलोगे और जहाँ he had weak booths, he was told that ‘out of 100, you will get 30.’ This is what you need to give us.’ Now, Sir, he said, “I can give you the list of the EVMs that are going to come to your Ward. How does this person have the numbers of the EVMs? He took the record and it is found that those were the very EVMs which came to the Ward. Sir, this is something which is absolutely alarming. He was also told “You have to give us a room in the circumference of one kilometre where we can manage all this.” Sir, that means something is happening. We don’t know what is happening. There is some technology which is definitely being used to rig the elections. This is the concrete point. Sir, another example, another colleague was also approached by a similar person, not the same person. This person was lured into giving the first installment. The first installment was paid. But later when the elections came close, the person came back and told him, “Sorry, we cannot do it for you. We have a lot of tension and pressure, so we cannot do it for you.” How can this happen? So, these are the things which really put our mind to suspect that there is something absolutely wrong. Talking about rigging and tampering the EVMs, Sir, I would like to come to my last point which will show that it is not only about tampering machines, it is also about incorrect counting of the EVMs. Sir, why did we go from the manual system to the EVM system? One, because we came into a technological age, second, because we did not want to do it manually because it takes a long time, and third, obviously, there is not any error left. Sir, I would like to point it out to you that we had 41 Wards in the Pune Municipal

Corporation. Now in these 41 Wards, we got the figures of the votes polled on the 21st of February. Obviously, on the day of election, it was put on the PMC's website that these are the numbers of votes polled in that particular Ward. Now the counting was two days later, that is, on 23rd. It is common sense that the number of votes polled should correspond to the number of votes counted because you have to have the same number of votes. Unfortunately, in our system we had one ward having four corporators. That also is something which is extremely questionable and if you give me the time, I am going to say this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have no time. Please conclude.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, let me say this. *...(Interruptions)...* Sir, this is being quite unfair. Sir, you will be surprised that out of all the 41 wards, the number of votes polled and the number of votes counted should match, isn't it? There could be one per cent error. There could be two per cent error. This should not be, actually so. Sir, not a single ward corresponds to the number of votes polled. Sir, in some places the difference is thirteen, in some places the difference is sixty, in some places it is 95, in some places it is 341, in some places 528. Sir, not a single ward is there where it corresponds. Now, all the four candidates in that particular ward also should poll the same number of votes. Out of 41, 25... *...(Interruptions)...* Sir, that means it is not only being tampered with, but these EVM machines... *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please sit down. Let her finish. *...(Interruptions)...* You are not called. Please sit down. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, this is not only about tampering, but it is also about EVM machines not working properly and if we are going to use this kind of system for our electoral system then, it is the death of democracy. When I cast a vote it is my right that my vote has to be counted. If it is not going to be counted there is no use of the Adult Franchise that we have. My last point, Sir, is, this is absolutely serious. In fact, I would like to put in a petition in the Standing Committee, I think, Shri Anand Sharma is the Committee's Chairman -- I don't know whether they will take it *suo motu* or we would like to put in a petition and question this. Sir, today people are coming on the road. People are sitting on hunger strikes. There is a *morcha* being taken out. Who is there to hear us? Who is there to come for our redressal? Nobody takes the charge. Nobody takes the responsibility. Sir, what is the *aam janta* going to do about this? Sir, the last point which I want to say is that Government is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): How many 'last points'?

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, this is very important. Sir, the Government is interfering...(Interruptions)... Do you want to see the photographs which I am holding? Do you want to see the *antyatra* of EVM machines? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please address the Chair. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, I will give you photographs. EVM machines also have been changed -- I don't have time, and therefore, I cannot say much -- in the wards. Sir, the Government has taken the machinery of the elections totally in its hand. How did they come up with four people per ward? We talk about Panchayati Raj, we talk about decentralization and here, instead of having two or one person per ward, you have four candidates per ward. How do the people get their problems redressed? The kind of wards that they have made, Sir, you can make a rectangular ward, you can have a square ward, -- this is the shape of the ward -- but, Sir, it is fan shaped. Can you ever believe any ward going in three directions? So, this is something again that they have done and totally rigged by the Government in charge. Sir, I have to bring to your notice about one of the senior leaders of the BJP in Pune. When there was speculation as to how many seats everybody is going to get, the speculation was that BJP would get, say 62 or 65 and this was the only person who kept saying that, 'we will get 92 and if we don't get 92, I will resign from politics forever.' How can he have this kind of confidence?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Shrimati Chavan.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir the previous speakers spoke for 32 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The time is given here. ...(Interruptions)... Please conclude.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, the previous speakers spoke for 32 minutes and we had no objection to that.(Interruptions).... Let her speak. Please allow her to speak. The previous speakers, Shri Yechury, Shri Misra spoke for.... ...(Interruptions)... Sir, her point is valid. Let her speak. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This is not the way. ...(Interruptions)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, इन्हें बोलने दिया जाए। ये एविडेंस बता रही हैं। ये सच्चाई बता रही हैं। इन्हें बोलने दिया जाए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Why are you taking her side? ...*(Interruptions)*...

श्री प्रफुल्ल पटेल: इसमें आपत्ति क्या है? ...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, why are you stifling the voice of truth? Sir, when the elections were happening and the forms were being scrutinized, the ROs, the Returning Officers, were left, right and centre just blowing away the forms of everybody except the BJP candidates. Why, Sir? If an OBC candidate, with an OBC Certificate, from their party says, 'I can contest election from our party', her candidature was not allowed only on the ground that her certificate is in her maiden name in spite of the fact that she had contested elections earlier. This is the kind of partisan attitude they have been showing.

In conclusion, the principle in law is, justice not only should be done but also seen to have been done. That is the very important maxim in law.

Sir, in a healthy democracy, elections not only should ensure fairness but they must also instill faith amongst the people. And, unfortunately, this Government has lost that faith. The elections are being rigged. The elections are totally manipulated. Therefore, something needs to be done in this regard. Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you very much hon. Vice-Chairman, Sir, for the opportunity that you have given. Sir, hon. President of India, on 8th December, 2016, said that three Ds are required.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, रिप्लाय का समय 5.30 था, लेकिन अभी I think, ten more hon. Members have to speak, तो मैं समझता हूँ कि आज रिप्लाय का मतलब 8.00-8.30 है। अगर सभी लोग तैयार हों, तो रिप्लाय कल हो। चूँकि यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है और जिस तरह से सब लोग बोल रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज यह चर्चा पूरी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रिप्लाय कल हो जाएगा, क्योंकि 8.00 बजे रिप्लाय हो, तो उससे better है कि रिप्लाय कल हो।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, hon. Minister has taken about two minutes. This may be excluded from the time allotted to me.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: ऑनरेबल मिनिस्टर लगभग डेढ़-दो घंटे बोलेंगे। जब उन्होंने इतना सुना है, तो आपको कम-से-कम दो-तीन घंटे सुनना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Hon. President said that there are three Ds required in a Parliamentary System of Democracy. The first 'D' deals with 'Debate.' This is regarding proceedings in the House. He said that there has to be 'Debate.' There has to be 'Dissention.' And, there has to be 'Decision.' He has highlighted

[Shri V. Vijayasai Reddy]

these three Ds. Apart from this, what the hon. President did not want is 'Disruption' in the House. It is understood if opposition disrupts the House as a mark of protest. But, during my nine months tenure in this House, I found, on many occasions, even the Treasury Benches are disrupting the House! This is, definitely, not acceptable. Hon. President said — it is not my version; it is the version of the hon. President of India — there should not be disruption in the House.

What our YSR Congress Party pleads is that we should not have 4 Cs. The first 'C' is 'Corruption.' The second 'C' is 'Crime.' The third 'C' is 'Communalism.' And, the fourth 'C' is 'Casteism', not only in the proceedings of the House but also as far as poll reforms are concerned. Sir, I would like to address about seven issues in so far as poll reforms are concerned. So, I request you to give me adequate time in so far as these seven issues are concerned.

My first point is about simultaneous elections to Lok Sabha and Assemblies. Sir, it is, definitely, desirable, but it may not be feasible. This is a very complicated issue and it has to be pondered over by all the senior Members of the House, and also the Leaders of the political parties in the House. ...(*Interruptions*).. Sir, kindly bring the House in order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Reddy, I am listening to you. You carry on with your speech. I am listening to you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, when a junior Member is speaking, probably, that sort of credit should be given.

Sir, so far as simultaneous elections are concerned, both for Lok Sabha and Assemblies, it is, definitely, desirable, but it may not be feasible. Whether it is feasible or not should be pondered over by the Leaders of this House. There are three positive aspects which can be thought of. One is, if there is a cycle of elections within a period of five years, the governance may come to a standstill. That is point number one.

Point number two is, it may cripple the development. If there is a cycle of elections, there is every possibility of development getting crippled.

The third issue is, incurring huge expenditure in case of cycle of elections during the period of five years. Therefore, it may not be desirable. As Sitaramji has pointed out, on account of the Article 354 and on account of the Government not funding the elections, like these, there are various factors. All these issues have to be considered before taking the final decision.

Sir, another point which I would like to bring to the notice of the august House is reserving seats for women. In fact, I wish to bring it to your kind notice that I have already submitted the Women's Reservation Bill as a Private Member Bill, which I am likely to table in the House. If your goodself permits, probably, I will be tabling it on 7th April, 2017. The hon. Law Minister is here. I request the hon. Law Minister to take my Women's Reservation Bill as a Government Bill, and it may be adopted in the House. That is the only way the ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Reddy, just one minute. Your Party time is over. Now, how many minutes will you take? Because, there are other speakers and, then, the Minister has to reply.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, can you permit me to say one thing? Sir, in terms of Party strength, probably, you may be giving some three minutes more to me. But, what is the underlying objective of this House having a discussion on poll reforms? To do the justice ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): But, there are other speakers also. They also have to speak.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Please listen to me, Sir. The underlying objective of the House discussing this issue is to do justice to the poor, downtrodden, voiceless people in the society and also numerical minorities. I belong to one category, the numerical minorities. So, please do justice by allotting some more time and giving reservation for this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You should have spoken more on the points. ...*(Interruptions)*.. You have not yet come to the subject.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I am coming to the next issue, which is linking Aadhaar with the voter ID. This is, definitely, desirable, Sir. It should be done, because by linking Aadhaar card with that of the voter ID, the duplication of votes can be avoided. Linking in respect of other schemes may be desirable or not, but linking in the case of voter ID is, definitely, desirable.

Sir, the next very important issue which I would like to bring to your kind notice is, ban on contesting from multiple constituencies by a candidate. In every election, whether it is for Parliament or for Assembly, you will find candidates contesting from more than one seat. This is, definitely, not desirable. Why? The moment he is elected from both the seats, he has to resign in respect of one seat within 10 days. He has to make a choice, and he will be forcing the bye-election in respect of the second seat. It is desirable only in one occasion. See, the Government of India should think

[Shri V. Vijayasai Reddy]

of charging the candidate or collecting the poll expenses from the candidate in case he is resigning and that particular seat is going for the bye-election.

Sir, I will take three more minutes. Please permit me. The next point which I would like to bring to your kind notice is about the number of political parties in this country, India. Sir, according to the statistics, as of December, 2016, there are about 1,761 registered political parties in the country. Sir, out of these 1,761, seven parties are national parties and fortyeight parties are regional parties, and there are about 1,706 unregistered parties. This is creating a situation where there is an element of confusion because these unregistered parties, without any seriousness, field the candidates for the sake of protecting some other candidate and by appointing someone as an agent, and this is being grossly misused. Therefore, I request the Government to seriously consider imposing some restrictions on these political parties which are not registered and which are unrecognized. Sir, the condition could be like this. Any party, which within a period of five years doesn't secure two per cent of the votes can be debarred and a person who would like to contest either for Parliament or Assembly shall require about ten electors to propose him. You can consider increasing the number of proposers and then consider increasing the deposit amount. These are all the measures which the Government of India can think of in bringing the poll reforms.

Then I come to the electoral bonds. In fact, recently, while introducing the Finance Bill, the hon. Finance Minister has thought of introducing these electoral bonds. Sir, rather than introducing the electoral bonds, what we think is, the State can fund the elections. That is more desirable rather than introducing the electoral bonds. ...(*Time-bell rings*)...

Sir, I will be concluding. The next point is, bringing the political parties under RTI. Sir, this is definitely desirable. Political parties should be treated as public authorities and should be brought under the purview of RTI thus be made liable to the publicly disclosed financial assets and other things.

Sir, the last point which I would like to bring to your notice is, right to recall. This is also one of the issues which can be pondered over by the Government of India.

So, Sir, I conclude by quoting what Mahatma Gandhiji had said in this regard. Mahatma Gandhiji said, "Be the change that you wish to see in the world." This is the quote which Mahatma Gandhi has given. So, every change we visualize can be thought of, and it is in the hands of this august House. We can think and we can bring those changes and introduce the reforms and refine the poll reforms of this country. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Mr. D. Raja. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष जी, आज 6.00 बजे तक के लिए हाउस में time तय हुआ था। अभी माननीय कानून मंत्री जी भी अपना बोरिया-बिस्तर लेकर चले गए। करीब 9-10 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। यह विषय serious बना रहे, इसके लिए मेरा अनुरोध है कि इसे कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए कर दीजिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This issue is very important. ...(Interruptions)... This subject is very important. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: आप House की sense लिए बिना कैसे कर देंगे? आपको House की sense तो लेनी पड़ेगी। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अभी 6.00 नहीं बजे हैं और आप टाइम ले रहे हैं। ...(व्यवधान)... This is the time of Mr. D. Raja. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय मंत्री जी, आप बताइए कितने बजे तक चलाएंगे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): 6.00 बजे तक तो चलाना ही है। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: नहीं, नहीं। इस तरह तो 9-10 बजे जाएंगे। House की sense के बिना कैसे चला सकते हैं? Consensus के बिना, क्या रात तक बैठे रहेंगे? आप जवाब तब देना चाहते हैं, जब सब media चला जाए, जिससे आप फिर धांधली कर लें, अगली बार 2019 में। कम से कम media तो सुने। यदि media भी नहीं होगा, गैलरी खाली हो रही है, फिर यह छपेगा ही नहीं कि हम लोगों ने क्या बात कही। सर, इसको कल के लिए रख लीजिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Raja, are you going to speak, or shall I call the next speaker? ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu) : Sir, where is the order in the House? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Raja, do you want to speak now, or shall I call the next speaker? ...(Interruptions)...

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, tomorrow. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, where is the order in the House? Take the sense of the House. ...(Interruptions)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, सरकार जान-बूझकर इसको डिले करना चाहती है, ताकि यह अखबार में न छपे और पब्लिक न जान सके कि कैसे धांधली की गई। 2019 में फिर

[श्री नरेश अग्रवाल]

ये धांधली करेंगे। इस मारे मैं कहता हूँ कि मैटर सीरियस है। छः बजे के बाद हाउस नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी परमिशन कोई नहीं चाहता है। चूंकि यह मीडिया में छपेगा नहीं, इसलिए इसको कल के लिए रखें।

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री नरेश अग्रवाल: आप हाउस की राय ले लीजिए।

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री नरेश अग्रवाल: हम लोग क्यों बैठें? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने आपकी बात सुनी और मैं पूरी तरह समझ गया। अब आप बैठिए।
...(व्यवधान)... मुझे समझ में आ गया, अब आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: अब तो मंत्री भी चले गए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मुझे समझ में आ गया, अब आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: कानून मंत्री जी चले गए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कोई बात नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: वे अपना बोरिया-बिस्तर लेकर चले गए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यहां एमओएस बैठे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: नहीं, एमओएस इसका जवाब नहीं दे सकते। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, कानून मंत्री रिप्लाय देंगे। ...(व्यवधान)... कानून मंत्री रिप्लाय देंगे, आप बैठिए।

श्री नरेश अग्रवाल: छः बजे के बाद बैठने के लिए आपको हाउस की सेंस लेनी होगी।
...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. I know the rule. ...(Interruptions)... I know the rule. Sit down.

श्री नरेश अग्रवाल: हमने तो इस मारे बोला कि शायद आपको याद न हो। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: रूल हमको मालूम है, हमने पढ़ा है। Now, listen to me. ...(Interruptions)... Now, please listen. We are all responsible Members of Parliament. When the discussion was started, I posed the question to Members, because I knew this is a very important subject. But for a Short Duration Discussion, only two-and-a-half hours are allotted. From the Chair I could have been strict and ensured that every

party gets only their time. If I had done that, by this time this discussion would have been over and reply would also have been given. But I took the sense of the House and every side requested that Members should be allowed more time.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, take the sense of the House now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete. ...(Interruptions)... Therefore, in spite of the fact that the rule is that a Short Duration Discussion must be completed within two-and-a-half hours, I thought I should be liberal so that all Members who want to speak are allowed as much time as they need. But at that time, I also made another point. Now, you cannot have it both ways. ...(Interruptions)... Now listen. The second part of what I said was that we would finish this discussion today and we would consider and dispose of a Bill. We said that and the entire House agreed. And then, at that point of time, from this side, a suggestion came that even if we have to sit till midnight, we would sit. ...(Interruptions)... I have full memory. And further, it was said that even if you don't provide dinner, we would sit and pass it. ...(Interruptions)... Let me speak. I said, 'from this side'. ...(Interruptions)... Therefore, you cannot say, 'do like this; I agree with one part of it, but I don't agree with the second part'. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, take the sense of the House now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the decision. No need of taking the sense now. That has been said here and accepted; the entire House accepted it. Once it is accepted by the House, I cannot put it again for taking the sense of the House.

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बहुत-सी चीजें तय होती हैं, लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: इस चेयर ने यह रूलिंग दी थी कि कार्य मंत्रणा समिति केवल समय तय कर सकती है, बाकी चीजों के लिए कोई बाध्य नहीं है। यह इसी चेयर की रूलिंग है। हाउस में किस समय क्या कहा गया, हम बाध्य नहीं हैं कि हम उसको हर समय मानें। कैसा atmosphere है, कैसी स्थिति है, ये सब चीजें हमें उस समय देखनी पड़ती हैं। ...(व्यवधान)... चूंकि इस चेयर से यह रूलिंग हो चुकी है, इस मारे मैं इस चीज को उठा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुत रिस्पॉंसिबल हैं। आपने कहा, every Member is responsible. We are responsible Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, I think you missed your profession. You should have been an Advocate! Then you would have been very successful.

6.00 P.M.

श्री नरेश अग्रवाल: मैं इसके साथ यह भी जानता हूँ ...(व्यवधान)...

SHRI P. P. CHAUDHARY: He also knows how to take somersault. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, अगर वकील बहस करने के बाद जजमेंट को ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं ऐसा करूंगा ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल: अब छः बज गया है, सेंस ऑफ दि हाउस ले लीजिए।

श्री नीरज शेखर: सर, मंत्री जी नहीं है, तो रिप्लाइ कैसे होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, we can do one thing. We can finish the discussion today and reply can be given tomorrow. ...(Interruptions).... That is better. ...(Interruptions).... That is better. ...(Interruptions)....

श्री नरेश अग्रवाल: ठीक बात है, reply tomorrow. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, we will finish it today and reply will be given tomorrow. Secondly, then we have a Bill. We will dispose of that Bill also. ...(Interruptions).... No more discussion on that. ...(Interruptions)....

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): If the reply is coming tomorrow, let's speak tomorrow. ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)....

SHRI PRAMOD TIWARI: No, Sir. This cannot take place. ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You need not speak. ...(Interruptions).... Now, Shri D. Raja to speak. ...(Interruptions).... By 7.00 p.m., we have to complete the discussion. So, everybody should take limited time. Mr. D. Raja, you must take five to seven minutes. ...(Interruptions)....

SHRI JAIRAM RAMESH: Then, are we going to take the Bill?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: At 7.00 p.m., we will take the Bill. At 8.00 p.m., we will adjourn. If you want dinner, it will be given.

श्री नीरज शेखर: सर, डिनर कैसे होगा? देश का पैसा बरबाद मत कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: These are all decisions. ...(Interruptions)....

SHRI JAIRAM RAMESH: To accommodate the Bill, you are cancelling ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My responsibility is not only to the Opposition, but also to the Government and to the entire House. The decision taken in this House by the hon. Members is that they will dispose of the Bill today. I have to adhere to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is gross injustice. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not allowing. ...*(Interruptions)*... Now, Shri D. Raja ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what is this? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, when you were Minister on that side ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Never. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI D. RAJA: Sir, we are having this discussion on electoral reforms at a very critical time when our Constitution is at risk, when the Republic is at risk and when the democracy is at risk. Sir, let us pay our tributes to Dr. Ambedkar and the galaxy of leaders who gave us our Constitution, which is a Republican Constitution. Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly himself made it very clear that India cannot opt for Presidential form of Government and India cannot opt for a two-party political system. Ambedkar was very philosophical and very categorical and he made it very clear that there cannot be space for theocracy in Indian democracy. Sir, the Indian Republic started its journey on certain strong fundamentals. One is that we have an Election Commission which is an independent Election Commission, which draws its powers from the very Constitution, which has the mandate to conduct free and fair elections. Sir, the other fundamental is the adult franchise. We have adult franchise. Some years back, we had voting right at the age of 21 years. Now, we give the voting right at the age of 18 years. All adult Indians vote at the age of 18 years.

Sir, this system, which we have today - the electoral system - is the first-past-the-post system, and this system has been there till now. This system is good for countries with two-party systems. India is a multi-party system. Our electoral system is multi-candidate system. This system needs a drastic change. The electoral system is badly in need of change. I am one who strongly advocates that India should move towards proportional representation system. Once we accept this system, I strongly believe that it will promote inner-party democracy and reduce corruption and violence. Since most democracies in the world have shifted to proportional representation system already and more countries are already in the process of transforming their

[Shri D. Raja]

electoral systems, now the time has come that India should consider and move towards proportional representation system.

When I say this, I must underline certain other things. One is that we have been talking about the women reservation. It is almost two decades that we have been talking about women reservation. Now, the time has come that the Parliament goes for adopting women reservation. The Parliament will have to pass a legislation. Now, if the Government has the political will, it can move this Bill and get it passed and this Bill relating to the women's reservation needs to be passed at this point of time.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL) *in the Chair*]

Sir, if you go for proportional representation system, as my colleague, comrade Sitaram Yechury, said, it will enforce providing adequate representation to women by political parties, thereby the Parliament will have adequate representation of women. We should also keep that point in consideration.

I am raising one more serious issue. The Government will have to consider this issue. We have been talking about giving voting right to the NRIs. All political parties are in agreement to give voting right to NRIs and the Government is in agreement with that proposal, but what arrangement the Government is making? Now, millions of our workforce live in other countries, particularly in Gulf countries. How can they vote at the time of election? What arrangement the Government is making? When you talk of electoral reforms, you must consider how to make arrangements for our NRIs to vote at the time of elections. This is one issue that the Government will have to address. The second most important issue is about migrant people and according to surveys... *...(Time bell rings)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Rajaji, time...

SHRI D. RAJA: Yes, Sir, I know that the time constraint is there, but at the same time, you should understand the seriousness of the subject and the whole House agrees that we should discuss. So, my point is that according to different surveys, 30 per cent of the people are migrant people in our country. And, here, I must say that a overwhelming majority of them is the migrant workers. What is the arrangement for the migrant workers to exercise their right to vote at the time of elections? Has Government applied its mind at any point of time? We have been raising this issue. Now, you are talking about 'one-nation-one-election'. Some people suffer from the obsession of one nation, one culture; one nation, one language; one nation, one religion; one nation, one party; one nation, one leader. This one nation, one election or simultaneous election is un-realistic, it is impractical and it is

unfeasible. We should understand that India is a country with tremendous diversities and you cannot impose it in the name of containing your expenditure or reducing your expenditure. It is a serious political question. Here, I urge upon the Government that before discussing such things, you assure the country that you will have one common voters' list. My question is: is there one common voters' list? You ask anybody. They say that the Government is not giving adequate financial support to have one common voters' list. The Election Commission gives Voter Identity Card. We can think of having one common voters' list. Why is this not happening? You begin with such practical steps.

Sir, my other important point is about the State-funding of elections. Everybody has referred to it. We have the Indrajit Gupta Committee Report of 1998. Why is the Government not discussing that Report on State-funding of elections? It can really ensure a level playing field for all the political parties, it can reduce corruption and it can reduce the money power that is corrupting the entire electoral system. Sir, the time has now come to do less talk and more action. Government should believe in action. Action is the best word. According to Jose Marti, the intellectual father of Cuba, action is the best word. If you believe in action, you take up the State funding as a serious subject, discuss it with the political parties and discuss it in the Parliament. Sir, India should opt for State-funding of elections.

Sir, everybody has referred to, Sharadji has referred to it, money power, muscle power and media power. Everyone knows that the money power is affecting our electoral system; there is violence, which is affecting our electoral system. Even though, there is Model Code of Conduct, all communal, religious appeals are made openly. Everybody knows it. We, the citizens of this country, know it. We, the Members of Parliament, know it. Let us not hide certain things. Let us not gloss over certain things. These are hard realities.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Rajaji, you have taken the time of three Members. Please conclude.

SHRI D. RAJA: I am concluding, Sir. Sir, let me speak about the media and the paid news. Our Party had raised this issue long back in the context of paid news, how to control paid news, and, how the media can be impartial and neutral in telling the people the realities as also the development that is taking place in the country, around the country and around the world. The media should not be used to downplay or undermine the very electoral system. It is a very serious subject, which we should deal with.

Finally, Sir, on EVMs, I must say that there have been allegations of large-scale

[Shri D. Raja]

EVM rigging in the recently held elections in five States. This has shaken the faith of the people in EVMs and the entire electoral process. I urge upon the Government to please get the paper slips in those constituencies, where polling was done through the VVPAT system in all the five States, count them and make the results public. If the results match with those given by the EVMs, it would strengthen the people's faith in EVMs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude.

SHRI D. RAJA: The Government should think of constituting a Committee of political parties and experts. ...(*Time-bell rings*)... I am concluding, Sir. EVMs are in place. But, there are allegations of rigging and there are doubts expressed about EVMs. How to clear the doubts; how to prove that EVMs are competent and tamper-free? So, Sir, these are some of the major issues which the Government should consider. In fact, the Government can have a proper discussion; or you constitute some mechanism to further discuss the proposals for comprehensive electoral reforms. ...(*Interruptions*)... It cannot be on *ad hoc* basis. It should be in totality and a comprehensive one. Thank you, Sir.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। सब से पहले तो मैं चेयरमैन राज्य सभा को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत सालों बाद electoral reforms पर इस डिबेट की अनुमति दी। मान्यवर, यह बहुत जरूरी डिबेट थी।

श्री डी. पी. त्रिपाठी (महाराष्ट्र): आप ने इसे प्रस्तावित किया था।

श्री राजीव शुक्ल: मान्यवर, इस बारे में तरह-तरह की बहस बाहर होती रहती है और लोग वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन आज इस सदन में इस विषय पर एक सामूहिक बहस हो गयी, इस के लिए चेयरमैन साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, जैसा कि आप को पता है, चुनाव सुधारों की शुरुआत राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय हुई थी। चाहे वोटर की उम्र 18 साल करने की बात हो या Anti defection law की बात हो, ये सब सुधार किए गए थे। फिर जब आडवाणी जी उप-प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस दिशा में काफी प्रयास किए। उन्होंने राज्य सभा वोटिंग को secret ballot से हटाया, लेकिन विधान परिषदों में वह कमी रह गयी और आज भी वहां secret ballot है, जिस का फायदा लोग उठाते हैं और वोटों की खरीद-फरोख्त होती है। वह चीज उस समय रह गयी, अब इसे सुधारा जा सकता है।

सर, असल बात यह है कि आज ई.वी.एम्स. को लेकर बात की जा रही है। मैं इस में नहीं जाना चाहता कि उन में गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, कोई rigging हुई या नहीं और मशीनों का गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप अब तक समझ गए होंगे कि इस हाउस में majority इस बात से सहमत है कि इस में गड़बड़ है, इस बारे में पता लगना चाहिए और इस में सुधार करना चाहिए। इस बारे में सहमति तो इतने सारे दलों में है। आप ने देखा है कि हर विपक्षी दल

ने यह बात उठायी है — मायावती जी ने यह बात रखी, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुत डिटेल में इस बात को यहां पर समझाया। मान्यवर, अगर ऐसी स्थिति आती है कि राजनीतिक दलों को किसी चीज पर शक है, तो वह एक गंभीर बात है। भले ही आप कहें कि यह कहना गलत है, कुछ गड़बड़ नहीं है और सब कुछ ठीक है, अगर यहां लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर शक है, अगर चुनाव की प्रक्रिया पर संशय है, तो चुनाव आयोग का भी दायित्व बनता है और सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह लोगों के शक और शंका को दूर करे। अभी सतीश जी ने कहा कि इस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप paper trail system लागू कीजिए। मान्यवर, मैं इसे हिन्दी में कहूंगा ताकि देश की जनता भी समझ पाए कि "पर्ची निकालो मशीन" यह एक पर्ची निकालने का सिस्टम है, जिस में आप देख सकें कि आपने जिसे वोट दिया है, वह सही है या नहीं। अब अगर यह पर्ची निकालने वाला सिस्टम रखा जाता है, तो सब की शंका दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और हर दल यह मांग कर रहा है। अगर यह हो जाए तो इस से बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। अब जब तक यह नहीं होता है, तब तक आप जहां ये मशीनें नहीं लग पायी हैं, आप वहां पर paper ballot system कर दीजिए, जोकि अमेरिका, इंग्लैंड और सब जगह पर है, ताकि लोगों को शंका या संशय न रहे, लोगों के मन में doubt न रहे। फिर जो जीतेगा, तो लोग मानेंगे कि हां ये बिल्कुल सही ढंग से जीते हैं, वरना अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब इस से पूरी जीत का मजा किरकिरा हो गया और पूरा देश आज सुन रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। यह तो जीत पर एक प्रश्न-चिह्न लग गया क्योंकि देश में इस बात को लेकर पहले दिन से ही हंगामा चल रहा है। इसलिए यह आपके हित में है कि आप यह करिए और चौधरी साहब, आपके बारे में यह शक पैदा हो गया कि आप लोग कुछ भी करा सकते हो। यह लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया। कुछ भी करा सकते हो, आप लोग इस मामले में बहुत उस्ताद हो। इसे दूर करने के लिए यह जरूरी है कि आप इसे लागू कराएं वरना यह उचित नहीं रहेगा। इस के लिए simple चीज यह है कि जो 1988 का Representation of the People Act है, उस के 61.ए क्लॉज में सिर्फ amendment करने की जरूरत है। आप उस में ये दोनों provisions डाल सकते हैं। मान्यवर, इस की शुरुआत हम लोगों ने नहीं की। सन् 1971 में जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीतीं, त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं, वे बताएं, तो उस समय के जनसंघ ने बड़े जोरदार ढंग से आरोप लगाया था कि मास्को से इस की स्याही आयी थी और उस स्याही से सब बदल जाता था और वह स्याही गाय-बछड़े पर लग जाती थी, जब कि वोट दूसरे को जाता था।

श्री मेघराज जैन: यह आरोप लगा था, लेकिन पूरी पार्टी ने उसे खारिज किया था।

श्री राजीव शुक्ल: वह कहां खारिज हुआ था? चलो, अभी की बात सुन लो। यह आइडिया डा. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, यह तो आडवाणी जी ने दिया। यह आइडिया आपकी ओर से ही आया। यह कोई हमारा आइडिया नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह हम लोगों की शिकायत नहीं है। यह तो इस तरह है कि हाउस के वेल में घुस जाओ, हंगामा करो, काम न होने दो और सदन स्थगित कराओ, यह तो हमने पिछले दस सालों में आप ही से सीखा है। आप ही रोज कुछ नहीं होने देते थे, तो हम भी कुछ आजमा रहे हैं, जो आपने हमें सिखाया। उसी तरह यह EVM वाली शिकायत किताब में लिख-लिखकर, आर्टिकल लिख-लिखकर, कोर्ट में बहसबाजी करके, आपने ही हमें बताया है, तो हमारी आंखें खुलीं कि हां, भाई देखो, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। आप तो खुद ही मशीन के बारे में

[श्री राजीव शुक्ल]

बोल रहे थे, इसीलिए हमने यह बात उठाई। अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस शंका का समाधान करिए, इसी से बात बनने वाली है।

पुणे में एक इंसिडेंट हुआ। पुणे में एक आदमी म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के लिए खड़ा हुआ। उसको एक भी वोट नहीं मिला। उसने मुकदमा किया हुआ है कि हमारा अपना वोट कहां गया? हमारी पत्नी का वोट कहां गया, हमारे बच्चों का वोट कहां गया और हमारे परिवार के 19 सदस्यों का वोट कहां गया? उसकी बात तो सही है, भले ही कुछ टेक्नीकल गड़बड़ी हुई हो, लेकिन यह चीज तो है। इसलिए आपको इस संशय का निराकरण करना बहुत जरूरी है।

एक बात पार्टी खर्च को लेकर हुई, जिसको राम गोपाल जी ने कहा है कि पार्टी खर्च बंद करना चाहिए, कैंडिडेट के खर्च में जोड़ना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का खर्च तो रियलिस्टिक होना चाहिए, कैंडिडेट का खर्च वैसे ही बहुत कम होता है, वह परेशान रहता है। अगर उसमें पार्टी का खर्च डाल दिया गया, तो ठीक नहीं होगा। आप पार्टी के खर्च की limitation तो बांध सकते हैं, सीमा तय कर सकते हैं, लेकिन आप कैंडिडेट के खर्च को उसको डालें, यह उचित नहीं है, इसलिए पार्टी खर्च की limitation करिए। जब मैं बनारस पहुंचा, जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि जैसे आप शाम को किसी पार्क में जाओगे या नदी के किनारे जाओगे, तो जैसे शाम को पंछी अपने बसरे पर आते हैं, वैसे ही हेलीकॉप्टर्स के झुंड के झुंड बनारस में और लखनऊ में लैंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी-थोड़ी देर में पक्षी अपने ठिकानों पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 16 या 18 हेलीकॉप्टर बीजेपी के थे। जहाज और हेलीकॉप्टर मिलाकर 27 की संख्या थी। गुलाम नबी जी इनकी संख्या 80 बता रहे थे। सबसे ज्यादा इनके थे। एक तरफ तो आप राजनीतिक दलों के चंदे की सीमा बीस हजार से घटाकर दो हजार कर रहे हैं, तो दो हजार के चंदे में तो इतने जहाज और हेलीकॉप्टर आ नहीं सकते, फिर ये कहां से आए? अगर दो हजार का चंदा मिलता है, तो दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि दूसरे को ज्ञान भी दो और खुद उस ज्ञान को अपनाओ मत। आप करें तो पाप और हम करें तो पुण्य! यह नहीं चल सकता कि दो हजार की सीमा भी लगाओ और इतने हेलीकॉप्टर और जहाज भी लगाओ। यह होना चाहिए कि आप सिर्फ पांच हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या दो कर सकते हैं या दस कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): शुक्ल जी, आप समाप्त करिए।

श्री राजीव शुक्ल: सर, यह भी नहीं हो सकता कि पहले बोलने वालों को 30 मिनट, 32 मिनट और 35 मिनट और हम लोगों के ऊपर सीमा लग गई, तो यह नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अभी आपकी पार्टी से बोलने वाले बहुत लोग हैं।

श्री राजीव शुक्ल: समय-सीमा बिल्कुल नहीं, अब तो समय-सीमा खत्म हो चुकी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ऐसा नहीं है।

श्री राजीव शुक्ल: समय-सीमा बिल्कुल नहीं है, पहले वालों के लिए कुछ और अब कुछ और, इसलिए यह नहीं हो सकता कि आप बाद वालों पर समय-सीमा लगाएं। हम कोई second category के member तो नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।

श्री जयराम रमेश: ये tailender हैं, वे ओपनिंग बेट्समैन हैं।

श्री राजीव शुक्ल: हां, tailender ही चौके और छक्के ज्यादा लगाता है और वहां पर मैच भी जितवाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): एक मिनट में छक्के में आउट हो जाता है।

श्री राजीव शुक्ल: हां, लेकिन कई बार लम्बी सेंचुरी भी बना जाता है।

श्री जयराम रमेश: सर, कभी खेला नहीं है।

श्री राजीव शुक्ल: इन्होंने ही खेला है। इस देश में जो कुछ भी किया है, वह जयराम जी ने ही किया है, बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं है। महोदय, वोटर लिस्ट में सुधार की बात एकदम सही है और मैं भूपेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि वोटर लिस्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, कई नाम कट जाते हैं, इसलिए उसके लिए कोई स्थाई इंतजाम करना चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं रखना चाहता हूं, नक्रवी साहब, जरा इधर ध्यान दीजिए कि इस हाउस में यह Code of Conduct वाली बात कई लोगों ने कही है। हर समय चुनाव होते रहते हैं और Model Code of Conduct लागू हो जाता है। इस Code of Conduct का सबसे ज्यादा फायदा अधिकारी लोग उठाते हैं। उनको जो काम करना होता है, तो उसको तो वे कर देते हैं, जो नहीं करना होता है, तो कहते हैं कि आचार-संहिता लगी है, इसलिए हो नहीं सकता। लोगों के काम रुक जाते हैं और इसका सारा फायदा अधिकारी लेते हैं। इस मामले में चुनाव आयुक्त से स्पष्ट रूप से लिखित में होना चाहिए कि कौन सा काम हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है? जब कुरैशी साहब थे, हमने एक चीज के लिए उनसे सम्पर्क किया, फिर उन्होंने कहा कि साहब, यह बिल्कुल हो सकता है। आप लोग अपने आप ही आचार-संहिता लगा देते हो, ये चीजें हमसे पूछो तो सही। हमारी आचार-संहिता इतनी सख्त नहीं है कि यह चीज नहीं हो सकती, वह चीज नहीं हो सकती। आप लोग ही यह मानकर चलते हो, अफसर भी यही मानकर चलते हैं कि चुनाव आचार-संहिता है, यह नहीं हो सकता है और पूरा काम ठप कर देते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन डिटेल् में चुनाव आचार-संहिता बनाए कि क्या-क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वह वेबसाइट पर पड़ी हो और लोगों को पता हो ताकि काम न रुके। चौधरी साहब, आप यह जरूर कराएं कि चुनाव आचार-संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या प्रोविजन्स हैं, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ताकि ब्यूरोक्रेट्स इसका दुरुपयोग न कर सकें और जो काम हो सकते हैं, वे काम बिल्कुल हों, काम ठप न हों और एकदम से सब कुछ रुक न जाए।

दूसरा, आजकल यह बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इश्यू चल रहा है कि जो अपराधी हों, जिनके खिलाफ अपराध के मामले हों, इलेक्शन में, उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लग जाए। मेरा यह मानना है कि कहीं इसका दुरुपयोग न शुरू हो जाए, जिन्दगी भर के लिए एक आदमी का रास्ता बंद न हो जाए। लोग कई बार, कई जगह पर केस करा देते हैं और लोगों को फंसा देते हैं। उसके बाद यदि कोई ऐसा मुख्य मंत्री हो, जिसका इस तरह से पूरा प्रभाव चल रहा हो, जैसे तानाशाही वाला मामला हो, यदि उसने किसी को फंसा दिया, तो वह तो आजीवन वंचित हो गया। इसलिए, इस पर सोच लीजिए। यह कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मीडिया में बड़ा अच्छा लगता है, भाषण देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सोच लीजिए कि

[श्री राजीव शुक्ल]

इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाना कितना उचित होगा और कितना उचित नहीं होगा। इस पर बहस हो जाए, उसके बाद इसको चुनाव आयोग में भी लिखकर दीजिए। हमें इस पर सोचकर आगे बढ़ना चाहिए।

एक बात और है, इतनी सारी बातें हुई हैं, उन्होंने एग्जिट पोल पर तो प्रतिबंध लगा रखा है कि यह last date of election से पहले नहीं आ सकता है, यह ठीक बात कही है, इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि तमाम चरणों में, phases में इलेक्शन होते हैं। अगर वोटर को कोई सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वह ओपिनियन पोल प्रभावित करता है, लेकिन इन ओपिनियन पोल्स पर कोई रोक नहीं है, ये लगातार आते रहते हैं। ये चुनाव के वक्त भी आते रहते हैं, चुनाव से थोड़ा पहले भी आते रहते हैं, ये माहौल बनाने के लिए आते रहते हैं। आजकल ओपिनियन पोल्स मैनेज किए जा रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स कैसे और किससे कराने हैं। क्योंकि सब प्राइवेट एजेंसीज हैं, कोई भी खोल लेता है, इसलिए आप कैसे भी और कैसा भी ओपिनियन पोल ले लो। वे ओपिनियन पोल बेचने के लिए घूम रहे हैं, आप ओपिनियन पोल ले लीजिए। इसलिए ओपिनियन पोल पर जो प्रतिबंध लग रहा है कि जहां चुनाव हो, चार महीने पहले, तीन महीने पहले या छह महीने पहले, आप इसकी सीमा बनाएं कि चुनाव से पहले कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा। ओपिनियन पोल पर रोक नहीं चाहिए, एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक, बाद में, एग्जिट पोल आता है, तब तक पोलिंग हो चुकी होती है, इसलिए इसको देखने की जरूरत है।

सर, मेरा लास्ट प्वाइंट है। यह सोचने की चीज है कि अगर एक जगह एक व्यक्ति को 1 लाख, 1 वोट मिले हैं और दूसरे वोटर को 1 लाख वोट मिले, लेकिन एक वोट से 1 लाख, 1 वोट प्राप्त करने वाला जीत गया, तब आप यह बात बताइए कि उस क्षेत्र का असली प्रतिनिधि कौन है? जिसको 1 लाख वोट मिले, वह बेचारा तो कुछ नहीं रह गया, वह घर में बैठा है, उसके सभी रास्ते बंद हैं, लेकिन जिसको 1 लाख, 1 वोट मिले, वह एमएलए भी बन गया, एम.पी. भी बन गया और मिनिस्टर भी बन गया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो मैं हवा में उछाल रहा हूं और आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है आज दिन भर हमारी जो चर्चा हुई है, उसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। जैसे कि अभी राजीव शुक्ल जी चुनाव सुधार पर कह रहे थे कि बहुत वर्षों से यह बात हो रही थी कि चुनाव सुधार पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा में कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आईं, कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सब मिलाकर यदि हम उसका जिस्ट देख रहे हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, चुनाव सुधार के लिए इस सदन से एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रभावी आवाज उठी है। चुनाव सुधार की बात हमेशा होती रही है। सन् 2000 में, शायद उससे पहले भी बात हुई होगी, लेकिन जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मुल्क के प्रधान मंत्री थे, उस समय बहुत ही विजिबल और बहुत ही प्रभावी निर्णय हुए थे। जैसे कि आज हम लोग सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन पहले यह होता था कि उसी राज्य का वोटर होना चाहिए। मान लीजिए, यदि किसी को दूसरे राज्य से चुनकर आना होता था, तो वह उस राज्य में जाकर वोटर बनता था। वह एक मकान लेता था, मकान लेकर अपना बोर्ड लगाता था, वहां रहता था,

वह चाहे रहता हो या न रहता हो, वह अलग बात है। वह खत्म किया गया और यह हुआ कि राज्य सभा का सदस्य देश के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, उसको पार्टी चुन सकती है, अपना उम्मीदवार बना सकती है, वह चुना जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने 1991 में पहला चुनाव लड़ा था। उस समय, जब हम गए थे, तो एक पेज का नॉमिनेशन पेपर था। मैं गया और जाने के बाद आर. ओ. के टेबल के सामने जाकर बैठा। मैंने आर. ओ. के टेबल के सामने खड़े होकर अपना नॉमिनेशन पत्र भर दिया था। उसी समय उन्होंने हाथों-हाथ स्कूटनी कर दी थी और स्कूटनी करने के बाद मेरा वह नॉमिनेशन पेपर वैलिड हो गया था। बाद में असेट्स, लाइबिलिटीज, क्रिमिनल रिकॉर्ड, यह सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई और उसके साथ डिक्लेरेशन का भी हुआ और फिर एक तरह से वह डिजिटल हो गया। अब जब कोई उम्मीदवार नॉमिनेशन पेपर भरता है, तो उसकी असेट्स, लाइबिलिटीज, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारा का सारा रिकॉर्ड आधे घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर जैसे ही स्कूटनी पूरी होती है, सारा का सारा रिकॉर्ड कम्प्यूटर पर और उनकी वेबसाइट पर मिल जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग 85 करोड़ मतदाता हैं और लगभग इतने ही लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल किया है। ईवीएम पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जब 2004 में कांग्रेस पार्टी लोक सभा का चुनाव जीती थी तो उस समय भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, 2009 में जब कांग्रेस पार्टी लोक सभा का चुनाव जीती थी उस समय भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। मैं 2004 का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय बीजेपी और एनडीए हारी थी। स्वाभाविक है कि चुनाव में, किसी भी चुनाव में जनता का एक बड़ा फैसला होता है। उत्तर प्रदेश में 1977 के चुनाव में वहां पूरी की पूरी 85 सीटें जनता पार्टी को मिल गई थीं और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्चस्व था, देश में उसका सफाया हुआ। उस समय तो बैलेट पेपर्स से चुनाव होते थे। इसलिए ऐसे सवाल अक्सर उठ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए, यह ठीक नहीं है।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण चीज चुनाव सुधार के संबंध में है। आज देश में दस लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं और इन दस लाख पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम का इस्तेमाल होना, इस पर राजनैतिक सवाल उठे, लेकिन अभी तक कोई भी गंभीर सवाल इस पर नहीं उठा है। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और उस चुनाव सुधार की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। आज सदन में जो बहुत से सवाल और बहुत से सुझाव आए हैं, उनको हम मानते हैं कि वे सकारात्मक हैं। कई माननीय सदस्यों ने और अभी राजीव शुक्ल जी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की बात कही। हम लोग चुनाव आयोग में जाते हैं और चुनाव आयोग में जाने के बाद हम यह बात कहते हैं कि यह जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, जैसे ही यह डिक्लेयर होती है वैसे ही अधिकारियों का एक तरह से एक अघोषित आपातकाल लग जाता है। पहले रात को एक-एक बजे, दो-दो बजे तक सभाएं होती थीं, उन सभाओं में लोग अपनी बातें करते थे, उस समय चुनाव एक उत्सव हुआ करता था, लेकिन आज तमाम तरह की बंदिशें आदर्श चुनाव आचार संहिता के नाम पर लगती हैं। अगर कहीं परमिशन भी मिलती है तो उसमें कहा जाता है कि एक बजे से लेकर एक बजकर चालीस मिनट तक आप सभा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आधे घंटे लेट हो गया, तो उसकी सभा नहीं होगी। सभा करेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर लिख दी जाएगी और उसके बाद पूरे पांच साल तक

[श्री मुख्तार अब्बास नकवी]

वह झेलता रहेगा कि आपके खिलाफ एफआईआर चल रही है। ये तमाम चीजें हैं, जिनमें सुधार होना चाहिए और सभी पोलिटिकल पार्टिज को मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा ऐसा मानना है कि तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के प्रत्यारोप, तमाम तरह के ईवीएम पर सवाल, ये गैर-जरूरी हैं। अभी यहां अभिषेक मनु सिंघवी जी नहीं हैं, वे, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लोक सभा सदस्य, हमारे दर्डा जी, जो अभी रिटायर हो गए हैं और मैं, जिस वक्त अमरीका में चुनाव हो रहे थे, तो हम, तमाम पोलिटिकल पार्टिज से रिप्रेजेंटेटिव होकर ऐज ऑब्जर्वर वहां गए थे। उनमें अभिषेक मनु सिंघवी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं, दो-तीन और माननीय सदस्य वहां गए थे। उस समय वहां ओबामा साहब के जो इलेक्शन के मैनेजर्स थे, जब उनके साथ हम बैठे तो सवाल हुआ कि आपके यहां यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्यों सक्सेसफुल है? उन्होंने बड़ी स्टडी की हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने इसकी बड़ी स्टडी की है और हमने इसमें सारे तर्क देखे हैं, तो हमें इसमें एक चीज नजर आई कि इसको टैम्पर नहीं किया जा सकता, इससे हम सहमत हैं। यह बात उन्होंने कही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक बार किसी लोकल बॉडी इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हुआ था, उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई थीं कि साहब, इसको हैक किया जा सकता है। इसके बारे में और भी तरह के सवाल उठे, इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर दोबारा नहीं सोचा। वह उनका अपना सिस्टम था, लेकिन उन्होंने भी यह कहा कि हिन्दुस्तान में जो EVM के द्वारा voting system है, वह पूरी तरह से पारदर्शी है, बहुत अच्छा है और किसी भी democratic country को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी इस पर सवाल केवल इसलिए उठा है कि अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए और इन पांच राज्यों के चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मणिपुर और गोवा में बनी है और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। इसी EVM ने मायावती जी को भी मुख्य मंत्री बनाया था और इसी EVM की voting से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार बन चुकी है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वे भी और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वे भी इसी EVM की voting की व्यवस्था के माध्यम से चुनाव जीती हैं। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए हमें लगता है कि यह तो बच्चों वाली बात होती है कि हम ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल: नकवी साहब, आप इसे हमें समझाने के बजाय डा. स्वामी और आडवाणी जी को समझा दीजिए। अगर वे आपकी बात मान जाएँ, तो ठीक है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उपसभाध्यक्ष महोदय, बार-बार एक किताब के बारे में बात कही जाती है। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जिस किताब के बारे में बात कही जा रही है, वह किताब भारतीय जनता पार्टी की कोई अधिकृत किताब नहीं है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल नहीं किया कि EVM का जो voting system है, उसको खत्म कर दिया जाए। बार-बार उस किताब को दिखाया जा रहा है, जैसे वह भारतीय जनता पार्टी की ...**(व्यवधान)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Because these are authored by your leaders only.
...**(Interruptions)**...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, let it be. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: You are relying on them and they are still your leaders. ...*(Interruptions)*... They continue to be your leaders. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: तपन दा, आप कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी हैं और आपको इस लोकतंत्र में अधिकार है, आप लिख-पढ़ भी सकते हैं। यह थोड़े ही है कि आपने जो लिख दिया, उसके बारे में हम कह दें कि वह कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकृत दस्तावेज है। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, जो लिखने-पढ़ने में भी यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं। हमने जयराम रमेश जी की बहुत सी किताबें देखी हैं। हमने और भी लोगों की किताबें देखी हैं। इसलिए लोग लिखते रहते हैं और वे अपने-अपने विचार लिख सकते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश का लोकतंत्र है। इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी EVM के सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया है। उसके सुधार के लिए, जैसे अभी सुझाव आया, सुधार हमेशा किए जा सकते हैं। जो सुधार होने चाहिए, उस सुधार को लेकर हमने सवाल उठाए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी और माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे, मैं केवल एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँगा।

"तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं,
कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।
मैं बेपनाह अँधेरे को कैसे सुबह कहूँ,
मैं इन नज़ारों का अँधा तमाशबीन नहीं।"

इसलिए जो सच्चाई है, उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस वक्त जब चुनाव होने वाला था, तो कहा गया था कि यह demonetisation के खिलाफ जनादेश है। अब जब जनादेश आ गया, तो कहा जा रहा है कि यह EVM का जनादेश है, यह जनता का जनादेश नहीं है। यह सवाल EVM पर नहीं, बल्कि यह देश के करोड़ों लोगों के जो मताधिकार हैं, उन पर सवाल उठाने वाली बात है। इसलिए हम चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। किसी भी खुले लोकतंत्र में, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव सुधार अनवरत होते रहते हैं और होने चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Now, Shri Anil Desai. ...*(Interruptions)*...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, my question to the Minister is: What is the official BJP document? That book is not official.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): No, let it be.

SHRI T. K. RANGARAJAN: So what is official? Can you explain?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You ask the BJP office.

SHRI T. K. RANGARAJAN: No, he is a Minister. When he says that that book is not an official document... *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): If it is a party document then go and ask the party. *...(Interruptions)...* Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to put my thoughts before this august House. Sir, the most significant feature of the democracy is the election process. Free and fair elections are essential for a healthy democracy. The more the elections are free and fair, the stronger the allegiance the people will have towards the democratic institutions. The experiences of the general elections have shown the merits and demerits of the electoral system that has prompted the Election Commission of India to make many changes in the system. However, still our electoral process is beset with many evils like use of black-money, casteism, communalism, rigging, abuse of administrative machinery, criminalization of politics and even capturing of booths in some areas. All these evils need to be weaned off from the electoral process to make it free and fair in true sense to enable people to have faith in our electoral process. Sir, we have come a long way from ballot voting system to EVMs. It is the right of the voter to know what candidate and what party he has voted, and that is why ballot paper voting system had its own significance. Our party President, Late Shri Balasaheb Thackeray, right from 2004, always advocated that ballot paper voting system should be in place instead of EVMs because EVMs had its own defects and deficiencies. After that, though, it was taken up that electronic machine or EVM is foolproof, but, time and again, the deficiencies came to the fore and that was demonstrated and presented to the Election Commission of India by all the parties. After it went to the Supreme Court, the Supreme Court has observed in October, 2013 that Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) should be there and that machine should be attached to the EVM so that the person, the voter, who is casting his vote would know as to where exactly his vote has gone. I think that should be adhered to. That reform is a must and, I hope, in coming years, whatever elections would be held, EVMs will be attached with VVPAT and all the doubts will be cleared and credibility of this system will permanently set in the minds of the people that what they are advocating or what they are following is the true democracy.

Sir, another point which I would like to highlight is criminalization of politics. In today's elections, every party has its candidate. Every party should bear in the

mind that the character and the image of its candidate and the perception of the populace should be taken into account before fielding. It is immaterial whether the candidate is facing charges or fighting a case in the courts of law. Over and above, it should be the Code of Conduct to be exercised by the political parties and whom to field. To score that evil, which was persisting in basic criminalization of politics, the option of NOTA *i.e.*, None of The Above, was introduced as a supplement that people can exercise that option. Of late, in some of the local-Self Government elections, local body elections, we have seen that this exercise is on the rise. NOTA is getting more and more approval of the people and it shows that criminalization in politics is increasing and that is much in the hands of political parties rather than the issue to be handled by the courts of law.

Another point which I would like to highlight is regarding antidefection rule. As per that provision, two-thirds majority or three-fourths majority should be there. In spite of that even, two-thirds or three-fourths of the Members of the party take the help of this provision and defect to some other party. It should not be given that kind of a chance and they should be disqualified. That kind of amendment needs to be done, otherwise, political parties take all pains and people who believe in vote bank of parties, who believe in the principle and ideology of the party, they vote for the candidates and then, their defection makes losses not only to the political party, but it is cheating on the people also. It is betraying of their faith. So, this amendment needs to be done. All the senior colleagues have spoken at length on electoral funding. I think one provision which was made that anonymous donations to the tune of ₹ 20,000 that is reduced to ₹ 2000. I think, there are ways and means, political parties will adapt to it. I mean it is not a big thing. But that can be taken in stride. But the provision which has been made is that the donor should pay through a cheque or in a digital form they can transfer the funds to the political parties. But it is very important that the provision which the hon. Finance Minister has made in the Finance Bill that prescribed time limit within which they should file their accounts to the Income Tax Department to avail of income tax exemption; otherwise, they will not be able to avail that facility. So, that should be adhered to. That will be a sort of check on political parties to clean up the system.

Sir, State funding of political parties is a must in order to ensure a level playing field. That will weed out most of the things which are prevailing as on today. In the coming elections, if that is taken up seriously, in consultations with all political parties, then, I think that will be the biggest reform.

Sir, another deficiency which I have observed is that advertisement in the print media can be availed till the last day of polling. So far as the advertisement in the print media is concerned, there is no restriction. But 48 hours before the polling

[Shri Anil Desai]

day, the electronic media restricts your advertisements and campaigning. But in the elections what we see is till the last day of the elections, political party leaders often come on T.V. channels giving interviews, and they are completely doing campaigning for their parties. So, it is a major violation of the code of conduct which should be checked. I think the Election Commission should take note of that.

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री अनिल देसाई जी, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

SHRI ANIL DESAI: Sir, I will take just two minutes. I will not take much time.

Sir, another point which goes with this is the opinion polls. I think, rules should be framed how to check the scope of opinion polls because that goes a long way in informing every voter to make his opinion about the political parties. If at all things are to be done, then, collectively some third party instituted by the Election Commission, should take up that and they should come out with the opinion polls which would not be one sided or which would not help either the ruling party or the opposition parties.

The last point which I would like to make is about the letter written by the Chief Election Commissioner to the Government of India calling for a slew of electoral reforms, among other things, the use of black money in elections. I think Mr. Zaidi, the Chief Election Commissioner had written a letter to the hon. Prime Minister. He said that bribery and paid news be made a cognizable offence. He suggested that the Election Commission of India be given powers to deregister the political parties which are engaged in these kind of practices. The statement of the Chief Election Commissioner should be considered seriously. Unless the Election Commission is given more powers to cleanse electoral system, I think, it will be a far-fetched dream of the people of India that nothing true would happen. If it has to happen some things need to be put in place so that our democracy which is appreciated by the world over could be further strengthened. With these words, I conclude and I thank you, Sir, for having given me an opportunity to put forward my thoughts. Thank you.

श्री प्रमोद तिवारी: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, लोकतंत्र की इमारत जनता के विश्वास के घरातल और उसकी नींव पर खड़ी होती है। अभी पांच राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें से मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कह सकता हूं कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, उनसे जन-विश्वास आहत हुआ है। इससे अगर सबसे ज्यादा चोट किसी को पहुँची है, तो वह लोकतंत्र को पहुँची है। लोकतंत्र में जब असंतोष हो जाता है, लोकतंत्र में जब अविश्वास हो जाता है, तो उसकी परिणति बहुत खतरनाक होती है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि बड़ी कुर्बानियों के साथ जिस

आजादी को पाया गया था और इस देश का लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र था, हमारे सामने बैठे हुए लोगों ने, इनकी सरकार ने उस लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की है, इसलिए चुनाव सुधार पर मैं उसी दिशा में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। मैं एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जब ये जवाब दें, तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए कि एक तरफ पारदर्शिता की बात होती है, एक तरफ ईमानदारी की बात होती है, एक तरफ जन विश्वास की बात होती है। मैं सीधी सी बात यह जानना चाहता हूँ कि 2014 में, जब से यह सरकार आई है, इसने जान-बूझ कर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जिसमें यह कहा गया था कि ईवीएम मशीनें वही इस्तेमाल की जाएँ, जिनमें paper trail हो, जिनमें मतदाता को पता लग सके। मैं तीन साल तक इस खामोशी का राज जानना चाहता हूँ। क्यों सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्वाचन आयोग से कहा, तो निर्वाचन आयोग बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है। परन्तु जहाँ पर लोकतंत्र की नींव है, उसी को मजबूत करने के लिए आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। यह तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो अगर आप करना चाहते और न हो पाता। तो आपने जान-बूझ कर वे ईवीएम मशीनें नहीं इस्तेमाल की हैं, जिनसे मतदाता अपने आपको संतुष्ट कर सकता कि हमने जो अपना वोट दिया है, वह वहीं पहुँचा है, जहाँ हम देना चाह रहे थे। तो कहीं-न-कहीं इस कांस्पिरेसी में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता सबसे ज्यादा आहत हुई है, सबसे ज्यादा उसका नुकसान हुआ है। ईमानदारी की बात करें, तो फिर ईमानदारी की बात करना भाजपा के साथ बेमानी हो जाती है। ईमानदारी और भाजपा का दूर-दराज तक रिश्ता नहीं है। मैं अपने आपको गुलाम नबी आज़ाद साहब से, राम गोपाल जी से, सतीश चंद्र मिश्रा जी से, राजीव जी से, येचुरी जी से जोड़ते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने चुनाव सुधार के बारे में जो कुछ कहा है, उसमें मैं अपनी बात से बल देता हूँ। परन्तु मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि यह एक इतिहास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पोस्टल बैलेट आया या जो बैलेट के थ्रू हुआ, वहाँ बीजेपी बुरी तरह हार रही है। वह जो बैलेट है, वह किसी गांव के एक पोलिंग बूथ का नहीं है, वह पूरे जिले की या पूरे निर्वाचन क्षेत्र की भावनाओं को प्रकट करता है। वहाँ तो बीजेपी का पता नहीं लग रहा है, वहाँ कांग्रेस, बसपा और सपा जीत रही है, लेकिन जब मशीन से गणना होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या यह जो पोस्टल बैलेट था, जो हजारों की तादाद में था, 10, 20 या 25 नहीं था, उसमें जो रिजल्ट था, वह इससे कैसे contradict हो रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

एक और सवाल मेरे मन में उठता है कि trail machine के साथ जहाँ पर आप वोट देते हैं और पता लग जाता है, वह गोवा में दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ। अगर वह गोवा में इस्तेमाल होता है, तो आप घट कर 21 से 13 पर क्यों आ जाते हैं और हम बढ़ कर 17 पर क्यों पहुँच जाते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनें लगीं, जहाँ मतदाता को पता लग जाता था, वहाँ भी आप लगातार हारते रहे, क्यों? वहीं आप क्यों जीतते हैं, जहाँ ईवीएम में कोई रोक-टोक नहीं है। ...*(व्यवधान)*... वही मैं कह रहा हूँ। मैं बार-बार trail machine का ही जिक्र कर रहा हूँ और हिन्दी में मैं यह कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं।

[श्री प्रमोद तिवारी]

सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, दुनिया में आप सैटेलाइट यहां बैठे हुए गवर्न कर रहे हैं। किसी के घर में लगा हुआ टेलीविजन चल रहा है, उसे आप हैक कर सकते हैं, किसी का फोन हैक कर सकते हैं। तो मैं इस सम्भावना पर बल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ असम्भव नहीं है कि यह नहीं हो सकता है। अगर ऐसा था, तो मैं भी थोड़ा-बहुत उत्तर प्रदेश को जानता हूँ, मेरा यह 11वां चुनाव था, जब से मैं राजनीति में आया हूँ। बीजेपी चुनाव में कहीं नहीं दिख रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान आपके बड़े-से-बड़े नेताओं के पास भीड़ नहीं आ रही थी, उसकी जगह ज्यादातर जगहों पर जो दूसरे दल के नेता जा रहे थे, उनकी सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा था। प्रधान मंत्री जी की सभाओं में भीड़ अपनी जगह थी, उसके अलावा किसी नेता की सभाओं में भीड़ नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... आप वोटिंग में कहीं नहीं दिख रहे थे, जो रिजल्ट आया ...**(व्यवधान)**... आप लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना ठीक था, तो सारा हिन्दुस्तान छोड़कर तीन दिन बनारस काशी वास करने की क्या जरूरत थी? अगर इतना बहुमत आ ही रहा था, तो तीन दिन बनारस में रुक कर आपने कोई मंदिर, मस्जिद नहीं छोड़ा, जहां आप नहीं गए। एक नहीं, बल्कि दो-दो रोड शोज़ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ...**(व्यवधान)**... आप कहीं-न-कहीं से हिले हुए तो थे और यह चुनाव परिणाम ...**(व्यवधान)**...

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): सर, वही इवीएम मशीनें तो पंजाब में भी थीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मेघराज जैन: आप जो इतनी मेहनत की बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... अगर हमें गड़बड़ी करनी होती, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): कृपया आप बैठिए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, जैन साहब को बोलने दिया कीजिए। वे इस उम्र में तो बोल लिया करें। ...**(व्यवधान)**...

सर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ और वह यह है कि अगर उन्हें इतने प्रबल बहुमत की आशा थी, तो उनको अपने तीन कीमती दिन प्रदेश के जिले को देने की क्या जरूरत थी? जब वहां पर देख लिया कि मुझे बनारस में तीन दिन देना पड़ा, तभी तो ये सारी * हुई हैं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, यह constituency के प्रति उनकी निष्ठा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: सर, मंत्री जी को बैठने के लिए बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी: नहीं, नहीं, बाबुल जी, आप खड़े रहिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें आप बोलें और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): तिवारी जी, आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, अभी जो मेरे दो-तीन मिनट गए हैं, वह दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, मैं आपको दो मिनट दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि constituency के प्रति ये तीन दिन की निष्ठा तीन साल के बाद क्यों याद आई? इन तीन सालों में क्यों नहीं याद आई? एक रात तो वहां गुजार देते! इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं थी।

सर, मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं, अमेरिका है या यूरोप के बड़े देश हैं, वहां बैलट है और जहां मशीन है, वहां वह ट्रेल मशीन है। मैं सिर्फ इस बात पर जवाब चाहता हूँ कि जब तक मतदाता का यह विश्वास कि उसने जिसको वोट दिया है, वह उसको न पहुंच जाए, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और इस सरकार ने तीन साल तक उसका पालन नहीं किया, तो मैं इस सरकार को * का दोषी मानता हूँ, * का पार्टनर मानता हूँ। यह मेरा सीधा-साधा आरोप है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतना लिमिटेड पैसा नहीं है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं बहुत-से देशों का उदाहरण दे सकता हूँ, आयरलैंड ने इसको शुरू किया और वहां पर इसमें गड़बड़ी नजर आई, तो उसने इसको बंद कर दिया। अभी सारे देशों के नाम गिनाए गए, मैं उन्हें गिनाना नहीं चाहता हूँ, वहां पर भी इसको खत्म किया गया।

सर, मेरा सिर्फ एक सुझाव है, वह यह है कि आने वाले चुनाव हैं, या तो आप सुनिश्चित कर दीजिए कि उन मशीनों में जब तक मतदाता ने जहां मत दिया है, उसे देखने का अवसर न मिल जाए, तब तक आप उन जगहों पर बैलट पेपर्स से चुनाव कराएंगे, इसकी घोषणा सरकार करे, यह मेरा सुझाव है। ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वोट कम पड़ रहे हैं, लेकिन मशीन में ज्यादा निकल रहे हैं। बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है कि जिन मशीनों में वोट डाला गया, उनके बारे में एजेंटों ने आकर जो बताया, उससे कहीं ज्यादा वोट्स उनमें निकले हुए हैं। कुल मिला कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुनाव परिणाम अपनी जगह है^a, लेकिन सबसे बड़ा एक परिणाम आया है कि जनता का विश्वास इवीएम की मशीनों पर नहीं रहा है। जब इस पर विश्वास नहीं रहा है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, दावा है, यही मेरा सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का आप पालन करें, इलेक्शन कमीशन के दिशा-निर्देश का पालन करें और अगर नहीं कर पाते हैं, तब तक उन जगहों पर आप बैलट पेपर्स से चुनाव कराएं।

सर, मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हालात जो थे, स्थितियां जो थीं, वे साफ-साफ बयान कर रही थीं कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, बल्कि इवीएम में गड़बड़ी कराकर हासिल जीत है।

*Expunged as ordered by the Chair.

7.00 P.M.

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं लंबे समय से इस चर्चा को राजनीति शास्त्र के एक छात्र के रूप में सुन रहा था और मुझे लगता था कि काफी नए बिंदु चर्चा में सामने आएंगे और ऐसी चर्चा यहां होगी, जिससे नया प्रबोधन होगा, उद्बोधन होगा। मगर जब चर्चा को मैंने सुना, विशेष रूप से विपक्ष के मित्रों के सारे arguments, प्रतिपादन जब मैंने सुने, मैं स्वयं मराठी प्रदेश से आता हूं, हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, मगर जब मैंने हिन्दी पढ़ी थी, उस समय का मुझे एक मुहावरा याद आता है — 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा'। मैं मानता हूं कि यह सारी चर्चा एक तरह से नाच न जाने, आंगन टेढ़ा के रूप में सामने आई है। इनके सामने जनतांत्रिक पद्धति से चुनाव में जीतने के पूरे अवसर थे, काफी सुविधाएं उनके पास थीं और एक नहीं दो-दो पार्टियां बोलीं कि हमें यह साथ पसंद है, लेकिन दोनों मिलकर नाचने की बात तो छोड़िए, खड़े भी नहीं रह पाए और अब आंगन टेढ़ा है, ऐसा बहाना बनाकर EVM मशीन को कटघरे में खड़ा करने की कवायद कर रहे हैं।

मैं मानता हूं कि यहां जो चर्चा हुई, Shakespeare के literature में आता है कि उसमें जितने अंग्रेजी नाटककार थे, वे सब विलापिता पर बल देते हैं, यहां भी उसी तरह की विलापिता सामने आई कि चलिए, मन में जो भड़ास है, उसे निकाल लें। इसके अलावा, सारी चर्चा में हमारे विपक्ष के मित्र कोई विशेष बिन्दु बताना चाहते थे, मुझे बहुत कोशिश के बाद भी, ढूंढने पर भी वैसा कुछ नहीं मिला। चर्चा को यहां इस तरह trivialize करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो, तो चुनाव सुधारों के कई बिन्दु हैं। मगर चर्चा घूम-फिरकर EVM machine तक ही सीमित रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने खोजबीन करके किसी नई EVM machine का प्रयोग नहीं किया। इसकी चर्चा 1998 से चली आई है। 1998 के बाद, 1999, 2004 और 2009 में इन EVM machines का प्रयोग हुआ, जिनमें से कुछ चुनाव राज्यों और केंद्र के लिए हमारे विपक्षी मित्रों ने जीते हैं। जब हम जीतते हैं तो EVM machine सही है लेकिन जब आप जीतते हैं तो EVM machine गलत हो जाती है, मैं मानता हूं कि इस तर्क के अंदर जो खोखलापन नजर आता है, उसे तो स्कूल जाने वाला बच्चा भी समझ सकता है। इस तरीके से अगर हम बातें करेंगे और सदन का समय नष्ट करेंगे, मैं समझ सकता हूं कि यदि कोई व्यापक चर्चा जरूरी है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। हम स्वागत करते हैं कि सदन में चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। चुनाव सुधारों पर चर्चा करते समय कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहां चर्चा के दौरान कैसे-कैसे प्रतिपादन और किन-किन लोगों के द्वारा किए गए, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता अभी चर्चा के समय यहां उपस्थित नहीं हैं, मगर उन्होंने manifesto निकालने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की और कहा कि कोई घोषणा-पत्र हम नहीं निकालेंगे, जनता को वैसे ही गुमराह करेंगे और आज ऐसे लोग यहां जनतंत्र की भाषा बोलकर हमें प्रवचन दे रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं। उनकी बातें कैसे गले उतरेंगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

यहां media and WhatsApp पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। हम एक तरफ media की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ WhatsApp में अगर कुछ घूमता है, कुछ फिरता है तो बोलते हैं कि इसके कारण दुष्प्रचार हो रहा है। किस जमाने में आप रह रहे हैं? यह सूचना प्रौद्योगिकी की जो आधुनिक तकनीक है, उसका थोड़ा तकाजा भी लेना चाहिए।

यहां First-past-the-post system के बारे में बात हुई। मैं मानता हूँ कि बड़ी सार्थक चर्चा होती, अगर हम पूरी चर्चा उसी पर केंद्रित करते। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि यह कोई आज की चर्चा नहीं है। दशकों से यह चर्चा होती आई है। हमारे Communist Party के लोग जो अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जैसे आज कहा, पहले भी उन्होंने यही कहा था, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सदन में, लोक सभा और राज्य सभा दोनों में, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया गया था। उस आयोग ने संविधान के क्रियान्वयन तक की निगरानी की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को चर्चा में लेना तो छोड़िए, उस पर इतनी ज्यादा गाली-गलौज की गई और कहा गया कि आप संविधान बदलने जा रहे हैं, जो इसका मकसद नहीं थी। हम तो उसके क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे, मगर उन्होंने चर्चा ही नहीं होने दी। चर्चा पर पाबंदी लगाई गई। वेंकटचलैया कमीशन के बारे में ऐसा कहना, जैसे वह कोई महापातक है, ऐसा वातावरण बनाया गया। उन्होंने तो यही कहा था कि First-past-the-post system की जगह proportional representation के माध्यम से चला जाए। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आँकड़े इस तथ्य को सरासर उजागर करते हैं कि किस पद्धति से इस सिस्टम के कारण एक भ्रांति निर्मित होती है। यह भ्रांति हमने निर्मित नहीं की है। जब संविधान सभा बैठी थी, तो इस बात पर चर्चा हुई कि कौन-सा सिस्टम लिया जाए, first-past-the-post ली जाए या proportionate representation लिया जाए। वह चर्चा मात्र कुछ घंटे अथवा एक दिन तक चली और यह माना गया कि ब्रिटेन से जो आदतें हमें पड़ी हैं या हमें जो सिखाया गया है— क्योंकि यहां चुनाव तो 1935 से होते आ रहे थे, तो सबने सोचा कि उसी सिस्टम को ले लिया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर, उस सिस्टम की भी विसंगतियां हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सन् 1971 में कांग्रेस जीती, उसको 43 परसेंट वोट मिले, सन् 1977 में वह चुनाव हार गई, तब उसको 34.52 परसेंट वोट मिले, जिसमें कोई बहुत अन्तर नहीं था। वह वर्ष 1980 में फिर जीती और उसे फिर 42 परसेंट वोट मिले, वर्ष 1984 में उसे 44 परसेंट वोट मिले और वह फिर जीत गई, मगर वर्ष 1989 में वह 39 परसेंट वोट मिलने पर भी हार गई। मतलब, तब उसके वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और आज ये हमें प्रवचन दे रहे हैं कि आपके 31 परसेंट ही वोट हैं तथा इतने सारे लोग आपके खिलाफ हैं। भाई, क्या आप अपनी जिन्दगी में कभी 50 परसेंट से अधिक वोट पाए थे? ये दूसरों को प्रवचन देंगे, दूसरों को मिले जनादेश पर ये एक सवालिया निशान लगाएँगे और ये यह मानकर चलेंगे कि जैसे राज-काज करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कैसे राज कर सकते हैं? अगर सही में कहीं दर्द है, कोई पीड़ा है, तो मैं मानता हूँ कि यह पीड़ा है और उसके लिए विपक्ष के मित्रों से मेरा आग्रह होगा कि वह बाहर आनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, बहुत लम्बा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी बातें हुई हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि सदन में कोई तो होगा, जो पार्टी के अंदर के लोकतांत्रिक चुनाव की भी कुछ बातें उठाएगा। महोदय, इतने सारे दल हैं और कुछ दल ऐसे हैं, जिनके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार बोलते हैं कि कुछ दल ऐसे हैं, जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि आज से 50 साल बाद उनका अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि तब उसका अध्यक्ष उसी का पोता या नाती होगा, जो आज उस पार्टी का अध्यक्ष है। जो दल ऐसी घरानेशाही के आधार पर

[डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे]

चलते हैं, वे हमें लोकतंत्र के बारे में प्रवचन दे रहे हैं! वे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए! आप थोड़ा-सा अंदर झांककर देखिए कि आपने किस लोकतंत्र का अनुकरण किया, आप अपने राजनीतिक दल को किस पद्धति से चला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि एक introspection की आवश्यकता है, थोड़ा-सा अंदर झांककर देखने की जरूरत है। There is a huge canvas of political reforms which this country requires, badly requires.

मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो नया भारत है, जिसका जिक्र माननीय प्रधान मंत्री जी करते हैं, यह मेहरबानी नहीं चाहता, यह केवल हक चाहता है, अवसर चाहता है। यह इस बात का मोहताज नहीं है कि आप इसको यह दो, वह दो या कोई प्रसाद बांटो, बल्कि यह अवसर चाहता है। यह जो नया भारत है, यह इस घिसी-पिटी राजनीति से ऊब गया है और इसीलिए वह हमारे प्रधान मंत्री जी का सहयोग कर रहा है, उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस मैसेज को समझने की कोशिश करें। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए।

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे: महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूँगा। सन् 1975-76 में जस्टिस तारकुंडे कमिटी आई थी और बाद में गोस्वामी कमिटी आई थी, जिसका जिक्र यहां पर हुआ। फिर जस्टिस वी. आर. कृष्ण अय्यर जी के नेतृत्व में एक कमिटी आई, उन्होंने भी कहा। बाद में, वर्ष 1999 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, जिसमें चुनाव सुधारों पर एक लम्बा डिस्कशन हमको देखने को मिलता है। मैं पूरे गर्व के साथ कहूँगा कि इस देश में बुनियादी चुनाव सुधारों की ओर अगर किसी ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, किसी ने कदम उठाने की कोशिश की, तो वह पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की। तब राज्य सभा का चुनाव पारदर्शी तरीके से किया गया। किसकी हिम्मत थी कि कैबिनेट के मंत्रियों की संख्या पर पाबंदी लगाई जाए, उसकी संख्या सीमित की जाए? क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है, उसको हम इस तरीके से arbitrarily extend नहीं कर सकते। यह कितनी बड़ी सोच थी! हमने यह किया है। हम चुनाव-सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इसके बारे में किसी के द्वारा हमें प्रवचन देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।

मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आचार-संहिता का बिन्दु आया। वाकई में, मैंने आदर्श ग्राम के रूप में एक गांव को गोद लिया है। हम वहां कुछ कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन हमें बताया गया कि नहीं, अभी वहां विधान परिषद की teachers' constituency का चुनाव चल रहा है। जिस गांव में एक भी टीचर नहीं है या एक भी ग्रेजुएट नहीं है, वहां किस बात की आचार संहिता? मगर यह होता है, यह विडम्बना है। उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर हम इन सारे सुधारों की चर्चा करेंगे, तो ईवीएम जैसे एक छोटे-से बिन्दु के ऊपर और उसके इर्द-गिर्द यह चर्चा नहीं घूमेगी। इसलिए मेरा आपको आग्रह है, निवेदन है, मैं तो बहुत नया सदस्य हूँ। बावजूद इसके जो देखा, सुना और समझने की कोशिश की उसके आधार पर जब मैं सोचता रहा, तब मुझे वह याद आ गया कि राजनीति तो जय-पराजय का खेल होता ही है। कभी हम धूप में हैं, कभी छांव में हैं, कभी विजय है, कभी पराजय है और यह 1935 का "धूप छांव" सिनेमा का एक गीत है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा उसके मीनिंग को हम समझें। उसमें लिखा है:—

"मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल,
दुनिया क्या है एक तमाशा, चार दिनों की छोटी आशा
पल में तोला, पल में माशा, ज्ञान तराजू लेकर हाथ में,
तोल सके तो तोल, मन की आंखें खोल"

धन्यवाद।

श्री विश्वजीत दैमारी (असम): सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आज चर्चा हुई है। सुधार तो चाहिए और सभी ने यहां अपनी-अपनी बातें कही हैं। इस सुधार के लिए हम सभी को मानसिक रूप से उपस्थित रहना होगा, तभी हम इसमें सुधार ला सकते हैं। हम अगर मानसिक रूप से प्रस्तुत नहीं होंगे, तो हम जितना भी क्यों न सहें कभी भी हम जिस तरह से सुधार की बातें कर रहे हैं, यह हो नहीं पाएगा। यह जो इसके खर्च के बारे में बातें हो रही हैं, इसकी आज के दिन में जो हालत है, इसको देखकर हम कभी भी खर्चा कम नहीं कर सकते हैं। आज समय बदल गया है, गांव के अंदर तक रास्ता हो गया है, वहां गाड़ी चलती है। पहले लोग साइकिल से कैम्पेन करते थे, आज हम लोगों को गाड़ी देनी पड़ती है। लोग गाड़ी से निकलते हैं। तो इसके लिए वहां पर खर्चा कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर हम तरीका बदलना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही इस सारे कैम्पेन की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि वहां पर लोग जाकर अपनी बातें रखें। अगर इसी तरह की कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि जो पार्टियां खर्चा करती हैं, उसी खर्च में ही हो जाए, तो यह अच्छा हो सकता है। हमारे सिस्टम में ही ऐसा है, जहां रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज हैं। अभी हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो जहां नेशनल पार्टी हैं, तो नेशनल पार्टी के नेता लोग अगर किसी राज्य के निर्वाचन में जाएंगे तो उनको हेलिकॉप्टर या हवाई जहाज से जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनके साथ वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर लोकल की बातों को सोचकर इसमें वे मुद्दा उठाएंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यह हमारा सिस्टम है। इसको बदलने के लिए हम सभी की सहमति भी करनी पड़ेगी तथा इसमें कॉम्पोमाइज़ भी करना पड़ेगा।

मैं इस रिफॉर्म्स में कुछ बातें लाना चाहता हूं कि जैसे उग्रवादियों की जो समस्या हैं, मैं नॉर्थ-ईस्ट से हूं। इसलिए मैं हर समय यहां पर ये बातें लाता हूं। आज भी मैंने क्वेश्चन ऑवर में यह बात कही थी कि आज जो उग्रवादी समुदाय हैं, वे सरकार के साथ बातें करने के लिए सीज़फायर एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आर्म्स सरेंडर नहीं किए हैं। आज ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़कर एम.पी. बनकर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और जिस तरह से हम लोग देश में टेररिस्ट्स के कारण हर समय चिंतित हैं, तो यह पार्लियामेंट भी टेररिस्ट्स के द्वारा भी ऑक्युपाइड हो जाएगी। तो हम देश सुधारने के लिए जितनी भी कानूनी व्यवस्था करने की कोशिश क्यों न करें, ऐसे लोग हर समय इसका विरोध करेंगे। असम में जो इस बार लोकसभा इलेक्शन में हुआ, क्योंकि जिन उग्रवादी नेताओं ने लोक सभा में कंटेस्ट किया, उनके ऊपर कोई वॉरंट वगैरह किसी ने नहीं देखा और कोई बतला भी नहीं सका। लेकिन यह उग्रवादी संगठन का नेता है और उनके द्वारा बहुत ही गलत काम हुआ है। यह सही है... उस समय सिर्फ होम मिनिस्ट्री को इस विषय के बारे में जानकारी थी, इलेक्शन कमीशन को जानकारी

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन केवल इलेक्शंस को conduct करता है। उस समय इस विषय को उजागर करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने उनके नाम पर एक भी वॉरंट नहीं देखा, इसलिए वे एक banned organization के नेता होने के बावजूद आज वहां पर एमपी बने हैं। इस संबंध में होम मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करके ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): एक मिनट ले लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री बिश्वजीत दैमारी: सर, यह बहुत important matter है। हमें इसमें सुधार लाना होगा कि सिर्फ वॉरंट की बात नहीं है, अगर किसी भी terrorist या extremist organization का कोई सदस्य है, उसने अगर सरेंडर नहीं किया, वह अगर mainstream पर नहीं आया, उस पर कोई के स हो या न हो, किसी banned organization में रहते हुए किसी को कभी भी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसका कोर्ट-कचहरी के साथ कोई संबंध नहीं है। आप कश्मीर की बात सोचिए, अगर कोई नेता बाहर छुपा हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्टली किसी तरह की एफआईआर लॉज नहीं हुई है, लेकिन वह अगर गलत स्टेटमेंट्स देता रहता है, वह भड़काता रहता है, अगर ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े होंगे तो क्या हम उसको मान सकते हैं — हम कभी नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस संबंध में भी सुधार लाना होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, अब समाप्त कीजिए। कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री बिश्वजीत दैमारी: इसके बाद मैं एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, बाकी सारी बातें अन्य लोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब समाप्त कीजिए।

श्री बिश्वजीत दैमारी: हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में धीरे-धीरे educational qualification के बारे में भी सोचना चाहिए। भारतवर्ष को स्वाधीन हुए आज 70 वर्ष हो गए हैं। मैं समझता हूं कि आज कम-से-कम हमारे गांव में थोड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, तो कम-से-कम पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हम graduate candidates को ले सकते हैं, अगर वह संभव न हो तो matriculation पास candidates को ले सकते हैं, ताकि यहां आकर वे मंत्री पद ग्रहण करने के बाद हमारे पढ़े-लिखे ऑफिसर्स के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श करके देश को आगे बढ़ाने के संबंध में कुछ काम कर सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत तरीके से, ब्लैक मनी से विधायक बनकर आया है, एमपी बनकर आया है, पैसा लेकर किसी पार्टी के नेता ने उसको मंत्री पद पर बिठाया है, उसकी वजह से देश की हालत आज जैसी होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पायी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, अब समाप्त कीजिए।

श्री बिश्वजीत दैमारी: यह बात मैं किसी सदस्य के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग already elected हैं, वे अगर पढ़े-लिखे नहीं हैं, qualified नहीं हैं, वे आगे contest कर सकते हैं, लेकिन अब से जो नए लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, contest करेंगे, उन लोगों के लिए कम-से-कम एक minimum qualification होना बहुत जरूरी है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

सर, इस देश को हम political लोग, political parties चलाती हैं, लेकिन किसके साथ मिलकर चलाती हैं— जो लोग आईएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं — अगर हमें उन लोगों को सजेशन देना है, तो minimum...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Conclude now.

श्री विश्वजीत दैमारी: जो candidate होगा, उनके लिए यह करना आज के दिन बहुत जरूरी है। ...(समय की घंटी)... सर, मैं कुछ बातें सरकार की दृष्टि में लाया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन विषयों के संबंध में विचार करेगी, धन्यवाद।

SHRI T. K. S. ELANGO VAN (Tamil Nadu): Sir, we are discussing about electoral reforms. Electoral reforms are not some amendments to the Representation of the People Act. It is the total abolition of the existing Representation of the People Act and formulating a new Act which will give powers to the people who want to select their own Government. Now, whether people's mandate is carried out is in question. Majority of people vote for a certain party, but another party forms Government with minority or reduced number popular mandate. For example, in Tamil Nadu, in the last elections, the AIADMK, which is now in power, has got 1.78 crore total votes and the DMK got 1.73 crore total votes. It means, the difference is mere 5 lakhs. It is just 1 per cent. But, if you look at the difference in the number of MLAs, AIADMK has got 36 more MLAs than what the DMK has got. This is not the people's mandate. So, there should be reform for which we say that proportional representation is the only way to have the right number which will match to people's total number of votes each party polls. Proportional representation is an election between parties, not individuals. By proportional representation, you can reduce the expenditure to be incurred by the candidates; you can reduce the individual influence of the candidates on the local population by way of caste, religion, or any such difference. So, when you field an individual as a candidate, many factors come into force, whereas if it is an election between two parties or two symbols, only the party and its ideologies or its performance during the period when they were in power will count and the people will vote for the party. So, there should be a massive change. My suggestion is that the present Representation of People Act should be replaced by a fresh Act, which will help in conducting free and fair elections.

Secondly, there were many discussions going on in the House about the EVMs. EVMs are machines. They don't speak. They are not electing candidates. They are not electing MLAs. But, the people who are operating the EVMs, the men who are conducting elections — as our hon. colleague, Madam Vandana Chavan, was talking about brokers who came to the political party, demanded money saying that they will

[Shri T. K. S. Elangovan]

manipulate the EVMs — these are the people who are to be blamed, these are the people who are directly involved in the electoral process, and these are the people who are controlled by the Government in power, or, the Party in power. That is the problem with the elections. In Tamil Nadu, Sir, during the last Assembly elections — the counting starts at 8 o'clock — until 12 o'clock in the noon, results for 40 to 50 per cent of the constituencies were declared, when both the parties had won, more or less, in equal numbers. But, in the remaining constituencies, counting went up to 7 o'clock or 8 o'clock in the evening. We had to put pressure on the Election Commission to speed up the counting. What happened? Around 11 o'clock or 11.30 a.m., when both the parties were equally poised — about 30 per cent results were declared and both the parties were equally poised — the hon. Prime Minister called on the Chief Minister of Tamil Nadu and congratulated her. I think the EVMs listened to the voice of the Prime Minister congratulating the Chief Minister. Then, suddenly, it all changed. *...(Interruptions)...*

SHRI LA. GANESAN (Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, he is giving wrong information. *...(Interruptions)...*

SHRI T. K. S. ELANGO VAN: No, no. It was in the *...(Interruptions)...* I can prove that. I can give you video evidence. So, that is not the question. So, sometimes, there is external pressure, there is external power, or the people who are responsible for conducting free and fair elections are bound by the Ruling Party. In our State, Police distributed money to the people who were in favour of the Ruling Party. *...(Time-bell rings)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI T. K. S. ELANGO VAN: Sir, the Police has to maintain law and order. The Police has to ensure free and fair elections. But, how? So, there should be a system. *...(Time-bell rings)...* The Election Commission should seriously think as to who should be deployed for electoral work.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI T. K. S. ELANGO VAN: That alone will help save democracy. With these words, I thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In fact, all the names which were received in time have been exhausted. But there are two requests that were received after the commencement of the discussion. I can allow them three, three minutes each. Tripathiji, I will give you three minutes because I had promised you.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am one of the signatories of the Motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But your name is not there. What can I do?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am also another signatory of the Motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am also the signatory of the Motion and so also he. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why we allowed it.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So, I don't think, there is any requirement of giving name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is why we allowed the discussion. When we saw the names of Shri Tapan Kumar Sen and Shri Jairam Ramesh, such important Members, we allowed the discussion. *...(Interruptions)...* Okay; now, you start.

SHRI JAIRAM RAMESH: Why don't you do the same thing for Aadhaar.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will do that. Okay. Now, Tripathiji.

श्री डी. पी. त्रिपाठी: धन्यवाद, उपसभापति जी। कुछ अपरिहार्य कारणों से कई महीनों तक मेरी बोलती बंद थी। अभी भी तेज नहीं बोल सकता हूँ। मैंने आपकी आज्ञा का हमेशा ही पालन किया है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा।

उपसभापति जी, हम जब चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो सब से पहले हमें यह देखना है कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव का स्वरूप और प्रकृति क्या है? मैं इस बारे में कोई भाषण नहीं करूंगा। हिन्दी के बहुत प्रतिष्ठित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1974 में लिखी गयी कविता की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करूंगा, जिसे जयप्रकाश नारायण जी उद्धृत करते थे। हमारे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के कई नेता भी इसे उद्धृत करते थे। मैं समय बचाने के लिए उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। महोदय, यह सर्वेश्वर जी की कविता है,

"अब लाठियों में तेल मलके आ रहा चुनाव,
दौलत के संग उछल-उछलके आ रहा चुनाव,
हत्याओं की गली से चलके आ रहा चुनाव,
बंदूक की नली से चलके आ रहा चुनाव।"

महोदय, पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ चार पंक्तियाँ और पढ़ूंगा—

"हत्यारे मिल रहे हैं गले इस चुनाव में,
गहरा के जात-पात चले इस चुनाव में,
पाखंड, झूठ, पाप पले इस चुनाव में,
बेबस गरीब जाते छले इस चुनाव में।"

[श्री डी. पी. त्रिपाठी]

महोदय, यह चुनाव की प्रकृति है, मैं जिस पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ, एक बड़े प्रतिष्ठित कवि की कुछ पंक्तियों के माध्यम से।

अब इस में सुधार कैसे हो? माननीय सदस्यों ने जो कहा, उसे बिना दोहराए बहुत संक्षेप में मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जिस का जिक्र सीताराम येचुरी जी और राजीव शुक्ल जी ने भी किया है। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सब से बड़ा लोकतंत्र, अकेला ऐसा लोकतंत्र है, जिस में जन प्रतिनिधि वास्तविक अर्थों में चुने हुए जन प्रतिनिधि नहीं हैं। महोदय, कितने लोग लोक सभा और विधान सभाओं में 50 प्रतिशत से अधिक वोट पाकर जीतते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कोई चुनाव सुधार करना है, तो अगर एक सुधार कर दें तो उस से राजनीतिक स्थायित्व भी आएगा, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भी आएगा और जन प्रतिनिधि सही अर्थों में जन प्रतिनिधि होंगे। आप यह कर दें कि जो 50 प्रतिशत से अधिक वोट पाएं, वही लोक सभा और विधान सभाओं में सदस्य चुने जाएं। महोदय, यह ऐसी प्रक्रिया भी नहीं है जो बहुत खर्चीली हो और बहुत बाधाएं पैदा करती हो। मैं समय बचाने के लिए इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता और यह मुद्दा आपके विचार के लिए छोड़ देता हूँ। Where people's representatives are not even democratically-elected people's, representatives, how do you expect democracy? महोदय, 20 प्रतिशत पड़े वोटों से कभी-कभी 16 प्रतिशत और 15 प्रतिशत वोटों से, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ, इस दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दूसरी बात, जो अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने उठायी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कुछ आलोचना की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन लोकतंत्र में सब से आवश्यक बात पार्टी सिस्टम है। महोदय, दल व्यवस्था क्या है? Party system is 'sub-system' of democracy. उपसभापति जी, अभी तक बहुत सी कमेटियां बनी हैं और चुनाव सुधार के बहुत से कानून पास हुए, उन से गड़बड़ियां कम हुई हैं? मैं यह बात माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव की गड़बड़ियां कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? मेरा ख्याल है कि बढ़ी हैं। इन सारे कदमों के बावजूद चुनाव में धन बल, बाहुबल और छल बल बढ़ा है। यह कम नहीं हुआ है। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। महोदय, जन-चेतना और सामाजिक चेतना का कोई विकल्प नहीं होता है, पार्टी सिस्टम पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसे हम कभी नहीं कहते। हमारे देश में भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं। हम विदेश की ओर जरूर देखते हैं, अपने देश में हुए अनुभव की ओर नहीं देखते। महोदय, हमारे देश में एक छोटा सा प्रांत मिजोरम है, वहां सशस्त्र संघर्ष के बाद, राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि के कारण वहां लालडेंगा के साथ समझौता हुआ। उस समझौते में मैं शामिल था और लालडेंगा से मेरी मित्रता थी और इस समय की माननीय विदेश मंत्री के पति, स्वराज कौशल जी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, वे भी उस समझौते में शामिल थे। बहरहाल मैं इतना ही जिक्र करना चाहूंगा कि उस मिजोरम में जो चुनाव होता है, वह भारत का नहीं, दक्षिण एशिया का नहीं, दुनिया का सब से सस्ता और अहिंसक चुनाव होता है। अगर आप गाड़ी का काफिला लेकर चलेंगे, तो चुनाव हार जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ, जो 'देशद्रोहियों के अड्डे' से आता है। आप लोग कहते हैं कि JNU देशद्रोहियों का अड्डा है, वहां विद्यार्थी ही संघ का चुनाव कराते हैं। एक वोट से हार-जीत हुई है, वह अदालत में नहीं गया। वहां न पैसे का रोल है और न बाहुबलियों का रोल है। उस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी ही इलैक्शन कराते हैं। मैं आपको 'देशद्रोहियों' का उदाहरण

दे रहा हूँ। मैंने यहां एक पार्टी सिस्टम की बात कही है। जब तक आप पार्टी सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

महोदय, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न सतीश मिश्रा जी ने उठाया था और राजीव शुक्ल जी ने भी उसका समर्थन किया था, राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री बनते ही Anti Defection Bill लाकर उसको ठीक करने की कोशिश की। जब तक आप संविधान में यह नहीं करेंगे, चाहे संशोधन करना पड़े या चाहे जो करना पड़े, जो जिस पार्टी से चुनकर आता है, अगर उस पार्टी से अपना पाला बदलता है, तो उसी समय उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। आप चुनकर आए हैं और उस जनादेश का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। अगर आपने उसमें if or but लगाया, इस देश में करप्शन में इतनी creativity है कि उसका जरूर कोई रास्ता तलाश लेंगे और आप फिर अदालत में भटकते रहिए।

महोदय, मैं आखिर में उर्दू के एक शेर को उद्धृत करते हुए कहना चाहूंगा,

“जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें,
बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते।”

तो बंदे तो गिने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और सरकारों को हमेशा तोला जाएगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Rajani Patil; three minutes.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, मैं थोड़े ही शब्दों में सिर्फ बिन्दुओं को स्पर्श करके अपनी बात कहना चाहूंगा। जब इस देश में लोकतंत्र की नींव डालने का समय आया था, तो चाहे नेहरू जी हों, अम्बेडकर जी हों या फिर मौलाना आजाद हों, सभी विभूतियों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था और हर एक नागरिक को चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या फिर किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह औरत हो या फिर पुरुष हो, सबको एक ही शस्त्र हाथ में दिया था और वह शस्त्र मतदान का था, जिसके माध्यम से हम इस देश की जम्हूरियत को, लोकतंत्र को टिका सकें।

सर, चाहे कोई भी शख्स कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मतदान मांगते समय उसको मत देने वाले लोगों के पास छोटा होकर जाना पड़ता है, यह हकीकत है। अभी निर्वाचन आयोग को बने हुए 66 साल हो गए हैं। आज जिस तरह से चुनाव होना चाहिए क्या उस तरह से चुनाव हो रहा है, यह बड़ा ही संजीदा सवाल हमारे जेहन में आता है। अभी जैसा कि त्रिपाठी साहब ने कहा है, मैं उसको दोहराकर बताना चाहूंगा कि हमारे यहां M Factor बहुत important होता है, जिसको हम M Formula कहते हैं, muscle power, manpower, money power and now media power. ये चार M हैं, जो हमारे चुनाव को कंट्रोल करते हैं। ...**(व्यवधान)**... महिला पावर हम भी चाहते हैं, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे हैं। आप यह देंगे नहीं और इसके लिए फिर हमें ही आना पड़ेगा, तभी मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... राज्य सभा में हमने ही दिया है।

सर, चुनाव प्रणाली में जो दो-चार चीजें हैं, मैं सिर्फ उनके बिन्दुओं को ही स्पर्श करूंगी, पार्टियों का ऑडिट, काले धन का उपयोग, पेड न्यूज़, सरकार की sponsored advertisement, गलत एफिडेविट की सज़ा आदि अनेक पहलू हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि राजनीतिक

[श्रीमती रजनी पाटिल]

गुनहगारी, जिस पर हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाल में महाराष्ट्र में जिला परिषद् और महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं। वहां पर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो महाराष्ट्र में गुनहगार थे और खास तौर से पुणे में— वंदना जी मेरी बात का समर्थन करेंगी— जो ये गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं, लोग जिनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, उन सभी गुनहगारों को उन्होंने यहां इकट्ठा कर दिया है। जैसे यहां आए, तो गंगा नहाए और शुद्ध हो गए। जैसे कि शुद्ध करने की फैक्टरी हो। बीजेपी में आए और शुद्ध हो गए, फिर कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस तरह से गुनहगारों का तुष्टिकरण करने की कोशिश की है।

सर, मैं काले धन के दुरुपयोग पर इतना ही कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में जिस तरह से चुनावों में पैसा खर्च होता है, अगर हम चाहेंगे, तो भी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जिला परिषद के लिए एक-एक कैंडिडेट ने 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, लाख नहीं, करोड़ रुपये खर्च किए हैं। महानगर पालिका के लिए 5 करोड़, 6 करोड़ रुपये खर्च की उनकी आंकड़ेवारी है। अगर हम इस तरह से जाएंगे, तो इस समाज में, जो गरीब घर के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन वर्ग के लोगों के बच्चों का राजनीति में आना अशक्य होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं यहां पर आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगी।

वैसी ही न्यूज की, मीडिया की भी बात है। सर, आपको याद होगा, अभी विनय जी ने बताया है, लेकिन मैं फिर भी यहां पर यह बताना चाहूंगी कि इन लोगों का, मीडिया में इतना जबर्दस्त काम है कि 1997 में, जब यह न्यूज हमारे यहां पर फैली कि गणपति दूध पीता है, तब श्री मनोहर पंत जोशी हमारे मुख्य मंत्री थे और बीजेपी-शिव सेना की सरकार थी। उस समय दस मिनट के अंदर पूरे देश के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के गणपति ने दूध पिया था। इन लोगों की इतनी जबर्दस्त यंत्रणा है, इसलिए ये लोग मीडिया में छाये हुए हैं। एक बार किसी को हटाना है, उसको नीचा दिखाना है, किस तरह से करना है, यह इन लोगों से सीखिए, परंतु यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, मैं यह आपके माध्यम से बता रही हूं।

सबसे आखिर में मैं ईवीएम की बात, जो सभी ने कही है, उसके बारे में बताना चाहती हूं, मैं उस पर बोलना चाहती हूं। अगर पूरे देश में, इतने लोगों के मन में यह आशंका हो रही है कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सरकार का इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। अगर कोई बोल रहा है कि हमें शंका है, तो मुझे लगता है — जैसे अभी विनय जी ने Shakespeare का जिक्र किया, मैं एक बार फिर बताना चाहती हूं कि उन्होंने Shakespeare का जिक्र किया है, लेकिन Caesar's wife must be above suspicion. सरकार suspicion के बाहर होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग भी suspicion के बाहर होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जनवरी, 2012 के अपने जजमेंट में इसी विषय पर बोला है, it is not impossible to tamper the present EVMs. यह उनका जजमेंट था और उसी का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ...(समय की घंटी)... सर, एक मिनट ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(Interruptions).. Please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: उसी का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 अक्टूबर, 2013 में VVPAT का उपयोग करने के लिए बोला है। ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: सर, एक मिनट। ...(समय की घंटी)... जब EVMs के साथ ऐसी छेड़खानी हो सकती है, तो फिर हम इस तरह के चुनाव को कैसे निष्पक्ष बताएंगे, कैसे इस देश के लोकतंत्र को ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: उपसभापति जी, अगर इस देश में पारदर्शिता, साफ और अच्छे माहौल में चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम सबको यह करना पड़ेगा कि जो ईवीएम मशीन है, उसमें VVPAT करना जरूरी है। मैं इससे आगे जाकर बोलना चाहती हूँ ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)... अभी बैठिए! ...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी पाटिल: सर, एक मिनट। ...(व्यवधान)... सर, हमारी जो गांव की महिलाएँ हैं, जो दूरदराज से आती हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी बैठिए।

श्रीमती रजनी पाटिल: जो गांवों से वोटिंग करने के लिए आती हैं। ...(व्यवधान)... अगर आपने paper trail भी कर दिया ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: पेपर ट्रेल देखने का और समझने का अंदाजा भी उनको नहीं होता है। ...(व्यवधान)... उनको paper trail देखकर समझ भी नहीं आएगा। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: इन लोगों के लिए हमें लगता है कि इसके लिए, फिर से एक बार सदन में, वह चाहे राज्य सभा हो या लोक सभा हो, निर्वाचन आयोग को संजीदगी से सोचना चाहिए और फिर एक बार वोट करना चाहिए। जो काम बाकी के देशों ने किया है। ...(व्यवधान)... नीदरलैंड ने ...(व्यवधान)... बंद कर लिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: जर्मनी ने बंद कर लिया है। ...(व्यवधान)... इन सभी देशों को समझते हुए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: इसको समझते हुए ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over. ...(Interruptions)... That is all. ...(Interruptions)... You gave your name late and you are exploiting that. ...(Interruptions)... Please, sit down. ...(Interruptions)... Please, sit down. ...(Interruptions)... Nothing more will go on record. ...(Interruptions).. That is all. Please sit down. ...(Interruptions)...

श्रीमती रजनी पाटिल: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In place of three minutes, you took six minutes. Okay; I am very happy. Even though the time management went haywire, there was a marathon discussion and everybody who wanted to participate really participated. Now, we will take up the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

GOVERNMENT BILL

The Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Employee's Compensation Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): उपसभापति जी, हमारे जो पार्टिसिपेण्ट्स हैं, हमने उनको विदग्ध कर लिया है, From my party, nobody is speaking.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are six or seven speakers. Everybody will take five minutes each. Now, Prof. M.V. Rajeev Gowda. Everybody will take five minutes.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I rise to speak in support of the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016. When a job-seeker goes and looks for a job, he or she is entrusting his or his or her life to the employers. The working conditions matter and injuries and deaths can happen on the work-floor. It is extraordinarily important to ensure that anyone injured is compensated, but even more important is to ensure that people, who are entering in the workforce, are in a secure environment and that if anything goes wrong, they need to have the information that they need in order to seek compensation or to help their survivors seek compensation. We cannot rely on a judicial system alone, we cannot rely on tort law, liability and negligence, etc.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL) *in the Chair*]

Sir, this particular Bill had been originally introduced by the British in 1923, and, most recently, amended during the UPA era by Shri Mallikarjun Kharge when he was the Minister for Labour. Sir, when the UPA Government amended this Bill,

*Not Recorded